खण्ड-250, अंक-5
शुक्रवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1886
(31 जुलाई, 1964 ई0)

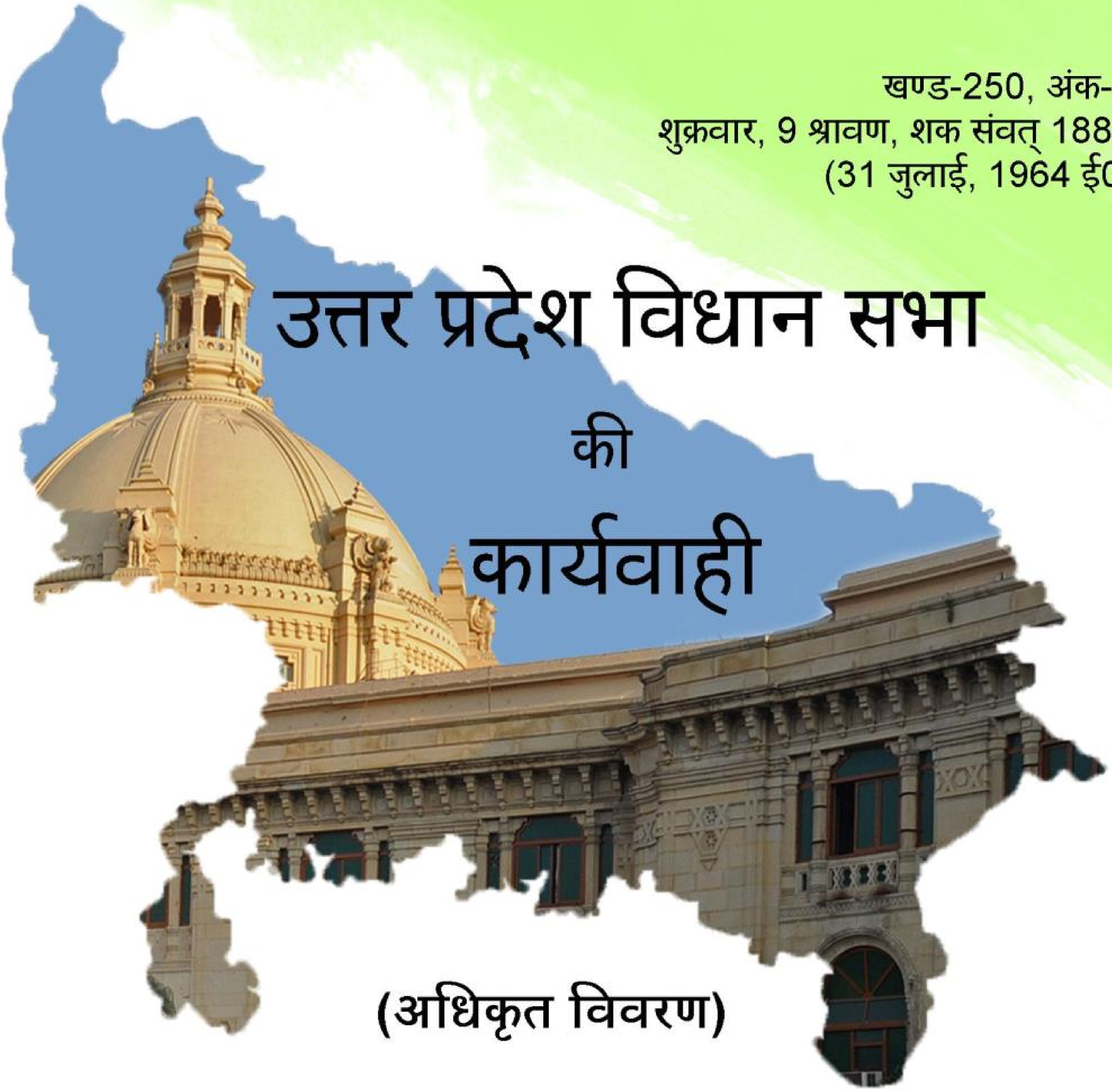

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३१ जुलाई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
निजामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बन लाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३१ जुलाई, १९६४

तारांकित प्रश्न

सीलिंग ऐक्ट द्वारा प्राप्त भूमि

*१--श्री बृजराजसिंह (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, सन् १९६३ तक--

(क) उत्तर प्रदेश सीलिंग ऐक्ट द्वारा कितनी भूमि सरकार को प्राप्त हुई;

(ख) उपरोक्त भूमि में से कितनी भूमि, भूमिहीनों को वितरण हो गई और कितनी बाकी है;

(ग) कितने क्षेत्रफल-भूमि के बारे में भूमि स्वामी और सरकार के बीच अदालत में वाद-विवाद चल रहा है;

(घ) कितने भूमि स्वामियों का मामला तय हो गया और कितनों का मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है;

(च) लगभग कितनी भूमि सरकार को सीलिंग ऐक्ट द्वारा प्राप्त होने की आशा है?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

आवश्यक सूचना निम्नलिखित तालिका में दी हुई है :

तालिका

(क) १,००,९०५ एकड़;

(ख) ४२,७४९ एकड़ भूमिहीनों को दी गई। कुल मिलाकर ५१,३९० एकड़ भूमि शेष थी;

(ग) १,२६,९६८ एकड़;

(घ) ३,४०५ खातेदारों के मामले तय हो गये, २,३३८ के मुकदमे चल रहे हैं;

(च) दो लाख एकड़ से कुछ अधिक मिलने की आशा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सीलिंग ऐक्ट में जो जमीन निकली हुई है उसके लिये राजस्व विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि फलां तिथि के अन्दर सारी जमीन भूमिहीनों को बट जानी चाहिये। तो अभी तक जो सीलिंग ऐक्ट में जमीन फाजिल है उसको न बांटने का क्या कारण है?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह बिसेन)—

अगर निकली है तो कुछ दिक्कतें उसमें निकली होंगी।

नैनीताल जिले के भूमिहीन शिल्पकार

*२—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के मालधन चौड़ में बैठे बेकार भूमिहीन कुमायुनी शिल्पकारों को कब तक भूमि दिये जाने का विचार है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ग्राम मालधन चौड़ में शासकीय आदेश दिनांक २७ अगस्त, १९५५ के अन्तर्गत ३,००० एकड़ भूमि कुमायूं के शिल्पकार परिवारों को दिये जाने के लिये नियत की गई थी। इस भूमि को ३८३ शिल्पकार परिवारों को दिया जा चुका है। अब इस ग्राम के निकट कोई भूमि उपलब्ध नहीं है जो शेष प्रार्थियों को दी जा सके।

*३—श्री खुशीराम (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री राजस्व यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० से १९६३ के आखिर तक कितनी दरख्वास्तें भूमि चाहने के बारे में जिलाधीश, नैनीताल तथा सरकार के पास आई हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सन् १९६३ के अन्त तक भूमि चाहने के निमित्त शिल्पकारों से ७३८ प्रार्थना-पत्र [illegible] हुये हैं जिनमें लगभग आधे ऐसे हैं जिनके साथ भूमिहीन होने के प्रमाण-पत्र नहीं हैं।

जिलाधीश, नैनीताल को आदेश दे दिया गया है कि इन प्रार्थना-पत्रों में से उन पर जो भूमिहीनों के प्रमाणित हों अन्य भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्रों के साथ-साथ ही विचार कर लें।

नोट—तारांकित प्रश्न २—३ श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट ने पूछे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

क्या सरकार विचार करेगी कि उसकी जो अपनी जमींदारी है नगला और रुद्रपुर में १६,००० एकड़ की, उसमें इन भूमिहीनों को बसाये या कुछ जमीन उनको देगी जब कि वह जमींदारों से इतनी जमीन छीन चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हम तो समझते हैं कि हम एक विस्वा के भी जमींदार नहीं हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

नगला और रुद्रपुर में १६,००० एकड़ जो जमीन है क्या वह सरकार की मिल्कियत नहीं है ? क्यों नहीं उसमें उनको बसा सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं पता लगा लूंगा कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)---

जो यह भूमिहीन हैं उनको पहले सरकार ने जमीन एलाट की थी लेकिन वहां एक तुमड़िया बांध बना दिया जिससे उनकी जमीन उसमें डूब गयी है तो क्या सरकार दूसरी जगह उनको जमीन देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसके लिये नोटिस चाहिये।

*४-६---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

क्राफ्ट और सी० टी० टीचर्स का वेतन-क्रम

*७---श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग के जी० ओ० सं० ई०-१४६८/१५---२१ (४१)-६०, दिनांक ४ अगस्त, १९५९ के अनुसार हाई स्कूल कक्षाओं में क्राफ्ट पढ़ाने वाले अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट वेतन-क्रम देने के लिये जो पांच साल की बुक क्राफ्ट ट्रेनिंग निर्धारित की गयी है वह प्रदेश में चालू नहीं है ? यदि चालू है, तो कहां-कहां और अब तक कितने अध्यापक पांच साल वाली ट्रेनिंग पास कर चुके हैं ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)

जी हां। इस प्रदेश में किसी भी विद्यालय में बुक क्राफ्ट की पांच साल की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*८---श्री हलीमुद्दीन (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो सी० टी० ग्रेड के अध्यापक उक्त आदेश के लागू होने के पहले हाई स्कूल और इंटर कक्षाओं को पढ़ाते थे और उक्त आदेश के लागू होने के बाद भी पढ़ाने के लिये लेजीबुल माने गये हैं, तो ऐसे अध्यापक जो पढ़ाने के लिये उपयुक्त माने गये हैं, उन्हें उक्त आदेश के अनुसार लेक्चरर का ग्रेड न देने के क्या कारण हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ७-८ श्री रघुनाथ सिंह ने पूछे।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

प्रश्न में उल्लिखित अध्यापकों को लेक्चरर्स ग्रेड न देने का कारण यह है कि लेक्चरर्स ग्रेड इंटर कक्षाओं को पढ़ाने वाले उन्हीं अध्यापकों को मिलता है जो उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं जो विषय वे पढ़ाते हैं ।

शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा

*९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों में तथा अधीनस्थ कालेजों में फिजिकल डाइरेक्टर्स की व्यवस्था है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आठ विश्वविद्यालयों तथा १९ अधीनस्थ कालेजों में फिजिकल डाइरेक्टर्स अथवा इंस्ट्रक्टर्स अथवा सुपरिन्टेन्डेन्ट की व्यवस्था है । शेष संस्थाओं में यह कार्य खेल-कूद समितियों द्वारा किया जाता है ।

*१०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कपूर कमेटी ने इस संबंध में अपनी क्या रपट दी है तथा उसके अभी तक कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इस संबंध में कपूर कमेटी ने यह सिफारिश की है कि शारीरिक शिक्षा सब छात्रों के लिये अनिवार्य की जाय तथा प्रत्येक कालेज में शारीरिक शिक्षण का एक संगठित विभाग स्थापित किया जाय।

प्रथम डिग्री कक्षाओं में एन० सी० सी० के अनिवार्य किये जाने के उपरान्त शारीरिक शिक्षण को भी अनिवार्य करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । धनाभाव के कारण प्रत्येक कालेज में शारीरिक शिक्षण का विभाग अलग से स्थापित करना फिलहाल संभव नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इंस्ट्रक्टर्स, सुपरिन्टेन्डेन्ट्स या डाइरेक्टर्स विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के अन्तर्गत जो कमेटियां बनी हैं, उनके अन्तर्गत काम करते हैं, क्या उनकी सर्विस कंडीशंस वही हैं जो कि और जगहों पर उनकी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, प्रत्येक जगह उनकी सर्विस कंडीशन और इनकी तनख्वाह इत्यादि भिन्न भिन्न हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कपूर कमेटी की रिपोर्ट कब आयी और एन० सी० सी० की ट्रेनिंग कब शुरू हुई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

कमेटी की रिपोर्ट ६१ में आयी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

एन० सी० सी० की ट्रेनिंग कब से शुरू हुई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ट्रेनिंग शुरू हुई है ६३ से ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

माननीय मंत्री जी अब बताने की कृपा करेंगे कि ६१ में रिपोर्ट आ गई तो ६३ तक उसको न लागू करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मुख्य कारण तो धनाभाव है । हर जगह पर लागू करना उसी वजह से अभी संभव नहीं हुआ है। विश्वविद्यालयों में लागू है, लेकिन बाकी जितने एफिलिएटेड कालेजेज हैं, उनके अन्दर यह नहीं लागू है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या एन० सी० सी० की ट्रेनिंग अनिवार्यतः प्रत्येक स्कूल में चलाने की योजना बन रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, इस पर तो विचार है ही ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बात स्पष्टतया बताने की कृपा करेंगे कि जब यह बात विश्वविद्यालयों की तरफ से आयी कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा पाने वाले छात्रों को शारीरिक शिक्षा देने के लिये स्कीम बनायी जाय और उस स्कीम के अन्तर्गत इंस्ट्रक्टर्स पोस्ट किये गये, बाद में महसूस किया गया कि एक कमेटी स्थापित की जाय जो उनकी सर्विस कंडीशंस की जांच करके वह मुस्तकिल करे, जिसके लिये कपूर कमेटी का निर्माण हुआ, तो जब सरकार समझती थी कि इस कमेटी की रिकमेन्डेशंस की कोई अहमियत नहीं है तो इसके बनाने की क्या जरूरत पड़ गई जबकि उसकी रिकमेन्डेशंस को लागू नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि धनाभाव के कारण नहीं लागू की गई ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात से आश्वस्त करेंगे कि जब यह धनाभाव समाप्त हो जायगा तब इसको लागू किया जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

शारीरिक शिक्षा के संबंध में काफी व्यवस्था की जा रही है और हो भी रही है। एन० सी० सी० को तो अनिवार्य कर दिया गया है डिग्री कक्षाओं में । ११ और १२ वीं कक्षाओं में हमारी प्रदेशीय योजना चल रही है प्रदेशीय शिक्षा दल के नाम से । ११ वीं और १२ वीं कक्षाओं के विद्यार्थी उस योजना के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा प्राप्त करते हैं । एक योजना शारीरिक शिक्षा के संबंध में केन्द्र की ओर से चालू है जो कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के नाम से या एन० डी० एस० के नाम से है और उसके अन्तर्गत शनैः शनैः विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के लिये व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है और उनके लिये ट्रेनिंग केन्द्र भी स्थापित कर दिये गये हैं । किसी कमेटी की योजना को लागू करने की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब कोई चीज महत्वपूर्ण हो । उस कमेटी के सुझावों को लिया जा रहा है । उसके सुझाव के अनुसार

इतनी व्यवस्था कर दी गई है और शेष को भी धनाभाव दूर होने पर लागू किया जायगा । जैसे जैसे धन प्राप्त होता जायगा इसको करते जायेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बनता चला जा रहा है और उसके तहत में विश्वविद्यालयों में फिजीकल एजुकेशन की फैकल्टी की स्थापना आवश्यक हो गई है, तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि हर विश्वविद्यालय में फिजीकल फैकल्टी की स्थापना कर दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जैसा मैंने निवेदन किया सैनिक शिक्षा के लिये एन० सी० सी० को अनिवार्य कर दिया गया है । अनिवार्य कर देने के फलस्वरूप क्या क्या कठिनाई उपस्थित होती है, वह माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अपनी ओर से बहुत से खेलों का प्रबन्ध करते हैं और शारीरिक शिक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं जैसा कि बतलाया गया । विश्वविद्यालयों में इस बात का प्रबन्ध है कि इंस्ट्रक्टर या डाइरेक्टर के नाम से नियुक्ति हो ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मेरा मतलब यह है कि यह फिजीकल एजुकेशन की शिक्षा स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों स्थिति में प्रत्येक विश्वविद्यालय में दी जाय । ऐसी कोई व्यवस्था विश्वविद्यालयों में करने जा रही है कि ऐसी शिक्षा उनको दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं समझ नहीं पाया कि आपका मतलब बौद्धिक शिक्षा से है या व्यावहारिक शिक्षा से है । व्यावहारिक शिक्षा का काम तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत हो रहा है । जहां तक बौद्धिक शिक्षा का संबंध है, जो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम है, उसके अन्दर वह कुछ आ जाती है और बाकी फिजीकल शिक्षा उनको देने के लिये यह योजना चल ही रही है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब विश्वविद्यालयों में एन० सी० सी० की शिक्षा अनिवार्य है तो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम को लागू करने से इसका डुप्लीकेशन नहीं हो जायगा ? यदि नहीं, तो इसके बनाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

नेशनल डिसिप्लिन स्कीम तो विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त जो संस्थायें हैं उनमें नीचे के दर्जों में लागू होती है, डिग्री में नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी कपूर कमेटी के उस सुझाव पर विचार करेंगे जिसमें उसने दुनिया के और विश्वविद्यालयों के अन्दर शारीरिक शिक्षा की पद्धति को अपनाने की बात कही है और इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये फिजीकल फैकल्टी की स्थापना करके उस कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इसका उत्तर दिया जा चुका है कि धनाभाव के कारण उसकी व्यवस्था नहीं हो सकी ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर से शिकायतें

*११—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री १३ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, शिक्षा संचालक सहित समस्त शिक्षा अधिकारियों एवं स्वयं मंत्री जी को राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के निम्नवर्ग के कर्मचारियों के दिनांक १४ मार्च, १९६३; ९ जुलाई, १९६३; १ अक्तूबर, १९६३; ९ अक्तूबर, १९६३; और ११ दिसम्बर, १९६३ के प्रार्थना-पत्र तथा इसी संबंध का प्रश्नकर्ता का दिनांक २३ दिसम्बर, १९६३ के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनमें क्या-क्या शिकायतें हैं और क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं । कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जब १३ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर में मंत्री जी यह स्वीकार कर चुके हैं कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के प्रधानाचार्य ने निम्नवर्ग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनहीनता के जुर्म में कार्यवाहियां की हैं और इसी प्रश्न के ८ मई के उत्तर में बतलाया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो आज उत्तर में उन कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र को जो रजिस्ट्री द्वारा शिक्षा अधिकारियों की सेवा में भेजे गये हैं मिलने से या उन पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो तारीखें माननीय सदस्य ने दी हैं उनमें कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी को याद है कि २२ दिसम्बर, १९६३ को राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के निम्नवर्ग के कर्मचारी उनके समक्ष उपस्थित हुए थे और उस समय रामकिशोर जी और रक्षपाल जी भी मौजूद थे । उस समय मंत्री जी ने कहा था कि मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, आप लिखकर दें और मैंने २३ तारीख को वह सब लिख कर दिया था । तो उसे पाने से भी मंत्री जी इंकार करते हैं, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

न १७ तारीख को ही और न २३ तारीख को ही कुछ प्राप्त हुआ है ।

बहराइच-मल्हीपुर मार्ग में भक्ला नाला पर पुल न होना

*१२—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चरदा, जिला बहराइच के बहराइच-मल्हीपुर मार्ग पर भक्ला नाले के ऊपर पुल बनाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

बहराइच-मल्हीपुर मार्ग पर भक्ला नाले के ऊपर धनाभाव के कारण इस समय पक्का पुल बनाने की कोई योजना नहीं है ।

बुलन्दशहर तथा अन्य जिला परिषदों को शिक्षा अनुदान

*१३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा के व्यय के लिये प्रदेश जिला परिषदों को क्या किसी निश्चित आधार पर अनुदान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां । प्रदेश की जिला परिषदों को निश्चित आधार के अनुसार अनुदान दिया जाता है ।

*१४--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ में प्रदेश की प्रत्येक जिला परिषद् को निर्धारित की गयी न्यूनतम शिक्षा व्यय की धनराशि में कितना-कितना प्रतिशत रुपया सरकार की ओर से अनुदान के रूप में स्वीकार किया गया था और किस आधार पर स्वीकार किया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

प्रश्नगत वर्षों में प्रदेश की जिला परिषदों को उनके निर्धारित न्यूनतम वार्षिक शिक्षा व्यय का जितना-जितना प्रतिशत रुपया शासन की ओर से अनुदान के रूप में दिया गया, वह संलग्न तालिका में दिखाया गया है ।

जिस आधार पर उक्त अनुदान दिया गया, वह भी संलग्न तालिका के अन्त में स्पष्ट कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०२-४०३ पर)

*१५--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला परिषद्, बुलन्दशहर को शिक्षा के निर्धारित न्यूनतम व्यय के लिये सब से कम प्रतिशत रुपया अनुदान के रूप में सरकार की ओर से दिया जाता है और इस कारण बुलन्दशहर जिला परिषद् को अपेक्षाकृत अधिक धन अपनी ओर से लगाना पड़ता है ? इसका क्या कारण है और जिला बुलन्दशहर के साथ सरकार की यह ज्यादती कब से हो रही है और क्यों हो रही है ? क्या सरकार दूसरी जिला परिषदों की प्रकार इसको भी इस वर्ष अधिक प्रतिशत रुपया अनुदान के रूप में शिक्षा के व्यय के लिये स्वीकार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी नहीं । जिला परिषद्, बुलन्दशहर को शिक्षा के लिये निर्धारित न्यूनतम व्यय के लिये सबसे कम प्रतिशत रुपया अनुदान के रूप में नहीं दिया जाता । प्रश्न के अन्य भाग नहीं उठते ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला परिषदों का जो ४० साल पहले का शिक्षा के संबंध में वास्तविक व्यय था उसके आधार पर अनुदान देना क्या उचित है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

स्थिति यह है कि उस समय तो वह आधार अवश्य वैज्ञानिक नहीं था, परन्तु जो आधार उस समय था उसके बाद जिन परिषदों ने जितना व्यय बढ़ाया वह उनको मिलता रहा और जो सरकार की ओर से दिया जाता रहा, वह बना रहा । उसके बाद सरकार की ओर से जितनी स्कीमें गयीं उनमें आवश्यकतानुसार परिषद् बढ़ती गयी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

उत्तर में बतलाया गया है कि परिषदों का अनुदान उनके व्यय का २० से ९५ प्रतिशत तक था तो इतना बड़ा फर्क क्यों है, इस पर आज तक विचार क्यों नहीं किया गया और बराबर जिला-परिषद्, बुलन्दशहर के साथ इस प्रकार ज्यादती क्यों हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सन् २२-२३ में हुकूमत चुनी हुई नहीं थी। उस समय जो परिस्थितियां थीं, वह भी बदल चुकी हैं। फिर भी जो प्रतिशत आज दिया जाता है वह किसी भी प्रकार से ७२ परसेंट से कहीं भी कम नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

जब सरकार ने यह आदेश जारी किया कि दर्जा ६ तक फीस माफ रहेगी, तो उन्होंने फीस को माफ कर दिया और उसके कारण तमाम रुपया बकाया पड़ गया। तो क्या सरकार ने उस रुपये को दिया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

जिला बुलन्दशहर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, उस ओर सरकार क्यों ध्यान नहीं देती?

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, और परिषदों के मुकाबले में बुलन्दशहर के लिये कम अनुदान दिया गया। तो क्या सरकार वहां के लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, शिक्षा देने का काम पवित्र काम है। उसे जिला परिषदें भी दे सकती हैं और शासन के द्वारा भी दिया जा सकता है। कुछ जिला परिषदें काफी दिन पहले से इस पवित्र काम को कर रही थीं। जो बढ़ा हुआ उत्तरदायित्व था उसको सरकार ने अपने ऊपर लिया था और उसने उ ा धन को देना शुरू किया। जो जिला परिषदें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम खर्च करती थीं, उनका अनुदान भी कम रह गया और जो उस वक्त अधिक खर्च करती थीं उनका अनुदान अधिक रह गया .....

एक सदस्य--

उसमें परिवर्तन कीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश--

उसमें परिवर्तन का सवाल नहीं उठता। जिला परिषदों के पास भी जनता से ही पैसा आता है, सरकार के पास भी जनता से ही पैसा आता है। तो म यह निवदन कर रहा था कि उस हिसाब से ही अनुदान दिया जाता रहा है और उसमें इसी कारण से प्रतिशत में फर्क आ जाता है। यह शिकायत और परिषदों की भी जोरों से आ रही है।

श्री उग्रसेन--

संभवतः ६२ परसेंट सरकार खर्च करती है और ३८ परसेंट जिला परिषद् खर्च करती है। तो इस दो अमली हुकूमत को चलाने का शिक्षा मंत्री जी का क्या प्रयोजन है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

हुकूमत तो दोअमली नहीं है। यहां से तो शिक्षा की नीति के संबंध में ही कुछ बातें जाती हैं। जब यहां से यह आदेश जाते हैं कि इतने स्कूल खोल दो, इतने मास्टर रख दो, तो उस संबंध में शासन उसका व्यय भार वहन करता है।

जहां तक प्रतिशत की बात है तो कुछ जिला परिषद् पहले ही अधिक खर्च कर रही हैं और दूसरे जिला परिषदों को खुद भी अधिकार है कि वह अधिक स्कूल बढ़ा दें। अगर किसी जिला परिषद् को शासन द्वारा ५० स्कूल निर्धारित हुये तो वह ५५ खोल सकते हैं अपने साधनों के द्वारा, इसलिये प्रतिशत एक नहीं हो सकता। अगर कोई जिला परिषद् तेज काम करना चाहती है तो कर सकती है।

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स

*१६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान भवन में स्थित सरकारी सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कितने ऐसे हैं जिन्हें सरकारी क्वार्टर एलाट किये गये और कितने ऐसे हैं जिन्हें नहीं किये गये ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

विधान भवन में स्थित सचिवालय में २६१ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर प्राप्त हैं और शेष २३८ कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये जा सके हैं।

*१७—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाये जायेंगे ? यदि हां, तो वे कब तक बनाये जायेंगे, और किस स्थान पर तथा इन कर्मचारियों को कार्यालय में अधिक से अधिक समय तक कार्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, इसको देखते हुये क्या सरकार विधान भवन के करीब ही क्वार्टर बनवाने की योजना पर विचार करेगी ? क्या सरकार जब तक उक्त क्वार्टर नहीं बन जाते तब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनको क्वार्टर नहीं मिले, उनको क्वार्टर एलाउन्स देने की कृपा करेंगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये २०० क्वार्टर बनाने की योजना जिसकी लागत ४,४८,६०० रु० भूमि की कीमत सहित है, स्वीकृत कर दी है और विधान भवन के नजदीक या आस-पास भूमि लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय इन कर्मचारियों को जिनको क्वार्टर नही दिये हैं, भत्ता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१८—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकारी क्वार्टर सीनियरिटी से एलाट किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने उक्त कर्मचारी ऐसे हैं जो दस-दस साल से स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और आज तक उनको सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर Seniority ज्येष्ठता के आधार पर ही देने का निर्णय किया जा चुका है। यह सही है कि इस समय ५३ ऐसे कर्मचारी हैं जो दस-दस साल से स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं पर जिन्हें क्वार्टर नहीं दिये जा सके हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि काफी तादाद में कर्मचारी बिला क्वार्टर्स के हैं, कोई निश्चित समय बतायेंगे जब तक इस स्कीम को मुकम्मिल करा देंगे कि उनको क्वार्टर मिल जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायगा ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के अलावा जो विधान सभा के सदस्य हैं, उनके लिये भी कमरे का प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हालांकि इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन उनका भी इन्तजाम करेंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

इस बात को देखते हुये कि जमीन का इन्तजार है जो नहीं मिलती तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो जमीन काफी पड़ी है आई०टी० कालेज के पीछे, उस पर क्वार्टर बनवाने की कोशिश करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

कई जमीनों पर हमारी नज़र है ।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुये कि ५३ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें १० साल के बाद भी रहने के लिये जगह नहीं मिली तो ऐसा प्रबन्ध मंत्री जी करेंगे कि अगर ५ साल किसी कर्मचारी को हो जायं तो क्वार्टर का भत्ता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

भत्ते के लिये रूल प्रोवाइड नहीं करता ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी इस बात का ध्यान रख करके कि मकानों के मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और किराया बढ़ रहा है, मकानों के बनने में भी २-४ साल लग सकते हैं तो निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये कोई तात्कालिक व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बनवा रहे हैं, यही बात सोच रहे हैं ।

*१९--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

[हटा दिया गया ।]

जमनहा ग्राम का स्कूल

*२०--श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, चरदा, जिला बहराइच में जमनहा ग्राम में जो राजकीय मिडिल स्कूल है, उसको जल्द से जल्द हाई स्कूल बनाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं । क्योंकि इस क्षेत्र में कोई राजकीय मिडिल स्कूल ही नहीं है ।

नानपारा–नवाबगंज मार्ग

*२१—श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार नानपारा-नवाबगंज मार्ग को जो इस समय बहुत खराब हालत में है और जिस सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी पूर्णतया पक्का नहीं किया है इस पर तारकोल वगैरह डलवा कर पूर्णतया उसका निर्माण शीघ्र से शीघ्र करवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस मार्ग की सतह ईंट की गिट्टी से कुटी हुई है और इसकी हालत सन्तोषजनक है। इस सड़क पर तारकोल डालने की अभी कोई योजना नहीं है ।

*२२—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[४ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३–२४—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

[६ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न २९–३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

[१४ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

बोर्ड आफ रेवेन्यू का एकाउन्ट्स आर्गेनाइजेशन

*२६—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर), (अनुपस्थित) तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के Accounts organisation के क्या-क्या "functions and duties" हैं तथा इसमें कर्मचारियों के कौन-कौन से वेतन-क्रम (Pay scales) लागू हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

*२७—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (अनुपस्थित)—

उपरोक्त संस्था में कितने नान-गजेटेड कर्मचारी हैं तथा उनमें से कितने ऐसे हैं :—

(१) जिनकी वेतन वृद्धि (maxim of the scale) अन्तिम लक्ष्य तक पहुंच जाने के कारण पिछले तीन वर्षों से ज्यादा से तथा ५ वर्षों से कम से अवरुद्ध हो चुकी है ?

(२) जिनकी वेतन वृद्धि पिछले ५ वर्षों से अधिक परन्तु आठ वर्षों से कम समय से अवरुद्ध है ?

(३) कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वेतन वृद्धि पिछले आठ वर्षों से ज्यादा समय से अवरुद्ध है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २६–२७ श्री नाथूराम शिक्षक ने पूछे ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में २३७ नान-गजटेड कर्मचारी हैं ।

(१) २६

(२) ६०

(३) २ ।

*२८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[६ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स

*२९—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां, तथा श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स का आफिस लखनऊ में कौन से सन् में स्थापित हुआ और अब तक इस दफ्तर में कितने जिलों के गजेटियर्स तैयार हो चुके हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स का दफ्तर लखनऊ में सन् १९५७ में स्थापित हुआ था । अब तक ८ जिलों के गजेटियर्स इस दफ्तर में तैयार हो चुके हैं । दो छप गये हैं । छः छपने को हैं ।

*३०—श्री मैनेजरसिंह (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स तैयार करने में उक्त दफ्तर को कितना समय और लगेगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१५ वर्ष का समय लगने की सम्भावना है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इस आफिस ने ५ साल में केवल २ गजेटियर्स क्यों छापे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् ६२ में एमरजेन्सी डिक्लेयर होने पर यह काम ससपेंड कर दिया गया था अब रिज्यूम हुआ है, तो कुछ देर हो गई ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

किन ८ जिलों के गजेटियर्स छप गये हैं, और किन किन जिलों के छपने के लिये प्रेस में हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बाराबंकी, सीतापुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ और झांसी के प्रेस में हैं । चालू बरेली, इलाहाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़ और लखनऊ और फैजाबाद के छप गये हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

कितने कर्मचारी इस दफ्तर में काम करते हैं और किस तरह से इतना ज्यादा काम करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

तादाद नहीं बता सकता हूं । नोटिस चाहिये । लेकिन ठीक तरीके से अपनी ड्यूटीज को अन्जाम देते हैं ।

*३१-३३---श्री कल्पनार्थसिंह---

[१४ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर जिले में निर्माण-कार्यों के लिए टेण्डर

*३४---श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के टेम्पोरेरी और प्रान्तीय खंड विभागों के दो वर्षों के अन्दर किस-किस काम के टेंडर मांगे गये और किस-किस तारीख को तथा सब से निचले टेण्डर को स्वीकृत किया गया या किसी दूसरे का ? यदि हां, तो क्यों और क्या किसी अन्य प्रकार काम कराये गये ?

*३५---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन कामों के लिये टेण्डर मांग कर भी काम नहीं दिया गया उससे या अन्य प्रकार काम कराने में सरकार को कितना नुकसान या लाभ हुआ और यदि लाभ हुआ तो अन्य ठेकेदार को उस कम रेट पर जिसका सबसे कम टेण्डर था राजी किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

इन प्रश्नों से सम्बन्धित सूचना एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्रश्न का उत्तर देने से अपेक्षित लाभ के अनुकूल न होगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

अध्यक्ष महोदय, अगर आप उचित समझें तो सरकार को कहें कि फिर से इन प्रश्नों का उत्तर दें । आप अध्यक्ष की हैसियत से सवालों को स्वीकार करके सरकार के पास भेजते हैं और वह उत्तर देना स्वीकार कर लेती है, तब हाउस में आते हैं । तो जो उत्तर दिया है उस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---

इसको मैं देख लूंगा ।

बोर्ड की परीक्षा में नकल करने वाले लखनऊ केन्द्रों के परीक्षार्थियों को दण्ड

*३६---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९६२ में लखनऊ नगर के विभिन्न केन्द्रों से कितने-कितने छात्र परीक्षा में नकल करने के अभियोग में पकड़े गये तथा कितने ऐसे मामले बोर्ड के विचाराधीन आये, जिनमें कि परीक्षकों ने लखनऊ के छात्रों की कापियां जांचते समय नकल के सन्देह की रिपोर्ट की ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

क्रमशः ३८ तथा २८ परीक्षार्थी ।

*३७---श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त केसों में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

१३ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित किये गये, ७ के परीक्षाफल रद्द तथा ४६ परीक्षार्थियों की १९६२ की परीक्षा रद्द करने के साथ-साथ १९६३ की परीक्षाओं से वंचित किया गया।

*३८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ केन्द्र के इंटरमीडियेट रसायन शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के जिन छात्रों के विरुद्ध नकल करने की सूचना परीक्षकों द्वारा दी गई थी, उन छात्रों पर क्या आरोप थे तथा क्या दण्ड दिया गया तथा इसी प्रश्न-पत्र के अग्रवाल कालेज, लखनऊ के जिन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परीक्षक ने नकल करने की सूचना दी थी, उन पर क्या आरोप थे तथा क्या दण्ड दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ केन्द्र पर इन्टरमीडियेट रसायन शास्त्र विषय में किसी परीक्षार्थी के विरुद्ध नकल का आक्षेप नहीं था। हां, गणित प्रथम प्रश्न पत्र में परीक्षक द्वारा १२ परीक्षार्थी संदिग्ध पाये गये थे, किन्तु उनके विरुद्ध नकल का काफी प्रमाण न मिलने के कारण उनके परीक्षाफल घोषित कर दिये गये थे।

अग्रवाल इंटर कालेज, लखनऊ केन्द्र पर रसायन शास्त्र प्रथम-पत्र के प्रश्न संख्या १—आंकिक (numerical) में सात परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षक ने नकल करने का आक्षेप किया था। इन सातों परीक्षार्थियों की इंटर परीक्षा, १९६२ रद्द करने के साथ-साथ उन्हें बोर्ड की १९६३ की परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया गया था।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ४६ परीक्षार्थियों पर कौन-कौन से आरोप थे और कौन से सिद्ध हुए ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, यह तो बोर्ड करता है। शिकायत के बाद विद्यार्थी को नोटिस दिया जाता है। सफाई के बाद जिन्हें दोषी पाते हैं उन्हें सजा देते हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन आरोपों में उन्हें वंचित किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नकल के केसेज हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

आखिर कौन से ऐसे प्रमाण आपको चाहिये थे जिनसे यह सिद्ध होता कि ये नकल कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष—

आप इन बच्चों के पीछे क्यों पड़े हैं ? अब पास हो गये।

बाराबंकी जिले में स्कूलों का इन्स्पेक्टिंग स्टाफ

*३९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में इंस्पेक्टिंग स्टाफ में प्रत्येक अधिकारी (एस० डी० आइज० को छोड़कर) इस समय कौन-कौन हैं और वे इस जिले में किन तारीखों से काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसे केवल दो अधिकारी हैं। एक श्री एम०एम० एल० मेहरा, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा दूसरे श्री हरस्वरूप सक्सेना, उप विद्यालय निरीक्षक। श्री मेहरा बाराबंकी जिले में दिनांक १७ जुलाई, १९६३ से तथा श्री सक्सेना दिनांक १० सितम्बर, १९६३ से कार्य कर रहे हैं।

*४०—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

इन अधिकारियों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें क्या-क्या हैं और किन तारीखों में यह लोग कन्फर्म हुये, क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे लोग जो टैम्पोरेरी काम कर रहे हैं कब तक कन्फर्म हो जावेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री एम० एम० एल० मेहरा, एम० ए०, टी० डिप० (लन्दन) हैं तथा दिनांक २ अगस्त, १९६३ से कन्फर्म किये जा चुके हैं।

श्री हरस्वरूप सक्सेना, हाई स्कूल, बी० टी०सी० हैं। यह एस० डी० आई० के पद पर दिनांक २० सितम्बर, १९५० से स्थायी किये गये थे पर उप-विद्यालय निरीक्षक के पद पर अभी कन्फर्म नही हुए।

उप-विद्यालय निरीक्षक के पद पर श्री सक्सेना तभी स्थायी किये जा सकते हैं जबकि वह विभागीय चुनाव समिति द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिये चुन लिये जांय।

*४१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

उक्त अधिकारियों में से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने सितम्बर, सन् १९६३ से मई सन् १९६४ तक हर मास किन-किन तारीखों में कहां-कहां दौरा किया और कितना-कितना टी० ए० प्राप्त किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसकी †सूचना संलग्न तालिका "क" तथा "ख" पर अंकित है।

*४२-४४—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

[१४ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

[६ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६-४७—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[१४ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

शाहपुर ग्राम में चकबन्दी न होना

*४८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद की पूरी तहसील मंझनपुर में चकबंदी हो रही है, तो क्या कारण है कि उक्त तहसील के ग्राम शाहपुर को चकबंदी में शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री रामकुमार शास्त्री--

तहसील मंझनपुर के ३१६ ग्रामों में से केवल १५६ ग्रामों में चकबंदी हो रही है। शाहपुर ग्राम का अधिकांश क्षेत्रफल वर्षा से जलमग्न होने तथा जमीन के कटाव के कारण चकबंदी के योग्य नहीं है।

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार वहां खाली जमीन की चकबंदी कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१,५६२ एकड़ जमीन है। उसमें से १,१४० एकड़ नाकाबिल चकबंदी है। चौथाई के करीब जमीन चकबंदी के लायक है। कानून यह कहता है कि अगर आधे से कम जमीन सूटेबिल है तो उसमें चकबंदी नहीं हो सकती है।

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या बरसात के बाद उस जमीन की चकबंदी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जो बरसात में फ्लड हो जाती है उसकी चकबंदी कैसे हो ? नीची-ऊंची और रैवीन्स की जमीन है। उसे किस के चक में डाल दें ?

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या मंत्री जी इस गांव की सारी परिस्थितियों को देखने के लिये एक कमेटी नियत करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उसका अध्ययन हो कर ही निर्णय लिया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

जिस जमीन में चकबंदी नहीं हो रही है उसकी किस्म जमीन क्या है और उसमें कौन-सी फसल बोई जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उसमें धान बोया जाता है, वह बह जाता है। अगर पानी जल्दी निकल गया तो उसमें जौ छिड़क देते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या सरकार चकबंदी कानून में इस प्रकार का संशोधन करने की कृपा करेगी कि सभी प्रकार की भूमियों की चकबंदी हो जाय तथा किसी और दूसरे प्वाइंट पर जमीन को एक्सक्लूड न किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह जनहित में न होगा।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने सवाल किया था कि उस जमीन की किस्म क्या है, वह एक फसली जमीन है या दो फसली, और उसमें क्या बोया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उस जमीन का बहुत सा हिस्सा फ्लडेड एरिया है ।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि .....

श्री अध्यक्ष—

आपके सवाल से इसका कोई मतलब नहीं है सीधी बात यह है कि उनका जवाब यह था कि जिस गांव की आधे से ज्यादा जमीन दरियाबुर्द हो या पानी के अन्दर रहती हो, उसकी नियमानुसार विधि के अन्दर चकबंदी नहीं कर सकते ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि वहां पर धान की खेती नहीं होती, बढ़िया किस्म की वहां जमीन है जो हजारों बीघा है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस जमीन की जांच करा कर उसको भूमिहीनों में वितरित करे अथवा उस हजारों बीघा जमीन को बचाने के लिये कोई स्कीम सरकार की तरफ से संचालित की जाय ।

*४९-५०—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

[१४ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१-५३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

मैनेजर, पब्लिक इन्टर कालेज, सयाना का शिकायती-पत्र

*५४—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनेजर, पबलिक इंटर कालेज, सयाना, जिला बुलन्दशहर ने अपने पत्र दिनांक २६ फरवरी, १९६४ में जो कि डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, फर्स्ट रीजन, मेरठ को भेजा था, क्या-क्या शिकायतें की हैं और क्या प्रार्थना की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

शिकायतें तथा प्रार्थना संलग्न सूची में प्रस्तुत हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०५ पर)

*५५—श्री बंशीलाल (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इसी सम्बन्ध में यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस पत्र के प्राप्त होने के पश्चात् उन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उप-शिक्षा निदेशक, मेरठ द्वारा कथित शिकायतों की जांच की गई । उन्होंने आरोप संख्या २ के अंश के अतिरिक्त अन्य आरोपों को निराधार पाया । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*५६—श्री बंशीलाल (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर से इस सम्बन्ध में क्या कोई जवाबतलब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिला विद्यालय निरीक्षक से आरोप संख्या २ के सम्बन्ध में केवल स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो आरोप मैनेजर की ओर से लगाये गये थे वे बहुत गंभीर आरोप थे, लेकिन उनकी जांच ठीक प्रकार से क्यों नहीं की गयी और अगर की गयी, तो पक्षपात से की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

पहले आप यह तो पूछ लीजिये कि क्या यह जांच गलत हुई ?

श्री मुमजात मुहम्मद खां--

मेरी जाती मालूमात को आधार मानते हुए क्या मंत्री जी इसके ऊपर दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जो जातीय जानकारी माननीय सदस्य की है अगर वे उनको लिखकर देंगे और उनमें कोई बात ऐसी होगी जिसकी जांच नहीं हुई है अथवा जो जांच हो गयी है उसके बारे में उनकी कोई दूसरी राय होगी, तो अवश्य ही उसको देख लिया जायगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

जहां तक मेरी निजी जानकारी है, वह आरोप जो मैनेजर ने लगाये थे वे सही हैं। क्या इसको मानते हुए सरकार दुबारा इसकी जांच करायेगी ? लिखित देने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं यहां इस बात को कह ही रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि मैनेजर के आरोप-पत्र की जांच किस एजेंसी के द्वारा की गयी और जो जांच करायी गयी, क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, यह तो मैंने उत्तर में ही बता दिया कि जांच उप-निदेशक के द्वारा करायी गयी। जितनी भी शिकायतें थीं उनकी जांच कर ली गयी। आरोप संख्या १ जो इस लिस्ट के संख्या २ पर दिखाया गया है, उसके अलावा और सब शिकायतें निराधार पायी गयीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मैनेजर ने जिला निरीक्षक की कौन-कौन सी शिकायतें की थीं और क्या जांच करने वाले अधिकारी ने मैनेजर से उन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त की ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, आप चाहें तो उन सब शिकायतों को मैं पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बतला दें कि हर शिकायत जो उन्होंने की है उसकी जांच रिपोर्ट दी है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, हर शिकायत की जांच उन्होंने की है और उस पर रिपोर्ट दी है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैनेजर द्वारा जो शिकायतें की गयी हैं, उन शिकायतों को इस्टेब्लिश करने के लिये उस मैनेजर को कोई अवसर शिक्षा उपनिदेशक ने दिया या नहीं, इसको माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ऐसे इनक्वायरी की गयी, अब उसके सिलसिले में किसी की क्या राय रही या किसी से सम्पर्क स्थापित किया गया या नहीं, यह पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

श्री कल्पनार्थसिंह जी, आपसे मैं निवेदन कर दूं कि अगर आपको यह सूचना हो कि उनको मौका नहीं दिया गया तब तो आप कहें कि उनको मौका नहीं दिया गया। वरना यह कहना कि किससे पूछा, किससे नहीं पूछा, उनसे पूछा कि नहीं, यह उचित नहीं मालूम होता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

श्रीमन्, मुझे सूचना है कि मैनेजर से कोई सम्पर्क नहीं स्थापित किया गया।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि यह विद्यालय वह विद्यालय है जहां सन् ५७ में शिकायतें पैदा हुईं। वहां सन् ५७ से मैनेजमेंट और स्टाफ में आपस में झगड़ा रहा है और सन् ५७ में यहां तक नौबत आ गयी कि उस कालेज के ग्रान्ट्स-इन-एड को सस्पेंड करना पड़ा। ६ साल तक इस प्रकार के झगड़े की स्थिति रही। फिर वहां की स्थिति कुछ ठीक मालूम होने लगी। लेकिन फिर ६ साल के पश्चात् इस प्रकार की शिकायत महसूस होने लगी और वहां की स्थिति बिगड़ने लगी, आपसी झगड़े होने लगे। इस पर यह सोचा गया कि वहां एक ऐडमिनिट्रेटर की नियुक्ति की जाय, क्योंकि वहां मैनेजमेंट की ओर से शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा और यहां तक कि उनको सजा भी दी गयी। जब ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हुई तो मैनेजमेंट हाईकोर्ट में चला गया और वहां उसने रिट दायर कर दी। रिट के मुताबिक हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति न की जाय और इस तरह से फिर वही मैनेजर साहब आ गये। उन मैनेजर साहब के आने के पश्चात् वहां के स्टाफ को उन्होंने उस तरीके से वेतन वितरण करना चाहा जिस तरीके से वे चाहते थे। उन्होंने उनको कुछ दंड दे रखा था। दंड देने की विधि भी आपने इंटरमीडियेट अधिनियम के द्वारा बना रखी है। कोई दण्ड जब किसी अध्यापक को दिया जाता है तो उस दण्ड की स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक से होनी चाहिए। जांच पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि इस प्रकार की कोई स्वीकृति ली नहीं गयी। अगर माननीय सदस्य की जानकारी में कोई ऐसी चीज हों तो वे मुझे बतला दें, लिख कर दे दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा। इस वक्त जो शिकायतें की गयी हैं उनकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। अगर माननीय सदस्य कोई नयी चीज मुझे बतला दें तो उसकी जांच कराने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा।

*५७-५८--श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

[४ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अकबरपुर तहसील के लेखपाल

*५९—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में कुल कितने लेखपाल कार्य करते हैं और उनमें से कितने कन्फर्म हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

६३ लेखपाल स्थायी तथा ७३ लेखपाल अस्थाई हैं। ४ जगहें रिक्त हैं। कुल जगहें १४० हैं।

*६०—श्री रणबहादुरसिंह (अनुपस्थित)—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो लेखपाल अब तक कन्फर्म नहीं हुए हैं वे कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं तथा लेखपालों को कन्फर्म करने की नीति क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

७३ अस्थायी लेखपालों में ४१ सन् १९५३ से, १ सन् १९५४ से, ९ सन् १९५५ से, ३ सन् १९५६ से, १३ सन् १९५७ से, २ सन् १९५९ से और ४ सन् १९६४ से कार्य कर रहे हैं। कन्फर्मेशन इत्यादि के सम्बन्ध में लेखपाल सेवा नियमावली में नियम दिए हैं।

बिन्दकी तहसील के लेखपालों का भत्ता

*६१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के लेखपाल गत शीत लहर और पाले से हुए नुकसान का कागज तैयार करने के लिए तहसील मुख्यावास में उपस्थित रहे हैं ? यदि हां, तो उन लेखपालों को डी० ए० प्राप्त करने का अधिकार है, डी० ए० न दिए जाने के कारण क्या हैं तथा क्या सरकार उन्हें डी० ए० दिलाये जाने के आदेश जारी करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां। कुल ९३ लेखपालों ने काम किया था। ८२ को दैनिक भत्ता दिया जा चुका है। कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बाकी ११ लेखपाल दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी नहीं थे। परन्तु इस रिपोर्ट से ऐसा प्रकट होता है कि इन ११ लेखपालों म कुछ को इस आधार पर दैनिक भत्ता नहीं दिया गया है कि उनका हल्का तहसील मुख्यावास से ५ मील के भीतर है। भत्ता न देने का यह वैध कारण नहीं है। कलेक्टर से कह दिया गया है कि इन लेखपालों के बारे में फिर से देखकर नियमानुसार जिनका हक है, उन्हें अविलम्ब दैनिक भत्ता दे दिया जाय।

श्री रामकिशोर वर्मा—

जैसा कि उन्होंने उत्तर में कहा कि ९३ लेखपालों ने काम किया और उन में से ८२ को दिया गया और ११ को नहीं दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय से कि बिन्दकी में कितने लेखपाल बाकी हैं कि जिनकी शीतलहर और पाले के कागजात तैयार करने की जरूरत नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कितनों ने काम किया और कितनों को भत्ता मिला, यह सब सूचना तो मंगा ली, अब वह इस का नोटिस देंगे तो वह भी मंगा लेंगे।

श्री रामकिशोर वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि जब सारे सूबे में और तहसील में हर गांव में शीतलहरी और पाला हुआ लेकिन फिर भी आप के बहुत से अधिकारियों ने इस तरह के कागजात छिपाए और नुकसान के कागजात वहां नहीं बनाए गए, तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहां यह कागजात नहीं बनाए गए उनमें कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बहुत सम्भव है कि कहीं पर नुकसान कम हुआ हो और वहां वह कागजात न बने हों, आप नोटिस देंगे तो मैं सूचना मंगा लूंगा।

*६२--श्री रामकिशोर वर्मा--

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले में दीक्षा विद्यालय

*६३--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग ने फतेहपुर जिले में तृतीय राजकीय दीक्षा विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो यह विद्यालय क्या कन्याओं का होगा, और यह जिले के किस स्थान में खुलेगा तथा कब से कार्य प्रारम्भ होगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जालौन जिले में लेखपालों को महंगाई भत्ता न मिलना

*६४--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि माल विभाग में कर्मचारियों के वेतन में ५·०० रुपए की वेतन की वृद्धि एक जी० ओ० नं० जी० १-३७२ एक्स-१०३-६४, ३० मार्च, १९६४ के अनुसार की गयी है ? यदि हां, तो यह वेतन वृद्धि प्रदेश के लेखपालों के वेतन में क्यों नहीं की गयी और विशेष रूप से जालौन जिले के लेखपाल के वेतन में क्यों नहीं की गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

इस जी० ओ० के अनुसार वेतन वृद्धि किसी कर्मचारी की नहीं हुई है। ५ रु० महंगाई भत्ता बढ़ा है। यह वृद्धि १ अप्रैल, १९६४ से ही लेखपालों को भी स्वीकृत हुई है। जालौन के लेखपालों को भी मिल रही है। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग से तारीख २३-६-६४ को आदेश जारी किए गए हैं।

जौनपुर कलेक्टरी में उम्मीदवार क्लर्क

*६५--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्टरेट जौनपुर में सन् १९५९ में परीक्षोपरान्त उम्मीदवार क्लर्कों की कोई सूची तैयार की गई थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां, कलेक्टरी, जौनपुर में आकस्मिक व अस्थायी स्थानों में नियुक्ति के लिए सन् १९५९ ई० में उम्मीदवारों की परीक्षा के फलस्वरूप एक सूची तैयार की गई थी। उक्त सूची की प्रति संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

*६६--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त सूची में से अभी तक कितने लोगों को काम नहीं दिया जा सका?

श्री रामकुमार शास्त्री--

केवल एक उम्मीदवार को छोड़कर जिसने कार्य ग्रहण (Join) नहीं किया, शेष व्यक्तियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अस्थायी रूप से अभी तक काम न दिया गया हो।

*६७--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि १९६२--६३ में भी कोई सूची उम्मीदवार क्लर्कों की तैयार की गई? यदि हां, तो उसमें १९५९ में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां। कलेक्टरेट में आकस्मिक व अस्थायी स्थानों में नियुक्ति के लिए सन् १९५९ में हुई परीक्षा के फलस्वरूप बनाई गई सूची के उन सभी उम्मीदवारों को जिनकी सेवा अवधि १६ अगस्त, १९६१ को ३ वर्ष की पूरी हो चुकी थी, शासकीय आदेशानुसार बनाई गयी पेड अप्रेन्टिसों की अनुमोदित सूची (ए) में रख दिया गया और उनके नाम सेवा अवधि की प्राथमिकता के अनुसार लिखे गए। जिन उम्मीदवारों की सेवा अवधि उक्त तिथि को ३ वर्ष से कम थी, उनको १९६२--६३ में हुई प्रतियोगिता परीक्षा में बाहरी उम्मीदवारों के साथ सम्मिलित किया गया और उनकी प्राथमिकता प्रतियोगिता-परीक्षा में प्राप्त किए स्थान के अनुसार निश्चित की गयी। उक्त परीक्षा के फलस्वरूप ४ उम्मीदवार अनुमोदित सूची (बी) के लिए चुने गए जिनमें से २ उम्मीदवार सन् १९५९ ई० में बनाई गई सूची के थे। जो उम्मीदवार परीक्षा में असफल रहे उन्हें आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में फिर बैठने का अवसर दिया जायेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह १३ आदमियों की जो बाहरी उम्मीदवारों की सूची दी गई है उनमें से किन-किन की नियुक्ति की गयी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

एक को छोड़कर बाकी सब की कर दी गई। यह ए और बी २ तरह की लिस्ट होती है। ए में माल विभाग और दूसरे सरकार के विभागों में जैसे आदेश हैं उनके नाम उसमें कम्पटीशन के बेसिस पर दर्ज किए जाते हैं और जो बाहर के होते हैं उनकी कम्पीटीटिव परीक्षा के बेसिस पर अलग से लिस्ट बी बनती है। एक को छोड़कर बाकी सब को कर दिया गया जैसा कि हमने अभी बताया।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

[३१ जुलाई, १९६४ को प्रश्न ११ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

मलिहाबाद में जमींदारी विनाश अधिनियम का प्रवर्तन

२---श्री रियासत हुसैन---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायगे कि कस्बा मलिहाबाद, जिला लखनऊ में अभी तक जमींदारी विनाश का कानून लागू क्यों नहीं किया गया ? यदि हां, तो वहां पर कब तक यह कानून लागू कर दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मलिहाबाद में कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद सम्बन्धी की गयी कार्यवाही के खिलाफ एक एतराज नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा ५ (१) के अधीन विचाराधीन है। आशा है १ जुलाई, १९६५ को वहां पर जमींदारी विनाश करना सम्भव हो सकेगा।

३---श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

४-५---श्री रणबहादुरसिंह (अनुपस्थित)---

[१८ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

गांव सभा पतनई के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

६---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या राजस्व मन्त्री दिनांक ५ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२, ५३ और ५४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस द्वारा अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई है और धनराशि कुल कितनी जमा हो गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सम्बन्धित मामला पुसिल द्वारा न्यायालय में भेज दिया गया है जहां पर वह विचाराधीन है। जमा हुई धनराशि १,०२३ रु० है।

७---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)---

[हटा दिया गया।]

८---श्री रामकिशोर वर्मा---

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

बांदा जिले में निर्माण-कार्य

९---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश को कालिंजर पक्की सड़क से जोड़ने वाले ढ़ाई मील के टुकड़े को जो पन्ना से सीधी आती है पक्का कराने तथा चित्रकूट स्टेशन से कामदगिर तक के तीन मील के टुकड़े को चित्रकूट उत्थान हेतु पक्का कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

धनाभाव के कारण इन सड़कों को इस समय पक्का कराना सम्भव नहीं है।

१०---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार बांदा से कानपुर व फतेहपुर जोड़ने वाली पक्की सड़क पर यमुना नदी के नाव घाट के स्थान पर चतुर्थ योजना में पक्का पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसद रावत---

इस पक्के पुल का चतुर्थ योजना में सम्मिलित किया जाना मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उस योजना में पुलों के निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि कितनी होती है तथा इस पुल को राज्य में पुल निर्माण की योजना के अन्तर्गत अपेक्षित प्राथमिकता क्या प्रदान की जाती है ।

११-१४---श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी---

[३० अगस्त, १९६४ को प्रश्न संख्या ४१-४४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

मालगुजारी वसूली

१५---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६२-६३ में लगान में आपातिक कर की वसूली कुल कितनी हुई है और कुल रेवेन्यू डिमांड इस कर की कितनी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

आपातिक कर (सरचार्ज) की वसूली १९६२-६३ में कुल ४,५८,५०,३६३ रु० हुई और इस कर की रेवेन्यू डिमान्ड ५,१९,३७,२१५ रु० थी।

१६---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६३-६४ में रेवेन्यू डिमांड कितनी थी और उसकी वसूली अब तक कितनी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

१६९३-६४ की कुल लैन्ड रेवेन्यू डिमान्ड २५,३४,०९,०८२ रुपया है। स्थगित तथा निलम्बित मांग को निकालने के पश्चात् मांग २०,७९,८८,८१७ रु० आती है, उसमें से ३० जून, १९६४ तक की वसूली कुल १३,९१,५४,१७८ रु० हुई।

परसिया ग्राम के अग्नि-पीड़ित हरिजनों को सहायता

१७---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या राजस्व मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि ग्राम परसिया तिवारी, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर की हरिजन बस्ती, मार्च, १९६४ के दूसरे सप्ताह में आग से जल कर भस्म हो गयी है ? यदि हां, तो कितने घर जले हैं और कितने रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इस अग्निकाण्ड में कुल ९ मकान जले। ५ मकान आग रोकने के लिए गिराये गये । कुल हानि अनुमानतः ४,७५९ रु० की हुई।

१८---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों का घर जला है उनको सरकार की ओर से क्या-क्या सहायता और किस तारीख को दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जिन व्यक्तियों की हानि हुई थी उनको ९० रुपया की अहेतुक सहायता (Gratuitous Relief) दिनांक ४ मई, १९६४ को स्वीकृत की गयी।

१९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि इस आग में एक हरिजन लड़का भी जल कर मर गया है? यदि हां, तो इस परिवार को क्या सहायता दी गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। मृत बालक के परिवार को २० रुपये की अहेतुक सहायता (Gratuitous Relief) दी गयी।

बांसगांव तहसील के लेखपाल, श्री राजेश्वरीलाल, के खिलाफ शिकायत

२०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोरखपुर, तहसील बांसगांव के लेखपाल श्री राजेश्वरीलाल के विरुद्ध अप्रैल, १९६३ के बाद उनके हल्के से सभी गांवों के लोगों ने रिश्वत, सुरक्षा कोष के गबन, गलत इन्दराज आदि की बातों पर आवेदन-पत्र जिला अधिकारियों को दिया है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई और क्या उस लेखपाल की वजह से शांति भंग के अन्देशे की भी दरख्वास्त जिलाधीश को दी गयी है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपाल के हल्के के सभी गांवों के लोगों ने इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है।

गोरखपुर तथा फैजाबाद डिवीजन में माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का चुनाव

२१—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, फैजाबाद तथा बनारस डिवीजन के नार्मल स्कूल के अन्तर्गत माडल स्कूल के प्रधानाध्यापकों का चुनाव सन् १९६० से ३१ मार्च, सन् १९६४ के अन्तर्गत कब-कब किन-किन तारीखों तथा सन् में हुआ है? उस में कुल कितने अध्यापक प्रधान पद के लिए चुने गये और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश—

वाराणसी डिवीजन के अन्तर्गत कथित अवधि में प्रधानाध्यापकों का कोई चुनाव नहीं हुआ।

गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजन में प्रधानाध्यापकों का चुनाव उक्त अवधि के अन्तर्गत १५ अप्रैल, १९६३ ई० को हुआ। तीन अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद के लिए चुने गये। उन में हरिजनों की संख्या शून्य थी।

श्री कृष्णनगर इन्टर कालेज, बरहज के अध्यापक, श्री बी० ए० खां, का मामला

२२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री जी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि श्री कृष्णनगर इन्टर कालेज, बरहज, जिला देवरिया की प्रबन्ध समिति के फैसले के विरुद्ध डिप्टी डाइरेक्टर एजूकेशन, गोरखपुर

ने २७ सितम्बर, १९६१ को अपना फैसला कई मास्टरों को अवैध रूप से न निकालने के पक्ष में दिया और उसे सरकार के निर्णय के लिए भेजा है? यदि हां, तो उसका निर्णय अब तक क्यों नहीं हो पाया है?

श्री कैलाशप्रकाश--

डिप्टी डाइरेक्टर एजूकशन, गोरखपुर ने २७ सितम्बर, १९६१ को एक अध्यापक (श्री बी० ए० खां, सहायक अध्यापक, एस० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरहज, देवरिया) को जिनकी सेवायें रीजनल आरबिट्रेशन बोर्ड के निर्णयानुसार प्रबंधक द्वारा समाप्त की गयी थीं, न निकालने के पक्ष में फैसला दिया गया था। उन्होंने स्वयं सरकार के निर्णयार्थ कोई मामला नहीं भेजा था। किन्तु श्री खां ने जब स्वयं ही शासन को प्रतिवेदन भेजा तो शासन ने यह निर्णय दिया कि रीजनल आरबिट्रेशन बोर्ड, गोरखपुर के निश्चित निर्णय क बाद शिक्षा विभाग को उसमें हस्तक्षेप न करना चाहिए।

२३--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष इस संस्था को कोई अनुदान दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि उसने सरकार के फैसले को मानने से इन्कार कर दिया है? यदि ग्रान्ट दी जा रही है तो उसकी ग्राँट न रोकने की क्या वजह है?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस विद्यालय की प्रबंध समिति को इस मामले में शासन द्वारा कोई आदेश ही नहीं दिये गये। इसलिए ग्रांट रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

२४--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार इस मामले का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपया करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश--

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा

२५--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की हाल की लखा-परीक्षा में गम्भीर अनियमिततायें मिली हैं? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं और सरकार के अनुदान का सही उपयोग हो सके इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कैलाशप्रकाश--

गोरखपुर विश्वविद्यालय की वर्ष १९६३-६४ की लेखा-परीक्षा अभी हो रही है। वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ की लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट स्थानीय आडिटर तैयार कर रहे हैं। वर्ष १९६०-६१ की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय से शीघ्र ही स्पष्टीकरण मांगा जायेगा जिसके उपरांत ही अयिनमितताओं के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

२६-२७--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

"सेवा-रत प्रशिक्षण योजना"

२८—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राइमरी पाठशालाओं के अप्रशिक्षित (अनट्रेन्ड) अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु सचल ट्रेनिंग की योजना चलायी है? यदि हां, तो उसकी भर्ती के क्या आधार हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्राइमरी पाठशालाओं के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए सचल ट्रेनिंग की योजना नहीं वरन् "सेवारत प्रशिक्षण योजना" चलायी गयी है।

२९—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि प्राइमरी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में अध्यापक अनट्रेन्ड हैं उन सभी अध्यापकों को सचल ट्रेनिंग देने की कृपा करेगी जो दो साल या उससे अधिक के अनुभव प्राप्त हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

"सचल ट्रेनिंग" द्वारा प्रशिक्षण का विचार नहीं है।

३०-३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में शिक्षकों का प्राविडेंट फण्ड

३३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की शिक्षा संस्थाओं, स्कूल कालेजों, में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड क्यों नहीं जमा किया जाता है?

श्री कैलाशप्रकाश—

आठ सहायता और पांच बिना सहायता प्राप्त विद्यालय योजना में सम्मिलित नहीं हैं। योजना में सम्मिलित विद्यालयों के कर्मचारियों के प्राविडेंट फन्ड का रुपया जमा तो होता है पर अधिकांश स्कूलों में आर्थिक कठिनाई के कारण समय से नहीं जमा होता है।

३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि ऐसे कौन-कौन से स्कूल और कालेज हैं जिन्होंने अध्यापकों के हिस्से का भी प्राविडेंट फण्ड का पैसा जमा नहीं किया है? इनके विरुद्ध वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

समय से अध्यापक अंश न जमा करने वाले हायर सेकेण्डरी स्कूलों की सूची संलग्न है। उनको बकाया पैसा जमा करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निरीक्षण रिपोर्टों में लिखा जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

३५--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में ऐसे कौन से कालेज हैं जो नियत समय के अन्दर मैनेजर्स रिटर्न जिला विद्यालय निरीक्षक के पास नहीं भेज सके हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--.

प्रस्तावित तारीख १० अप्रैल, १९६४ तक किसी भी कालेज का मैनेजर्स रिटर्न जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ ।

३६--श्री रामकिशोर वर्मा--

[१४ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

बिन्दकी तहसील में लेखपालों का वेतन-क्रम

३७--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के कितने लेखपालों को और कब से लेखपाल सर्विस रूल्स नं० ३४२६/१-बी--१४२२-बी-५८, दिनांक १९ मई, सन् १९५८ की धारा १९ के अनुसार ५५-२-६५ रु० के ग्रेड से वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बिन्दकी तहसील में ९ लेखपालों को तथा पूरे जिले से २६ लेखपालों को इस ग्रेड में दिनांक १-६-६२ से वेतन दिया जा रहा है । लेखपालों का कैडर (Cadre) जिलेवार होता है, तहसीलवार नहीं । फतेहपुर जिले में इस ग्रेड में अभी २६ जगहें और भरने को हैं जिनके लिये कार्यवाही हो रही है । इस ग्रेड में आने के लिये कम से कम दस साल की सेवा आवश्यक है । इससे देर लगती है ।

३८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि क्या प्रदेश की अन्य तहसीलों में उक्त नियम का पालन किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां । कुछ जिलों में जगहें भरी जा चुकी हैं और कुछ में कार्यवाही चल रही है ।

नन्दपुर ग्राम से स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

३९--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत ब्लाक भाग्यनगर में ग्राम नन्दपुर, पोस्ट आफिस दिवियापुर से एक प्रार्थना-पत्र स्कूल खोलने के संबंध में वहां के क्षेत्रीय विकास अधिकारी को दिनांक २० नवम्बर, १९६३ ई० को दिया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां । एक प्रार्थना-पत्र २-११-६३ को दिया गया था, न कि २०-११-६३ को ।

४०--श्री रतीपाल--

यदि हां, तो अब तक वहां पर पाठशाला क्यों नहीं खोली गयी ? क्या सरकार वहां पर पाठशाला खुलवाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

क्षेत्र समिति की दिनांक १२-६-६४ की बैठक में, उक्त प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया । समिति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि जिन ग्रामों में स्कूल हेतु स्थानीय जनता द्वारा भवन निर्माण करवा दिया गया है, वहीं पर स्कूल खोले जाने की सिफारिश जिला परिषद् को की जावे ।

फलस्वरूप, नन्दपुर ग्राम में स्कूल-भवन न होने के कारण यह प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया ।

दीक्षा विद्यालय, शिवपुर में छात्रवृत्ति

४१--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के राजकीय दीक्षा विद्यालय, शिवपुर में सन् १९६२-६३ में प्रवेश हेतु गवर्नमेंट नामिनी कुल कितने छात्राध्यापक थे तथा कितने नामिनी छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सन् १९६२-६३ में एच० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा राजकीय दीक्षा विद्यालय, शिवपुर (वाराणसी) में प्रवेशार्थ ५३ अभ्यर्थी मनोनीत किये गये थे, परन्तु उसमें से केवल ४४ अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया था तथा उनमें से ४२ छात्राध्यापकों को बचत से छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी थी ।

४२--श्री हरिगैनराम--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन उपरोक्त छात्राध्यापकों में से इस साल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी और न देने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी, देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उक्त ४४ छात्रों में से सत्र १९६३-६४ में केवल ४२ छात्र ही विद्यालय में रह गये थे । उनमें से ३८ छात्राध्यापकों को उस वर्ष बचत न होने के कारण छात्रवृत्ति न दी जा सकी । चूंकि ये छात्राध्यापक विद्यालय छोड़ चुके हैं अतएव इनको अब छात्रवृत्ति देने का प्रश्न नहीं उपस्थित होता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्नों के संबंध में कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूं सदन में और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में यह है कि जब किसी सदस्य के तीन से अधिक सवाल तारांकित हों तो चौथा सवाल अतारांकित होगा । आज की सूची को आप देखने की कृपा करें । इसमें क्रम संख्या २५ पर मेरा एक तारांकित प्रश्न है और बाकी जो थे किसी और दिन के लिये टाल दिये गये हैं । मेरा दूसरा प्रश्न अतारांकित कर दिया है और यह क्रम संख्या ६ पर है । तो यह व्यवस्था आपके यहां मेरे विचार से लगातार एक या दो वर्ष से की जा रही है । इस प्रकार की शिकायतें दूर होनी चाहिये लेकिन मुझे खेद है कि शायद आपका ध्यान उस अधिकारी की ओर नहीं जाता जो इसे डील करता है । नियमों में लिखा हुआ है कि जब तीन से अधिक प्रश्न तारांकित हो जायं तो शेष अतारांकित कर दिये जायं । यहां पर एक को तारांकित और दूसरे को अतारांकित करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---

उसको आप लिखकर दे दें तो मैं देख लूंगा ।

कतिपय विषय

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, एक विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार के प्रश्न की एक प्रतिलिपि आप माननीय मंत्री के पास भेज दीजिये ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

श्रीमन्, मैंने सुना है कि आपने देहली में हुई कार्यवाही की प्रतिलिपि मंडल के सदस्यों में बांट दी है तो यह सब सदस्यों को क्यों नहीं बांट दी गयी और कुछ को ही क्यों ?

श्री ऊदल---

आप कौन से मंडल का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

पार्लियामेंटरी मंडल से मेरा मतलब है ।

बाराबंकी तथा देवरिया जिलों में खाद्य के अभाव तथा दूकानें लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामकिशोर त्रिपाठी, मा० रामआसरे वर्मा, मा० गिरजा-प्रसाद, मा० कृष्णाराय, मा० राधेश्याम शर्मा, मा० शिवनाथसिंह, मा० परमाईलाल व मा० रक्षपालसिंह जी की सूचनाएं आई हैं । नियम ५२ के अन्तर्गत श्री रामकिशोर त्रिपाठी का जो प्रस्ताव है मैं पढ़ देता हूं । "प्रदेश के बाराबंकी जिले में खाद्यान्न के अभाव बढ़ते हुए मूल्यों की वजह से त्राहि त्राहि मच गयी है । विगत एक महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में खुली सस्ते गल्ले की दूकानों को वितरण के लिये सस्ता गल्ला नहीं दिया गया है । लोग आम को गुठली का आटा, महुआ खा कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं । जिले की सबसे पिछड़ी तहसील हैदरगढ़ जहां विगत फसल अवर्षण, शीतलहर, नहरी पानी के अभाव से सूख गई थी जिसकी वजह से ग्रामीण जनों की स्थिति चिन्ताजनक है, खास तौर से परगना सुबेहा की जहां लोग तीन तीन दिन तक बिना खाना खाये सो जाने के लिये विवश हैं । बहुत से लोग एक टाइम खाना खा कर जीवन निर्वाह करते हैं ।

इसी प्रकार जिले के सूरतगंज ब्लाक स्थित जद्दपुर निवासी रामसेवक ने भूख से व्यथित हो कर आत्म हत्या कर ली है । तीन दिनों से इस परिवार के लोग भूखों मर रहे थे । अन्न नहीं था । बच्चों को परेशान देख कर उसे जान दे देनी पड़ी ।

इसी प्रकार टाउन एरिया रामनगर दिनांक ३०-७-६४ को दिन दहाड़े लूट ली गई जहां महीनों से खाद्यान्न का अभाव चल रहा था ।"

तो जहां पर लूट का प्रश्न उठा है इसी को मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं ।

एक प्रस्ताव है गिरजा प्रसाद और रामआसरे वर्मा का है । यह इस प्रकार है "३० जुलाई को दोपहर के समय कस्बा नाम रामनगर जिला बाराबंकी में १ रुपया का एक सेर आटा बिक रहा था । महंगी के कारण बाजार में उत्तेजना फैली हुई थी । भूख एवं महंगाई से पीड़ित एक

[श्री अध्यक्ष]

भीड़ ने दूकानों से खाद्यान्न तथा कपड़ों को लूटना आरम्भ किया। लगभग ५० हजार रुपये का सामान लूटा गया। इस घटना से क्षेत्र एवं बाराबंकी जिले में भय तथा आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है।"

एक है कृष्णराय, राधेश्याम शर्मा तथा शिवनाथसिंह का प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत, "देवरिया जनपद में गल्ले के अभाव एवं मंहगी के कारण लोग भूख से मरने लगे हैं। लगातार उपवास पर उपवास हो रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर भी अभी तक गल्ला नहीं पहुंच रहा है। बाजारों से गेहूं, चावल और मोटे अनाज गायब हो गये हैं। इस कारण जनता उत्तेजित हो उठी है। दिनांक २५ जुलाई से २९ जुलाई के बीच जनता ने इन्द्रपुर, बखरा, सुकरौली तथा पथरदेवा बाजारों में गल्ले को लूट लिया।"

इन दोनों प्रस्तावों में जो लूटने की घटना है मैं उसे स्वीकार करता हूं। माननीय खाद्य मंत्री इस पर अपना बयान ३ तारीख को देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

एक सूचना इस संबंध में दे दूं कि देवरिया से लोग आये हैं उनका कहना है कि राशन की दूकानों पर ५००, १००० की भीड़ रहती है और देहात में लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा है। देवरिया की बाजार लुट जायगी। बस्ती, गोरखपुर व देवरिया में बाढ़ भी आ गयी है। मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं वर्ना हमें जेल में पहुंचा दें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

एक मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव था उन्नाव के संबंध में। उस पर निर्णय आपने कब लिया? पूरे प्रदेश में राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं। या तो आप नियम ५२ में बयान ही दिलवा दें और अगर अस्वीकार किया है तो हमें मालूम हो जाय कि किन कारणों से स्वीकार नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव आपने दिया उसे मैंने अस्वीकार किया है। जो कारण हैं उसमें लिख दिये हैं। कार्य-स्थगन प्रस्ताव को न पढ़ने की आवश्यकता होती है न कारण बतलाने की आवश्यकता है। आप आकर मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, कल मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के प्रदर्शन के संबंध में पे कमेटी के बारे में दिया था। आपने कहा था कि उस पर विचार कर रहे हैं। कृपया उसको मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने भेज दिया है।

श्री अवधनारायण प्रताप सिंह द्वारा कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह जी ने एक सूचना दी है कि .....

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि जनसंघ के द्वारा उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, गोंडा में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उनको निलम्बित कर दिया गया है। इस लिये जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

यह आपका आंतरिक मामला है, मुझ से मतलब नहीं है। सूचना इस प्रकार है कि "सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं जनसंघ पार्टी से त्याग-पत्र देकर कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गया हूं। इसकी सूचना आपको देना मैं आवश्यक समझता हूं।"

लोक लेखा समिति में विधान परिषद् के ५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि---

यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के ५ सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचन करें। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे ५ सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के ५ सदस्यों को लोक लेखा समिति में वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचन करें। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे ५ सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पूर्वी जिलों में बाढ़ और वर्षा से हुई क्षति के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि घाघरा नदी में खास तौर से बाढ़ से आजमगढ़, बहराइच और बस्ती के जिलों के कुछ हिस्से प्लावित हैं। इसके अलावा ९ जुलाई से २४ जुलाई तक सारे प्रदेश में खास तौर से आजमगढ़ और बलिया वगैरह में लगातार वर्षा हुई है और सूरज तक नहीं निकला। खरीफ की फसल जो पहले होती है? अरहर और मकई वगैरह की, सारी की सारी डूब गई है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और मेरा ऐसा विश्वास है कि खरीफ की फसल बिलकुल चौपट है और सरकार की तरफ से जहां तक हमारी जानकारी है कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। मैंने १९ तारीख को गोरखपुर के कमिश्नर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने निवेदन किया था कि इन हिस्सों में बहुत तबाही है और सहायता दी जानी चाहिये। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सहायता पहुंचाने का हुक्म दिया था। लेकिन कोई सहायता नहीं पहुंचाई गयी है। ऐसे समय में मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी से निवेदन कर दें कि जहां बाढ़ आई है और वर्षा से नुकसान हुआ है उसके संबंध में सदन को जानकारी करायें।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि अन्न की समस्या सारे प्रदेश में है और पूर्वी जिले खास तौर से अभावग्रस्त रहे हैं और उनकी हालत बहुत ही बदतर है। ऐसी सूरत में भी सरकारी

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

पावने की वसूली बड़ी बेरहमी से हो रही है । मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत भी एक सूचना दी थी किन उसको आपने स्वीकार नहीं किया मैं चाहता हूं कि सरकारी पावने की वसूली बंद करा दें । ीर प्लावित क्षेत्रों में क्या कार्यवाही की गई है इसके संबंध में सदन को जानकारी करा दें ।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद-- (क्रमागत)*

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

कल नेता विरोधी दल के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं यह कह रहा था कि उसमें जो ख्य आरोप सरकार के विरुद्ध लगाये गये हैं वह यह है कि खाद्य समस्या इस समय बड़ी जटिल है और पूरे प्रदेश में लाखों नर-नारी अपने भोजन के लिये सहारा नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग भूखों मर रहे हैं । वास्तव में इस समय खाद्य समस्या बड़ी जटिल है । इसके दो कारण सरकार ने बताये हैं । एक तो यह कि केन्द्रीय सरकार ने जितना गल्ला प्राप्त होना चाहिये था उसको नहीं मिला और इसलिये जो गल्ला उचित मात्रा में सस्ते गल्ले की दूकानों से वितरित होना चाहिये था, वह नहीं किया गया । दूसरी बात हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा है और सरकार पर आरोप लगाया है कि यह खाद्य संकट सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आया है । बजट के अधिवेशन में हमारे माननीय सदस्यों ने सरकार को आगाह किया था कि दो-तीन महीने के अन्दर खाद्य समस्या बड़ी जटिल हो जायगी । इसके सिवाय रबी की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश में हुआ है और इन कारणों से ही मैं ही समझता हूं कि हमारी खाद्य समस्या बहुत जटिल हुई है । इनका समाधान होना अत्यन्त आवश्यक था और सरकार का कर्तव्य था कि वह उसको हल करती परन्तु वह अभी तक इसका हल निकालने में असफल प्रतीत हो रही है क्योंकि जो समाचार विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रहे हैं उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश लोगों के पास खाने का सहारा नहीं है । यह समस्या ऐसी है जिसका हर गरीब, अमीर से सम्बन्ध है, हर नर-नारी से इसका सीधा सम्बन्ध है । सरकार और इस आदरणीय सदन के सदस्यों को मिलकर इसे तय करना चाहिये था । मेरी समझ में इसके हल करने के लिये पहला सुझाव यह है कि सरकार केन्द्र से उचित मात्रा में गल्ला मंगावे और शीघ्र से शीघ्र उसका वितरण सस्ते गल्ले की दूकानों से करावे ।

जहां तक वितरण का संबंध है वह बहुत ही दोषपूर्ण है । मई और अप्रैल के महीने में जितना गल्ला इन दूकानों को दिया गया वह बिलकुल ब्लैक मार्केट में गया । उस समय किसानों आवश्यकता न होने से उस गल्ले को लेना पसन्द नहीं किया । सप्लाई विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध यह एक बड़ा भारी आरोप है कि उन्होंने इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया । जिलाधीश, डी० एस० ओ० और इन्स्पेक्टरों का यह कर्तव्य था कि आइन्दा आने वाली खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए सही रूप से उसके वितरण का प्रयत्न करते लेकिन वह इसमें भी बिलकुल विफल रहे । और आज भी अगर वितरण की यही व्यवस्था रही तो चाहे जितना गल्ला आप भेजें, इसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि कभी सही रूप में सबको गल्ला नहीं मिल सकता है । फेयर प्राइस शाप्स पर जब तक आप पब्लिक की, कमेटी को नहीं रखेंगे वितरण के लिए तब तक सही रूप से वितरण नहीं हो सकेगा और गल्ले का उपयोग होने की जगह उसका दुरुपयोग होगा ।

दूसरी सूरत खाद्य समस्या के हल की यह है कि जिन लोगों ने जखीरे जमा कर लिए हैं उनको जैसे महाराष्ट्र, आंध्र और अन्य सरकारों ने आदेश जारी किए हैं कि वह अपने जखीरे को घोषित करें और उनको उचित मूल्य पर खरीद कर सरकार जनता में वितरण करे, वैसे ही सरकार को शीघ्र ही यहां भी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे जखीरेबाजों के पास चाहे वह देहात में हों चाहे शहरों में हों, जो गल्ला जमा हो गया है, वह निकले ।

---

*३० जुलाई १९६४ की कार्यवाही से ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव सप्लाई विभाग और सरकार के विरुद्ध विशेष रूप से आया है किन्तु और भी कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे इर्रीगेशन बिभाग है, इनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। मैं खास तौर पर मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे इस विभाग के मंत्री महोदय इस विभाग को कंट्रोल करने में बिलकुल असमर्थ हैं। इस विभाग में सीमेन्ट वगैरह की इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। ओवरसियर और ठेकेदार मिले हुये हैं और उनके बड़े-बड़े मकान बन रहे हैं। मंत्री जी ने इस विभाग के संबंध में एक नया आदेश भेजा है कि कोई भी पब्लिक कार्यकर्ता इस विभाग के कर्मचारियों के बिरुद्ध शिकायत या और कोई बात न करें। मैं समझता हूं कि यह विधान सभा के मौलिक अधिकारों का हनन है।

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह तय कर रखा था कि इस विवाद में मैं भाग न लूं लेकिन कल हमारे मित्र उग्रसेन जी और राधेश्याम जी ने मुझसे बहुत कहा कि तुम भी कुछ बोलो। अब उनका हुकुम मानना हुकुमसिंह के लिए तो जरूरी है और उन्होंने यह भी हमको अश्योरेंस दिया कि हम खामोशी से सुनेंगे। मैं बुड्ढा आदमी जोर से बोल नहीं सकता। लिहाजा जैसे हमें खामोशी से सुनते रहे वैसे ही हमारे मित्र भी हमको अपनी बात रखने का मौका देंगे।

मैं सबसे पहले अपने भाई धर्मसिंह जी से नम्र निवेदन करूंगा जब उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंन्ट ने गफलत की, दो महीने तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बातचीत न करके गल्ला हासिल करने में कोताही की, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, शायद वह भूल गये, इस दो महीने के अन्दर २७ मई को हमारे देश में एक ऐसी बड़ी घटना हुई, हमारे नेता का इत्तफाक से देहान्त हो गया, उसके बाद जो हलचल सारे संसार और हिन्दुस्तान में हुई, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद सक्सेशन का भी सवाल चला (व्यवधान) जी हां, बहानेबाजी ही करते हैं जैसे आप बहाने करते हैं वैसे ही हम भी करते हैं। क्या बात करते हैं ? जरा संजीदगी से बात करिये। अब हमारी बारी आयी है तो जरा दिल थाम कर सुनिये। इस में भी काफी वक्त लगा। उस समय क्या स्थिति थी, इसको हमारे दोस्त धर्मसिंह जी ने शायद याद नहीं रखा। इन सब बातों की वजह से बहुत सी बातों में सुस्ती हो जाती है जिनका निराकरण नहीं हो सकता।

मैं अपने भाई भानुप्रतापसिंह जी को कुछ कहता नहीं हूं। वह इस वक्त यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे आशा करता था कि वह नवजवान आदमी हैं कुछ मदद करेंगे लेकिन उन्होंने हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया। वह कुछ गलतफहमी में हैं। जहां तक स्वतन्त्र पार्टी का सम्बन्ध है इसमें एक व्यक्ति थे राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह जिनके लिए हमारे दिलों में इज्जत थी और सब के दिल में उनके लिए इज्जत थी। सब लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके पीछे एक पोलिटिकल ग्राउन्ड था। उन्होंने बहुत त्याग किया। नमक सत्याग्रह में भाग लिया और सजा काटी और बड़ी-बड़ी जेलों की मियाद उन्होंने काटी। उनके पीछे एक बैक ग्राउन्ड था। वह कोई बात कहते थे तो अथारिटी से कहते थे और वह एक सन्तुलित दिमाग से बात करते थे। हमारे भानुप्रतापसिंह जी का क्या बैक ग्राउन्ड है ? एक अंग्रेज सरकार के मुलाजिम के खानदान के आदमी हैं। उस सरकार के बड़े लायल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह हमारी सरकार के भी लायल हैं लेकिन इनके पीछे कोई पोलिटिकल बैक ग्राउन्ड नहीं है। ये बड़े फार्म रखते हैं। मैं आशा करता था कि ये बड़े फार्म वाले हैं, कुछ गरीबों की मदद करेंगे लेकिन वे बेचारे इनसे उम्मीद करते रह गए।

वहीं हमारे मुन्नूसिंह जी भी रहते हैं। यह भी बहुत बड़े काश्तकार हैं। हमारे उसी जिले के रहने वाले हैं। हमारे जिले के बड़े आदमी हैं लेकिन जहां तक त्याग करने का सवाल है उसमें यह भी निल हैं। मैं जानता हूं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। एक बार इनके हलके में सूखा पड़ा तो मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां पर गांव-गांव घूमा। लोगों से बातें कीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

लोगों ने मुझसे शिकायत की कि वे साहब यहां पर आते भी नहीं हैं। उन लोगों की जो दिक्कतें थीं उनको दूर करने का हमने प्रयास किया और उन मुसीबतों का निराकरण किया। जब उन लोगों ने हलके के एम० एल० ए० की शिकायत की तो हमने कहा कि जो तुमने गलती की उसको भुगतो। उन्होंने कहा कि आइन्दा सोचेंगे। इस तरह से उनसे जो हमारी आशा थी वह भी पानी में मिल गई। हमारे भानुप्रताप सिंह ने कहा और एक चेतावनी दी कि अगर यह इन्तजाम खाने का नहीं हुआ तो सिविल वार हो जायेगी। यह उन्होंने हमको चेतावनी दी। भानुप्रतापसिंह जी सिविल वार की बात करते हैं। इस समय मुझे रामायण की एक चौपाई याद आ गई :—

"द्विज देवता धरहिं के बाढ़े-कबहु न चढ़ै सुभट रन गाढ़े"।

क्या ये सिविल वार करेंगे ? सिविल वार का सामना करने के लिए यह सरकार मजबूत है। ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर मौजूद हैं। उनमें शक्ति है और वह कर सकते हैं। वह भी ठाकुर हैं, होम मिनिस्टर भी ठाकुर हैं और हम भी ठाकुर हैं। हम सिविल वार को भी देखेंगे और इन सब चीजों को देखेंगे।

कुछ बातें रामसुन्दर पांडेय जी से भी निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

हमारी बात सुनेंगे नहीं। जब हमने आपकी बातों को सुना है तो आपको भी सुनना चाहिए। जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो मुझे सुनाना पड़ेगा। पी० एस० पी०, मरजर, क्या हो गया सब ? पी० एस० पी० के नौरतन तो इधर आ गए। अब तो वहां तलछट बच गया है। इसके बाद उसमें उग्रसेन जी मर्ज हो गए तो वह भी एडल्टरेटेड हो गयी। घी में बनस्पति मिल गया। तो उस लीडरशिप को देख कर तो ऐसा लगता है कि मानों उनका विश्वास इसी नारे में हो कि "साक्षरता का नाश हो, मूर्खता जिन्दाबाद"।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस बारे में आपको जानकारी नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमको जानकारी है। हमको पता है कि कैसे विद्वानों को बैक-ग्राउन्ड में डाल कर आजकल के लीडर्स आगे आये हैं। अब शारदाभक्तसिंह जी बड़े नेता हैं। जरा दिल थाम के सुनिये। बड़े वकील हैं और मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन जूता जब चुभने लगता है तो पिंच करता है। मेरे आर्गूमेंट भी आपको पिंच कर रहे हैं। मैं उनको काबिल समझता था। सोचता था कि बोलेंगे और कुछ सुझाव देंगे, लेकिन सुनने के बाद पता लगा कि वह वहीं के वहीं रहे। मुझे उनसे शिकायत है। हम को उन में कांफिडेन्स था और इसीलिए हमने उनको बुलाया कि हमको इस मामले में सलाह दो। आये और आ करके कहा कि ट्रेडर्स के पास तो गल्ला है ही नहीं। उनके पास गल्ला कैसे बतलाते ! उन्हीं के बल पर तो उनकी वह पार्टी कायम है।

(व्यवधान)

प्रदर्शन का पता लगा कि ट्रेडर्स और जनसंघ का एक ही था। "नेशनल हेरल्ड" के पहले पन्ने पर ही यह छपा है, उसका कंट्रेडिक्शन क्यों नहीं भेजते ? बर्ड्स आफ दि सेम फेदर फ्लाक टुगेदर। एक तरह की चिड़ियां एक साथ बैठती हैं। तो हमको यह शिकायत है। जब उन्होंने कहा कि ट्रेडर्स के पास गल्ला नहीं है तो उग्रसेन जी ने कहा कि नहीं, उन के पास गल्ला है। आपस में उनमें मतभेद हो गया और इसलिए ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस के अलावा

यहां आकर उन्होंने एक नैतिक जुर्म किया। जो नोट उनको वहां मिला उसका इस्तेमाल उन्होंने यहां किया। नेगी जी ने वहां दिल खोल कर अपने कार्ड्स उनके सामने रख दिए ताकि वे ठीक सलाह देने की स्थिति में आ जायं। वहां तो उस पर आपने कुछ कहा नहीं, यहां आ कर उसका इस्तेमाल किया। यह नैतिक पतन है। एक जमात के लीडर से ऐसे व्यवहार की आशा हम नहीं करते थे। लेकिन क्या करें? गवर्नमेंट ने यह गलती की, वह गलती की, लेकिन आपने क्या गलती की? आपने बड़ी भारी गलती की, गलत प्रोपेगन्डा किया। स्टार्वेशन डेथ की गलत-गलत इन्फार्मेशन दीं। नाना जी जनसंघ के खास गुरुजन हैं। डिस्ट्रिक्ट बहराइच में एक मुकदमा हुआ। एक शख्स ने गल्ला चुराया, वह पकड़ा गया और मुकदमा हुआ। तो नानासाहब ने इत्तला दी कि मुल्जिम ने कबूल जुर्म किया और मैजिस्ट्रेट ने हमदर्दी में उसे ५ रुपए खुद दिए। मैंने कलेक्टर और एस० पी० को कंटैक्ट किया तो मालूम हुआ कि सब गलत था। यह भी कहा गया कि उसने फिर जाकर के शर्म से खुदकशी कर ली। सब मामला निर्मूल निकला और सरासर गलत बयानी की गयी। नेता विरोधी दल ने कहा था कि ५०,००० आदमी कौंसिल हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं गया तो देखा कि कुल ३–४ सौ आदमी से ज्यादा नहीं थे। इतना जबरदस्त एग्जैरशन! पालिसी यह है कि १० आदमियों से कहे जाइए, कोई न कोई यकीन कर ही लेगा। उसके एक दिन पहले लाल-झंडी वालों का प्रदर्शन हुआ। बड़ा शोर सुनते थे कि यह होगा, कौंसिल हाउस उलट जायगा....

श्री उग्रसेन---

हमारी हड़ताल देखिएगा, १८ तारीख को होगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह भी देख लेंगे। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं हैं। (मुख्य मन्त्री को संबोधित करते हुए) इन लोगों को कभी कांफिडेंस में लेने की कोशिश न कीजिये, यह हमेशा मौका पाकर धोखा ही देंगे। (कांग्रेस दल को इंगित करते हुए) इनको बुलाइए जिनको नहीं बुलाया। ये हमारी पूरी मदद करेंगे और काफी हैं। हम सब साथी हैं, साथ तैरेंगे, साथ डूबेंगे। (विरोधी दल को संबोधित करते हुए) मुझे आप लोगों में विश्वास नहीं है। मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता आपकी बातों में क्योंकि आप एक बात करते हैं, फिर बदल जाते हैं। हमने लेवी के बारे में तमाम लीडरों से बात की, आपने भी की थी, कुछ गुप्ता जी ने भी की, कुछ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन यहां आकर सब बदल गए। (श्री उग्रसेन के कुछ बोलने पर) कल आपने वादा किया था कि चुप रहेंगे, चुप-चाप बैठिए। मैं अपने कोलीग्स से शिकायत करता हूं कि उनसे कभी मशविरा न करें, अपने साथियों से मशविरा करें, आपका हमें विश्वास नहीं है। (श्री ऊदल के बोलने पर) आप भी मौके पर चीन की तरफ ही जायंगे। आज भले ही कहते हैं कि हम तो सोवियट के पीछे हैं और कोई कहते हैं कि हम चायना के खिलाफ हैं, लेकिन जब मौका आयेगा तो चायना की तरफ जायंगे। आप तो मेल खा सकते हैं जनसंघ से। वैसे बड़ा सोशलिस्ट समाज बनाने की बात करते हैं। आप कैसे स्वतन्त्र पार्टी से मिलाए गए? मुझे शर्म मालूम होती है, आप भले ही न शरमाएं। कहते हैं कि हटा देंगे गवर्नमेंट को। इस तरह से गवर्नमेंट नहीं हटेगी। यह जबतक जिन्दा है तब तक नहीं हटेगी। क्या समझते हो? आप लोग इस गलतफहमी में न रहें, आप सरकार चलाने के काबिल बिलकुल नहीं हैं। हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि हमारे यहां ग्रुपबाजी है। मैं कहता हूं कि अगर आपकी तरफ, आपकी पार्टी में, ग्रुपबाजी न होती तो आज माननीय शारदाभक्तसिंह नेता नहीं होते, दुबे जी ही नेता होते।

अब यह जो एस० एस० पी० है। इसके बारे में मैं क्या कहूं। इसकी तो अभी छठी भी नहीं हुई है।

(हंसी---व्यवधान)

यह जो कहा गया कि कई जगह भुखमरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न हमारे यहां कभी भुखमरी हुयी है और न होगी। हम अपना इन्तजाम कर लेंगे। हमारे पास सब इन्तजाम है। कलेक्टरों के पास इतना पैसा है कि वे भुखमरी नहीं होने देंगे।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

यह कहा गया कि ट्रेडर्स से गल्ला क्यों नहीं निकलवाते ? हम तो तैयार हैं। निकलवायेंगे, आप देखते रहिए। मगर जैसा कल माननीय सैयद अली जहीर साहब ने कहा, जनतन्त्र में इसके दो तरीके होते हैं---एक परसुएशन तथा दूसरा बाई ला। अगर शुरू से ही हम दूसरा तरीका अख्तियार करते तो हम जानते हैं आप बवाल खड़ाकर देते हमारे खिलाफ, उस वक्त आप सब विरोधी दल वाले एक तरफ हो जाते। इसलिए पहले परसुएशन का रास्ता अख्तियार किया।

दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि आप लोग भी सीरियस हैं नहीं। वरना कल जैसा बताया गया, १२१ में से केवल १९ सदस्य ही यहां मौजूद थे। इससे पता चलता है कि आप लोग सीरियस हैं नहीं। तो जब आप खुद सीरियस नहीं हैं, तो हम क्यों हों ? एक शेर है--

"हम वक्त पे नजर रखते हैं, हम दौर-जमाना समझे हैं,
कुछ मजबूरन, कुछ मसलेहतन, कातिल को मसीहा समझे हैं।"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आपका दो मिनट का ही समय रह गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अच्छा तो मैं खत्म किये देता हूं।

श्री अवेद्यनाथ (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है इस समय जो प्रदेश में विषम खाद्य स्थिति पैदा हो गयी है उसको देखते हुए किया गया है। इस प्रस्ताव पर विचार करते समय हम इसको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग यह कि क्या सचमुच प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न समस्या चिन्तनीय है ? दूसरा भाग यह है कि क्या सचमुच सरकार इस खाद्यान्न समस्या के लिए, इसकी जटिलता के लिए, उत्तरदायी है और तीसरा भाग यह है कि इस समस्या का हल क्या है।

श्री उग्रसेन--

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री भाषण करने के पश्चात् जा रहे हैं, वह हमारा भी भाषण तो सुन लें। उनके कमरे में लाउड स्पीकर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

वे स्वयं आकर आपको सुनेंगे।

श्री अवेद्यनाथ--

मान्यवर, यह तीन भाग इस समस्या के हैं, पहला भाग यह है कि क्या सचमुच इस प्रदेश में खाद्यान्न समस्या चिन्तनीय और गंभीर है ? इस विषय पर मैं समझता हूं सारा सदन एक राय है। अन्तर केवल इतना है कि यदि पश्चिमी जिले इस खाद्य समस्या से कुछ दूर तक चिंतित हैं तो पूर्वी क्षेत्र जहां बाढ़ की विभीषिका और इसी प्रकार के दैवी प्रकोपों से प्रतिवर्ष फसल नष्ट हुआ करती है, वहां अनाज की समस्या आज और भी गंभीर हो गयी है। श्रीमन्, कल ही मैंने अखबारों में पढ़ा था कि गोरखपुर में फिर एक दूसरी बाजार लूट ली गयी है। संभवतः सरकार के अधिकारी सरकार को यह खबर करते होंगे कि ये समाज के वे असामाजिक तत्व हैं जो लोगों को बहका कर और वरगला कर बाजार लुटवा देते हैं लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों की स्थिति अत्यन्त भयंकर है। यद्यपि मैं अतिशयोक्ति नहीं करता

और न अतिरंजित बात कहना चाहता हूं कि वहां पर भूख से मौत हो गयी है लेकिन यह सही है कि वहां पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको ४–४ और ६–६ रोज भूखे रहते हो गये। एक दो घर नहीं, हजारों घरों में इस तरह का फाका हो रहा है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यदि स्थिति यही रही और इसी तरह से लोग भूखों रहे तो लोग नंगा रहना पसन्द कर सकते हैं, रहने के लिए अच्छा मकान न मिले तो भी बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा न मिले तो भी वह बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मनुष्य भूखा नहीं रह सकता। वह भूखों मरे और आप पेट भर खायें, आपका कुत्ता भी पेट भर खाए, वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और ऐसा होगा तो वह बाजार लुटेगा। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइन्ट आफ व्यू से यह चीज निन्दनीय हो, असामाजिक हो लेकिन मानवीय दृष्टि से, मैं इसको धर्म समझता हूं। यदि वह भूखा है तो उसका यह नैतिक कर्तव्य है कि जिसके पास है उससे वह छीन ले और मैं इसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यदि आप पूर्वी जिलों की हालत देखना चाहते हैं तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूं कि आप चलें गोरखपुर को देखें, और देखें कि किस प्रकार से हजारों व्यक्ति शहर की तरफ आ रहे हैं और कलेक्टर की कोठी पर हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं। अगर आप यह पूछें कि वे जीवित किस तरह से हैं, तो मैं आपको बतलाऊं कि पिछले तीन सप्ताह से जो आपकी एजेन्सीज हैं, उन्होंने गांवों में गल्ला देना बन्द कर दिया है। अभी-अभी वहां खाद्य सलाहकार समिति की एक बैठक हुई थी जिसके सदस्य विधायक लोग भी हैं। हम लोग भी वहां गए थे। हमने कलेक्टर से पूछा कि आप हम लोगों को बुलाये हैं और यदि आपके पास गल्ला नहीं है तो कौन-सी व्यवस्था आप हमसे कराना चाहते हैं, कौन-सा प्रबन्ध कराना चाहते हैं। हमने उनसे यह भी जानना चाहा कि आपके पास इस समय कितना स्टाक है वह हमें बतला दें लेकिन उन्होंने हमें बतलाया कि इसको बतलाने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार का आदेश है कि किसी को भी स्टाक की पोजीशन न बतलायी जाय। मैंने कहा कि अगर विधायकों को भी स्टाक की पोजीशन नहीं बतलायी जायगी तो फिर हम लोगों को क्यों यहां बुलाया जाता है? मैं आपको बतलाऊं कि यदि आप चाहते हैं कि पूर्वी जिले—खासकर गोरखपुर, देवरिया व बस्ती के बाजार भूखों द्वारा न लूटे जायं तो आप शीघ्र से शीघ्र उन जगहों पर गल्ला पहुंचाने की व्यवस्था करें। आपने शहरों तक गल्ला पहुंचाया है लेकिन देहातों तक आपका गल्ला क्यों नहीं पहुंचा है? यदि तीन सप्ताह के बाद भी आपका गल्ला नहीं पहुंच सका है तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप वहां तक गल्ला जल्द से जल्द पहुंचा सकेंगे।

आज गोरखपुर अपने पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति करने जा रहा है। जिस तरह से बहुत पहले वहां के लोग गोबरी खाते थे, यानी जानवरों के गोबर में से निकले हुए अनाज का आटा पिसवा कर खाते थे उसी तरह का जमाना आज भी आ गया है। लोग महुआ का आटा पिसवा कर, जामुन के फल को उबाल कर उसके बीज का आटा पीस कर खाते थे उसी तरह से आज भी हो रहा है। यदि कोई भी वहां की स्थिति को जाकर देखे तो मानवीय दृष्टि से उसे उन पर तरस आयेगी, दया आयेगी। यदि आप चाहते हैं कि गोरखपुर अपने पुरानी इतिहास की पुनरावृत्ति न करे तो आप इसकी व्यवस्था करें कि वहां जल्द से जल्द गल्ला पहुंच जाय।

दूसरी बात हमें यह देखनी है कि इस परिस्थिति के लिए सरकार कहां तक उत्तरदायी है। सरकार कहती है कि जखीरेबाजों ने गल्ला छिपा लिया है और सेन्टर की सरकार ने हमें समय पर गल्ला नहीं दिया इसीलिए परिस्थिति आ गयी है। आप जानते हैं कि आप ७ करोड़ जनता के कस्टोडियन हैं और यदि प्रान्त की ७ करोड़ जनता को जीवित रखना है तो आपका यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वह आपको गल्ला दे और नहीं तो आप रिजाइन करें। हम कहते हैं कि माननीया सुचेता कृपालानी जी सेन्ट्रल फूड मिनिस्टर के खिलाफ सत्याग्रह करें और हम भी उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं अगर इसकी नौबत आवे। लेकिन मैं जानता हूं कि वे सत्याग्रह करने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि वे इसके लिए तैयार होतीं तो इस तरह की स्थिति इस प्रान्त में कभी पैदा ही नहीं होती। अगर यही हालत रही तो मेरा कहना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कौन कहे, चौथी पंचवर्षीय योजना में भी

[श्री अवेद्यनाथ]

पूर्वी जिले अन्न के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि जान-बूझ कर सरकार द्वारा यह परिस्थिति क्रिएट की गयी है। जब गल्ले का भाव बाजार में बढ़ने लगा तो क्या आप इतना भी नहीं जान सके कि गल्ला बाजार से भाग रहा है और पर्याप्त मात्रा में गल्ला बाजार में नहीं है और इसीलिए भाव बढ़ रहा है? अगर पहले से खयाल किया गया होता तो जो समस्या उत्पन्न हुई है वह उत्पन्न ही नहीं होती। एक दिन में तो कोई यह समस्या उत्पन्न हो नहीं गयी। यह तो हो ही नहीं सकता कि हमारी सरकार को अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान ही न हो कि जब भाव महंगा होता है गल्ला मार्केट से गायब होने लगता है। मैं कहता हूं कि सरकार ने इस समस्या की बराबर उपेक्षा की है और इसमें सरकार का ही सारा दोष है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अपनी एजेन्सी से स्टेट ट्रेडिंग भी करावे और मुक्त व्यापार भी रहे। यदि सरकार के पास स्टाक होता तो बाजार का भाव कभी भी बढ़ने नहीं पाता और बाजार भाव स्थिर रहता। श्रीमन्, अब अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस का इलाज क्या, कैसे इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप केन्द्रीय सरकार को एप्रोच कीजिए और यहां की जो विपत्ति है उसको उनके सामने मजबूती से रखिए और उन को बताइए कि अगर तुरन्त ठीक से इन्तजाम न किया गया तो प्रदेश की ७ करोड़ जनता भूखों मर जायगी। यदि समय पर उपचार न किया गया जो सरप्लस प्रदेश हैं वहां से यहां अधिक से अधिक अनाज मंगाया जाय, हमारे पड़ोस में पंजाब में गेहूं है और वहां वह १६–१७ रुपए मन बिक रहा है। इसके अतिरिक्त जो जखीरेबाजों के पास अन्न छिपा है उसको भी बाहर निकाला जाय। यह काम होशियारी से होना चाहिये, केवल व्यापारियों से समस्या हल नहीं होगी बल्कि आप स्टेट ट्रेडिंग कायम करके ऐसी स्थिति में रहे कि गल्ला हर समय आपके पास रहे और आप जब चाहें उसको बाजार में फेंक कर दाम गिराने की स्थिति पैदा कर सकें। इस तरह से भाव स्थिर रह सकेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब कि विरोधी दल को ऐसे मौके मिलते हैं कि वह भी कोई कांस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकें। इस समय फूड क्राइसिस को लेकर प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई थी जबकि विरोधी दल के नेता और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य एक होकर अपने अच्छे ठोस सुझाव दे सकते थे। उन से आशा तो यह की जाती थी कि इस विषम परिस्थिति का महत्व देखते हुए वह इस बीच में एक स्पेशल एमर्जेन्सी सेशन बुलाने के लिए वह माननीया मुख्य मन्त्री को बाध्य करते और उस में इस गम्भीर समस्या पर अपने सुझाव और सरकार के विचारों से कोई हल निकालते। लेकिन अब २ मास के बाद हम यहां मिल रहे हैं जबकि अपने अपने क्षेत्रों में चारों ओर लोगों ने जाकर जनता की दिक्कतों को देखा है और उसके बाद भी जब हम यहां बैठे तो २८ तारीख का एक दिन पूरा, उस दिन का सारा समय जिस पर जनता का धन व्यय हुआ, पर वह दिन किसी काम में नहीं आया। मैं तो आशा करती थी कि उस दिन आप फूड डिबेट की मांग करेंगे न कि इस तरह से अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। हम उस डिबेट में उन की तरफ से यहां सुझाव सुन सकते थे कि सरकार किस तरह से एक लांग टर्म पालिसी के मातहत यहां का उत्पादन बढ़ा सकती है और कैसे शार्ट टर्म पालिसि को अपनाकर वह बढ़ती हुई आबादी की भूख की परेशानी को वितरण की सुन्दर व्यवस्था के साथ दूर कर सकती है। कब तक हम इस तरह से विदेशों से गल्ला मंगा कर अपनी मुद्रा को फूंकते रहेंगे, कैसे हम अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मैं समझती थी कि वह कोई अर्जेंट स्टेप्स प्रोपोज करेंगे कि जिन को अपनाकर किसी शार्ट टर्म पालिसी के मातहत इस बीच में जो केन्द्र से अलाटमेंट नहीं आया है वह कैसे आए, कैसे प्रेशर डाला जाय इस सब को लेकर वह आसानी से कुछ न कुछ सुझाव दे सकते थे। वह यह कह सकते थे कि क्या कारण है कि २ महीने तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ, क्यों हमारे कोर्सग्रेन को बाहर भेजा गया और बफर स्टाक पहले से क्यों नहीं बनाया गया? हमारे बीच में जो एक जोनल ब्लाक्स की दीवार खड़ी की गयी और गल्ले को यहां आने से रोका

गया उसके कारण हमारे यहां गेहूं और खाने की कमी हो गयी। आज पंजाब में १६–१७ रुपये गेहूं बिक रहा है और कहा जाता है कि वहां आसानी से मवेशियों तक के इस्तेमाल में वह आ रहा है और हमारे यहां इन्सानों के लिए वह नहीं है। हमारे उधर के मित्र गम्भीर दिमाग वाले हैं वह इन चीजों पर अगर गम्भीरतापूर्वक जरा जोर देते तो हम समझते कि उनका प्रयास उचित है लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं तो सोंचती थी कि कानपुर जैसे शहर में जहां की शहर और देहात को लेकर आबादी करीब २५ लाख के है वहां की स्थिति और खाद्य वितरण की परिस्थिति पर विचार किया जायगा। वहां पर जिस तरह के बालिग, नाबालिग, बच्चे बड़े और औरतों को जानवरों की तरह सुबह से शाम तक लाइन में आधी रात से खड़ा होना पड़ता है, हजारों की तादाद में वह १२ बजे रात से एकत्र होते हैं। मैं आशा करती थी कि उस व्यवस्था को सुधारने के लिए विरोधी दलों के सदस्य कोई सुझाव देंगे, वितरण की व्यवस्था में वह कोई नये सुझाव हमारे सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मैं यह भी सोंचती थी कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इन सब बातों को देखते हुए जो संयुक्त खाद्य समिति बनायी थी और २२ तारीख को सभी नेताओं को उसमें शामिल होने का निमन्त्रण दिया था और उन्होंने उस दिन प्रदेश की वास्तविक परिस्थिति पर ईमानदारी से प्रकाश डाला। मैं भी उस मीटिंग में थी और मैंने देखा कि स्पोनटेनिअस आफर नेता विरोधी दल ने अपनी तरफ से दिया था कि यदि हालत ऐसी है तो हम खुद अन्य नेता विरोधी दलों के साथ दिल्ली जायेंगे और केन्द्र से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हमको की जाय। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि जो चीज स्वतः नेचुरल सिम्पैथी के तौर पर कही जाय उस से वह पीछे हट गये। माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि अवश्य जाइये, लेकिन पार्टी में बैठकर उस विषय को राजनीति का मंच बना लिया।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य बराबर यही कहते हैं कि विरोधी दल वालों ने साथ नहीं दिया। मेरा कहना है कि विरोधी दल ने प्रदेश की सही स्थिति सरकार के सामने रखी पर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आप कांग्रेस पक्ष के लोगों का ऐसा बोलना बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह बहस है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

तो मैं कह रही थी कि स्वतः एक बात कहकर बाद में ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी जिससे नेता विरोधी दल अपने वचन से विमुख हो गये? मैं कहना चाहती हूं कि नैतिकता का कोई स्तर होता है। कानपुर ऐसे शहर में अशान्ति फैलाना और जिस प्रकार चुनाव के समय डिमांस्ट्रेशन होते हैं, पब्लिक स्पीचेज होती हैं इस तरह की बातें करने से कहां तक आप असन्तुष्ट जनता को सन्तुष्ट कर सकेंगे। जनसंघ भारतीय परम्परा और सभ्यता का प्रतीक है और नेता विरोधी दल कहते हैं कि यही हमारी सभ्यता है। हिन्दू धर्म में है कि अगर कोई भूखा भिक्षुक घर के सामने आ जाता है तो उसको अपनी रोटी में से तोड़ कर दे देते हैं। अतः जिस सभ्यता के वह नेता हैं उनको चाहिए था कि वह दिल्ली जाकर के, केन्द्र पर जोर डालते लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने वचन से मुकरना उचित समझा। मुझे इसका अफसोस है।

अब मैं कानपुर की वितरण व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। वहां खाद्य की कमी है। सरकार जो उचित समझेगी, करेगी। लेकिन मुझे कहना है कि औद्योगिक नगरी होने के नाते वहां के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस से जो लोग वहां टैनरीज, फैक्टरीज, मिल्स या कम्पनीज में काम करते हैं और गल्ला लेने के लिए अपनी मैन

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

पावर के घंटे राशन की दुकान पर वेस्ट करते हैं वह वहां न वेस्ट कर पायें । इसके लिए मेरा सुझाव है कि उन को गल्ला वहीं अपनी-अपनी फैक्टरीज में मिल जाय। आज जो अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल लाया है उसको हमारी तरफ न करके वे अपनी तरफ मोड़ लें और जनता से पूछें कि जब वह एक नैतिक चीज को राजनीतिक मंच पर लाये हैं तो कहां तक जनता उन पर विश्वास करेगी। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव के बाद जनता से वह अपना विश्वास खुद खो बैठेंगे।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

जो अविश्वास का प्रस्ताव, श्रीमन्, पेश हुआ है और उस पर जो बहस हुई, उसको बड़े गौर से सुना। मैंने राजस्व मन्त्री के भाषण को भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम कलेजे पर पत्थर रखे हैं। मैं समझता हूं कुछ उनसे भूल हुई है। वे कलेजे पर पत्थर नहीं रखे हुये हैं बल्कि उनके कलेजे पत्थर हो गये हैं। उनके कलेजों में जान नहीं है। उनके कलेजों में पब्लिक की तकलीफ का अहसास नहीं है। श्री भानुप्रतापसिंह जी के बारे में माननीय ठाकुर साहब ने कहा कि वे तो हमारे पट्टीदार हैं। उनकी बैकग्राउन्ड नहीं है। कहावत मशहूर है कि "बर्डस् आफ दि सेम फेदर, फ्लाक टुगेदर" लेकिन माननीय गेंदासिंह जी जैसे माननीय सदस्यों के पर पीछे बैठने वाले सदस्यों के परों से मिल सकते हैं, वे माननीय राजस्व मन्त्री और सैयद अली जहीर जैसों से उनके पर नहीं मिल सकते हैं। गेंदासिंह जैसे लोग ईमानदार हैं और उनमें मुल्क की खिदमत के जजबात हैं।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने एक शेर पढ़ा। आज हम मजबूर हुए कि हमें इस सदन में इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा, लेकिन हमको मुसर्रत नहीं होता, हमारा हौसला इससे नहीं बढ़ता। हम मजबूर हो जाते हैं जब हम एक-एक, दो-दो फर्लांग की क्यू देखते हैं और दिन भर खड़े रहने के बाद शाम को मायूस होकर जाते हैं। जब राशन नहीं मिलता है तो रात में पानी पी-पी कर अपनी भूख मिटाते हैं। इस समय सदन में माननीय ठाकुर साहब नहीं हैं और मुझे उनके पीछे कहना पड़ रहा है, मगर मुझे आशा है कि मेरी आवाज उन तक अवश्य पहुंच जायेगी। उन की स्पीच, मैं समझता हूं, वही स्पीच थी जो अमन सभा के प्लैटफार्म से आती थी। आज यहां की जनता भूखी है, नंगी है। कहा जाता है कि कलक्टर साहब को हुक्म दे दिया है। शायद वे ही गंगा जल की बोतल लिये बैठे हों, जो कि मरने वालों के मुंह में डाल देंगे।

श्री उग्रसेन--

श्री अली जहीर के कुत्ते पर तो ८ रुपये प्रति दिन खर्च होते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप बैठ जाइये।

श्री भगवान सहाय--

माननीया मुख्य मन्त्री जी जरा आप ध्यान दें। आप के यहां पर काबिल आदमियों की कमी नहीं है, जिन को पब्लिक की मांग, पब्लिक की तड़पन न हो। आज जो कुछ इस प्रदेश में हो रहा है वह इस सरकार की नीतियों का ही नतीजा है। कांग्रेस के शासन काल में ही आज जनता भूखों मर रही है। इस मुल्क के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर मुर्दों की हालत ही अच्छी है। कम से कम उन्हें पिन्ड के रूप में एक दो सेर अनाज जरूर मिल जाता है। जिन्दगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में घी देखने को न मिले पर मरने पर उस को एक डेढ़ सेर घी भी मिल जाता है। अधिष्ठाता महोदय, आज से चार महीने पहले इस सरकार को इस बात का पता था कि अन्न की भयंकर समस्या आने वाली है। केन्द्रीय सरकार भी गाफिल नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया? इसके अलावा आपने इस स्टेट के बफर स्टाक से २.७५ लाख टन मोटा अनाज और ४० हजार टन चावल एक्सपोर्ट हो जाने दिया जबकि एक मत हो कर उधर के पीछे बैठने वालों ने और इधर के बैठने वालों ने यह घोषणा की थी कि भयंकर समस्या आने वाली है। आपने कहा कि मुकाबला कर लेंगे। हमारे यहां फूड मिनिस्टर का स्टेटमेंट हुआ कि २० लाख टन गल्ला मौजूद है और एक लाख टन गल्ला हर माह के हिसाब से १८ महीने वह प्रदेश को खिला सकेंगे। वह गल्ला कहां है? फिर क्या उन्होंने इस राज्य की जनता का और इस सदन को धोखे में रखने का प्रयत्न किया था और आज भी वही प्रयास जारी है।

ईमानदारी की बात यह है कि इस सरकार को असलियत का पता नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के गोदामों में कितना गल्ला पड़ा हुआ है। केन्द्र की सरकार और यहां की सरकार में चोली दामन का रिश्ता है। दोनों एक ही पार्टी की सरकारें हैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल कर जनता को बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्या सरकार को इस बात का पता है कि हापुड़ जैसी मंडियों में केन्द्रीय सरकार के गोदाम खाली पड़े हैं? हो सकता है कि आप को पता न हो लेकिन व्यापारी इससे गाफिल नहीं हैं। उस को पता है, उसकी इन्टेलिजेंस आपसे अच्छी है। उसको पता है कि उस इम्पोर्टेड गल्ले को छोड़ कर जो बम्बई, मद्रास, कोचीन, कांधला और कलकत्ता के बन्दरगाहों में मौजूद है और कोई गल्ला आ नहीं रहा है। पी० एल० ४८० के मुताबिक जो गल्ला आ रहा था वह ऐग्रीमेंट १ महीने पहले समाप्त हो गया और रेलवे मिनिस्टर पाटिल फिर अमेरिका गये हैं दूसरा ऐग्रीमेंट करने। अगर वह इस में सफल भी होते हैं तो वह गल्ला बहुत देर में आयेगा। और जो इम्पोर्टेड व्हीट आयेगा वह इस से ज्यादा महंगी कीमत पर आयेगा, इसलिए कि इस शासन के निकम्मेपन के कारण और अदूरदर्शिता के कारण पहले का गल्ला बन्दरगाहों पर पड़ा हुआ है और करीब-करीब ४० हजार रुपया प्रति दिन केन्द्रीय सरकार को उस पर डेमरेज का देना पड़ रहा है। फलस्वरूप आज विलायती जहाज के मालिक हिन्दुस्तानी गल्ले को ढोने को तैयार नहीं हैं। उनको सरकारी इनएफिशियेंसी का पता हो गया है। वे ज्यादा दाम लेकर ही उस गल्ले को ढोयेंगे। आज रोजगारी को मालूम है कि किस इलाके में फसल अच्छी होने वाली है, आप की स्टाक पोजीशन क्या है, आप की पालिसी कहां जा रही है। उसे यह सब सरकारी दफ्तरों से और आप से मालूम होता है। केन्द्रीय सरकार और आपकी सरकार के अन्दर उसके पिट्ठू बैठे हुए हैं। होर्डर्स और ट्रेडर्स में चोली व दामन का रिश्ता है। उनको सब बातों का पता रहता है। आज इस प्रदेश के अन्दर जनता के खाने की आदत बदल चुकी है। जो लोग मोटा अनाज खाते थे वे आज गेहूं खाने लगे हैं। आज किसान उन दिनों को भूल जाना चाहता है जब वह होली, दिवाली को गेहूं खाता था और बाकी दिनों में मोटा अनाज खाता था। सरकारी आंकड़े देखें तो गेहूं का एकरेज गिरता चला जा रहा है और यही नहीं बल्कि प्रति एकड़ गेहूं तथा अन्य सीरियल्स की पैदावार भी गिरती चली जा रही है। इसके बजाय कैश क्राप्स बढ़ रही हैं जैसे आलू, मूंगफली, गन्ना वगैरह। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इन चीजों के पैदा करने में उसे ज्यादा और नकद पैसा मिलता है और मार्केटिंग तथा स्टोरेज की समस्या भी उस के सामने नहीं आती है। कृषि के सम्बन्ध में आपकी कोई नीति नहीं है, केन्द्र कहीं है और आपका मन्त्रि-मण्डल कहीं है।

आज तीसरा प्लान पूरा होने जा रहा है। करोड़ों रुपया ऐग्रीकल्चर पर खर्च हुआ। लेकिन उसका नतीजा यह है कि आज हम उससे बदतर हालत में हैं, जहां पहले थे और हमारी अन्न की समस्या हल नहीं हो पायी है। किसान, जो मुल्क की रीढ़ है, जान है, उसकी परेशानियां ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी ऐग्रीकल्चर मिनिस्टरी कहीं है, कोआपरेटिव मिनिस्टरी कहीं है, कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टरी

[श्री भगवान सहाय]

कहीं है, इरिगेशन मिनिस्टरी कहीं है। इन चारों विभागों का चोली दामन का साथ है। ये अलग नहीं हो सकते हैं। यह चारों परस्पर विरोधी गुटबन्दी वालों के पास हैं। आज जराअत के मामले में माननीय चरण सिंह जी के बराबर जानकारी रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन वह क्या कर सकते हैं? उनके बाजू काट लिये गये हैं। जिन विभागों से किसानों की उन्नति होती, मुल्क की उन्नति होती, वे उनसे अलग कर दिये गये हैं। आज एक दूसरे की ये लोग टांग खींच रहे हैं। वह मुल्क की तरक्की के लिए नहीं, कृषि की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को गिराकर सत्ता में आने के लिए।

फूड कमिश्नर का एप्वाइन्टमेंट हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि सारी साजिश इस बात की है कि कांग्रेस के अन्दर गुटबन्दी और मन्त्रिमण्डल के अन्दर गुटबन्दी कायम रखी जाय। मुल्क की तरक्की की बात भुलाकर ये लोग गुटबन्दी कायम रखे हुये हैं। माननीया मुख्य मन्त्री जो यहां पर नहीं हैं। उनका दोष नहीं है। वे कामयाब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अहमियत गुटों की निगाहों में खत्म हो चुकी है। जो सियासी काम वे उनसे लेना चाहते थे उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि मन्त्रिमण्डल में जो आदमी हैं उनका होर्डर्स और ट्रेडर्स के साथ चोली दामन का साथ है। लेकिन आज होर्डर्स के आदमियों के हाथ में शासन हो इसको इस प्रदेश की जनता कभी बरदाश्त नहीं करेगी।

आज कांग्रेस का जो सोशलिस्टिक प्रोग्राम था, उस के सम्बन्ध में मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रदेश के खजाने की गद्दी पर बैठने वाले आदमियों ने उसे तोड़ दिया। नतीजा यह है कि सोशलिस्ट प्रोग्राम के बहुत से मानने वाले यहां बैठे हुये हैं। आज असली कांग्रेसी वह हैं जो यहां बैठे हुए हैं। बहुत से आदमी उनमें से ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनका कन्सर्टेड मूव सोशलिस्ट प्रोग्राम को खत्म करने का है।

अधिष्ठाता महोदय, जरा-सा यह देखें कि इनके राज्य में क्या प्रगति हुई। सन् १९२०–२१ में कुल सींचा हुआ रकबा ३१ परसेंट था, सन् १९३०–३१ में २९.४० परसेंट था, सन् १९५०–५१ में वह ३२.९ हुई। यह वह साल था जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो भी हुआ वह कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ। अब इनका नमूना देखिये, आज १७ साल के बाद उनकी नीति का परिणाम यह है कि कुल सिंचाई का रकबा २३.८ प्रतिशत रह गया है।

आप किसान को क्या प्राइस सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं? जब वह गल्ला पैदा करके देता है तब आप प्राइसेज गिरा देते हैं। गेहूं १० रुपये मन हो जाता है, किसान को फायदा नहीं होता। हमारे जिले के अन्दर साढ़े ४ सेर का धान बिका और आज वही धान २ सेर का बेंचा जा रहा है। जो गेहूं २० रुपये मन का किसानों से खरीद लिया गया वही आज ३६ रुपये मन बेंचा जा रहा है। आप की ट्यूबवेल की स्कीम है। उसके लिए एक विभाग है। टाटा से जो ४ इंच मोटा नल आता है वह ४ रुपये साढ़े ४ रुपये बाजार में मिलता है, वही आप के विभाग में ८ रुपये का है। क्यों नहीं आप होलसेलर्स से लेकर किसानों को देते? पर्शियन व्हील किसानों को डेढ़ दूने कीमत पर मिलती है। परशियन व्हील क्यों नहीं गवर्नमेंट वर्कशाप में बनवाकर बिला प्राफिट लोगों को देते, क्यों आप किसानों को इन भेड़ियों के सुपुर्द करते हैं जिनका सारा का सारा मजहब, सारा का सारा सोचने का तरीका मुनाफा है। इस प्रदेश की जनता चाहे मरे या जिये, इनका धर्म, इनका कर्त्तव्य, मुनाफा कमाना है।

सरकार ने बड़ी डुग्गी पीटी कि हमने रिकवरी के ऊपर गन्ने का दाम निर्धारित किया और वह क्या है। १ रुपया १४ आना ट्रक पर और २ रुपया मन फैक्टरी गेट पर और वहीं क्रशर पर ढाई रुपये तीन रुपये मन दाम देते हैं। कौन सी किसानों से उनको मोहब्बत है? कौन खेती करने वाला नहीं जानता कि रिकवरी क्रशर की अपेक्षा मिलों में दो तीन परसेंट ज्यादा

होती है। लेकिन क्या है, आप की नीति तो प्राफिटियर्स और होर्डर्स की मुआफिकत में है। मैं आप से कहता हूं कि आप अपनी नीति को बदलिये वरना इस मुल्क में यह समस्या आज की नहीं है और यह कह कर आप जो इसे टालना चाहते हैं कि वेदर की वैगरीज हैं, वह टल नहीं सकतीं। १७ साल से क्या बराबर वेदर खराब रहा है। मैं आवाजे बुलन्द कहता हूं कि अगर सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली, समस्या को हल नहीं किया तो समस्या भयंकर हो जायगी। मैंने अभी कहा था कि होर्डर्स से आपका चोली दामन का सम्बन्ध है। उन्नियानी में मण्डल कांग्रेस कमेटी के मेम्बर्स के पास गल्ले की दूकानें। उनके घरों में आज से डेढ़ महीने पहिले बोरे के बोरे पकड़े गये लेकिन एक पर भी मुकदमा नहीं चला इसलिए कि आपका और उनका चोली दामन का साथ है। मैं माननीय खाद्य मन्त्री से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी दोष नहीं है, आप इस जंजाल में फंसे हुए हैं, आप को सही बात नहीं मालूम होती। गुट-बन्दी के शिकार आप भी हो रहे हैं, माननीय सुचेता कृपालानी भी हो रही हैं। आपके यहां ऐसे आदमी हैं जो प्राफिटियर्स और होर्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बिरादरी के आदमी हैं। आज भी चेत जाइये। किसानों की खुदकशी की पालिसी को मत अपनाइये। वह पालिसी अपनाइय जिस से किसानों का भला हो और राज्य का भी भला हो।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ कोई नयी बात नहीं है। लेकिन जिन वाकयात के साये में यह प्रस्ताव आया है, उससे इसकी अहमियत बढ़ गयी है और मैं किसी भी अपन फिकरे से इसक वजन को हल्का करना नहीं चाहता हूं। आज एक भयानक स्थिति खाद्य समस्या को लेकर हमारे सामने है, उसे लफ्जों से नजरन्दाज करने की जरूरत नहीं है। जितनी हम आशा नहीं करते थे, उससे ज्यादा भयानक रूप उसका हुआ है और फैलाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे लिए लाजिमी है कि हम इस मसले पर बहुत संजीदगी के साथ में सोचें। मैं यह मानता हूं कि अकेले सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नेचर भी जिम्मेदार है, कुदरत की भी नाराजगी है और इन्सान का भी काफी इसमें हाथ है और दोनों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज इतने वर्षों की आजादी के बाद मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचक नहीं कि मुझे शर्म है इस बात पर कि १७–१८ साल के हमारे प्रयत्नों के बाद भी हम अन्न की समस्या को यहां तक नहीं सुलझा सके कि कुदरत की जरा सी नाराजगी हो जाय तो उसको बरदाश्त कर सकें। इसके माने यह हैं कि इस मसले पर हमें काफी गौर करना होगा और अपनी समूची ऐग्रीकल्चर पालिसी पर काफी गौर करना होगा। और कुछ बातें भी हैं। हमारी तकसीम की मशीनरी की खराबी ने भी स्थिति को काफी खराब किया है, इसके अलावा लोगों के दिमाग तैयार नहीं थे, एकाएक इन्फेक्शन की तरह से यह मर्ज आया और मैं यह कह सकता हूं कि रोजाना के ऐसे काम्प्लेसेंसी के बयानों से और स्थिति को नजर अन्दाज करने से हो सकता है कि हम बड़े घपले में पड़ जायं।

मैं जाती तजुर्बे से कह सकता हूं, पश्चिमी जिलों में अन्न की समस्या मुकाबिलतन पूर्वी जिलों के अच्छी रहती है। लेकिन आज पश्चिमी जिलों के गांवों में भी स्थिति ऐसी है, आधे से ज्यादा पापुलेशन ऐसी है, मुझे ताज्जुब है कि कैसे आज उनका काम चलता है, कहां से चलता है। ऐसी हमारी जो अव्यवस्था आज हुई है वह हमारे अन्दाजे से बाहर हुई है। अन्दाजा अगर ठीक निकलता है तो मालायें भी पड़ती हैं और अन्दाजा अगर गलत निकलता है तो गालियों से भी हम बच नहीं सकते, उनको भी दिलेरी के साथ हमें अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इस पालिसी को ठीक नहीं समझता हूं कि दूसरे के सिर पर हंडिया फोड़ें। अगर अपोजीशन के लोग अपना फर्ज अदा नहीं करते हैं तो जो हमारा काम है उसको तो हमें करना चाहिए। मुझे पसन्द नहीं आयी यह बात जो कही गयी कि केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। हो सकता है केन्द्रीय सरकार का भी कुछ हद तक इसमें कन्ट्रीब्यूशन हो। मगर सन् १९६१ से आज तक २७ लाख टन का डेफिसिट केवल इसलिए कि ३ लाख टन केन्द्रीय सरकार से वक्त पर नहीं आया जंचने वाली बात नहीं और इसलिए सब दोष उसी पर नहीं डाला जा सकता। हमारा कैलकुलेशन गलत हुआ है

[श्री गोविन्दसहाय]

और एक ही पार्टी की गवर्नमेंट के लिए यह अच्छी बात नहीं लगती है कि हम सेन्टर को जिम्मेदार ठहरायें। सेन्टर और स्टेट अनडिविजिबिल हैं और इस तरह की बात करना पार्टी की ताकत को कमजोर करना है। जो भी ऐसा करते हैं वह कोई मुनासिब रवैया अख्तियार नहीं करते।

जहां तक और बातों का ताल्लुक है तमाम चीजें जहां हुईं। मेरा अपना ऐसा खयाल है कि अगर खाद्य मंत्री बहुत ज्यादा वक्तव्य न देते तो ज्यादा अच्छा होता। उनके वक्तव्य से स्थिति सुधरी नहीं है और मेरा खयाल है कि अगर वह अपने और साथी जो वक्तव्य देने में काफी निपुण हैं उनसे मशविरा कर लेते तो अधिक अच्छा होता। वैसे अकेले उनको जिम्मेदार ठहराना या किसी तरह से उनके ऊपर लान्छन लगाना मुनासिब नहीं है और न यह ठीक मालूम होता है। कहीं भी अकेले फूड मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं होता है।

जहां तक इस अविश्वास के प्रस्ताव का ताल्लुक है इसका दायर वसी है। महज खाद्य समस्या से इसका ताल्लुक नहीं है। जो यहां पर सुझाव रखे गये हैं उसी तरह से मैं भी २, ४ बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूं क्योंकि अविश्वास के प्रस्ताव का क्षेत्र बड़ा है और इन बातों पर चर्चा हुई है। मेरा यकीन है कि पिछले ६, ७ साल से निरन्तर आहिस्ता आहिस्ता इस प्रदेश के अन्दर ब्यूरोक्रेसी फैलती जा रही है और उसका दायरा जो पहले प्रोग्राम को एक्जिक्यूट करना था उससे बढ़कर पालिसी मेकिंग में दखल तक बढ़ गया है। यह एक खतरनाक रुझान है। अगर ब्यूरोक्रेसी की हैसियत आगे बढ़ती है और एक्जिक्यूट करने से आगे पालिसी पर भी हावी होती है तो फिर उसके फैलाव को हम रोक नहीं सकते। आज हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गांव पंचायत में सेक्रेटरी पंचायतों पर हावी होता जाता है। केन सुपरवाइजर केन यूनियन पर और कोआपरेटिव सुपरवाइजर कोआपरेटिव यूनियन पर हावी होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी का फैलाव जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर भी बढ़ता जाता है। मैं आपके जरिये से यह चेतावनी मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं कि यदि इसके फैलाव को नहीं रोका गया तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती है। मुझे तो जानकर ताज्जुब हुआ कि किस तरह से इतनी बड़ी बात यहां पर हो गई और किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया कि किस प्रकार इस प्रदेश के अन्दर ब्यूरोक्रेसी ने ऐग्रीकल्चरल प्रोग्राम को थ्राटल करने के लिये योजना बनाई। हम जानते हैं कि हर महकमे का जिम्मेदार एक मिनिस्टर हुआ करता है, लेकिन यहां पर ऐग्रीकल्चर से सम्बन्धित दूसरी तरह की योजना बनाई गई। मिनिस्टर के मुकाबले में एक प्रोडेक्शन कमिश्नर यहां पर बनाया गया जो कि कैबिनेट की सब कमेटी के प्रति जिम्मेदार होगा। जो कैबिनेट की सब प्रोडक्शन कमेटी है वह उसके प्रति जिम्मेदार होगा। उसकी जिम्मेदारी मिनिस्टर की नहीं है। वह कमिश्नर कैबिनेट की कमेटी के प्रति ही जिम्मेदार है, लेकिन उस सब कमेटी की मीटिंग ६ महीने से अधिक से नहीं हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्रेटरीज का काम पालिसी मेकिंग हो गया है। मुझे हैरत हुई कि इसको मिनिस्टर कैसे बरदाश्त करते हैं। आज पोलीटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के बीच संघर्ष हो रहा है तो इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

एक दो बात की ओर मैं और इशारा करना चाहता हूं। आज जो यह फूड महकमे का एक्सप्लोजन हो रहा है, मेरा खयाल है कि अगर इससे इस वक्त कुछ नहीं सीखा तो कोआपरेटिव में इससे भी ज्यादा होने वाला है। एक एक्सप्लोसिव सिच्वेशन है। आज जो कोआपरेटिव के मिसडीड दिखाई दे रहे हैं, जिनको इस वक्त वैरिफाई करना मुनासिब नहीं है और बाद को मैं चीफ मिनिस्टर को लिख कर भेजूंगा, अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो उसके अन्तर्गत और भी बुरी हालत हो सकती है। कोआपरेशन एक दूसरी बुनियाद है, जिसके अन्दर हमको प्रदेश में कुछ अच्छे काम करने हैं तो उसके अन्दर कम से कम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिये। अपोजीशन की तरफ से कुछ और भी बातें कही गई जिनमें कुछ अभी भी हो सकती हैं। एक बात यह कही गई कि यहां पर सिविल वार हो सकती है। उन्होंने शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो रोटी के लिये हुआ उसे पढ़ लिया होगा। लेकिन हमारे लिये यह बात कहनी मुनासिब नहीं है इसलिये कि हमको

पैनिक से बचना है । हमको वह वातावरण नहीं पैदा करना चाहिये । इसके अलावा मैं अपोजीशन से कहना चाहता हूं कि अगर आप फूड प्राबलम को हल करना चाहते हैं तो यह ठीक है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, लेकिन उस संबंध में जितने भी प्रोग्राम हैं उनको या तो आप मानें या बिलकुल रिजेक्ट कर दें । आप स्टेट ट्रेडिंग को माने और प्राइस फिक्सेशन को न मानें यह नहीं हो सकता । वह तो एक पूरा कोर्स है और उसकी जिम्मेदारी सरकार को है । तो या तो उसे पूरे का पूरा आपको मंजूर करना होगा अथवा रिजैक्ट कर देना होगा ।

इसके अलावा करप्शन की चर्चा यहां बहुत होती है । करप्शन इन बातों से दूर होती है या नहीं यह दूसरी बात है, लेकिन यहां की बात से ऐसा मालूम होता है कि सारे पब्लिकमैन करप्ट हैं । इससे उनका रेपुटेशन बनता नहीं । मैं समझता हूं कि हमारा कोई कोड आफ कंडक्ट होना चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर सदन में किसी के खिलाफ चार्जेज लगाये जायं तो हर इज्जतदार आदमी को उसके लिये मुकदमा चलाने या ट्रीब्यूनल की मांग करने का अधिकार होना चाहिये । यह गलत बात है कि गैर जिम्मेदारी के साथ हम बातें एक दूसरे के खिलाफ कहें । इसकी कहीं रोक होनी चाहिये । अगर मेरे खिलाफ कोई बात कही जाती है तो मुझे अधिकार होना चाहिये कि या तो मैं उसके लिये उसके खिलाफ मुकदमा चला सकूं या डिमांड करूं कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी करा ली जाय ताकि यह सिलसिला खत्म हो । मैं जो बात कहता हूं उस पर अमल भी करना चाहता हूं । चोरों में भी एक कोड आफ कंडक्ट होता है । वे भी अपने मुहल्ले में चोरी नहीं करते । मैं समझता हूं कि इसी तरह पापुलर लीडर्स में भी कोई कोड आफ कंडक्ट होना चाहिये ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मैं भी इसी प्रस्ताव का मूवर हूं, इसलिये मुझे कुछ अधिक समय मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जहां तक समय के वितरण का संबंध है, वह समय प्रस्तावक के रूप में नेता विरोधीदल ने ले लिया है इसलिये मेरी विवशता है । वैसे आप बोलिये ।

श्री गयाप्रसाद—

इसके बाद भी आप मेरा खयाल रखेंगे । अभी खाद्य समस्या के बारे में विवाद चल रहा था. . . . . .

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

हमारी पार्टी के नेता ने लिखकर दिया है आपको कि हमारे दल के लोग इस क्रम में बोलेंगे । तो अगर उसी हिसाब से आप नाम लें तो अच्छा होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

यह मेरा अपना डिक्रिशन है और मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बतला दूं कि केशरी प्रसाद पांडेय जी ने, जो आपके दल के चीफ व्हिप हैं, नामों की एक सूची भेजी है, जिनमें नाम इस प्रकार हैं: गया प्रसाद सिंह, बांके लाल, नाथूराम जी आदि । तो आपका नाम उसमें है । लेकिन उससे मेरे ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता ।

श्री गयाप्रसाद—

मैं कह रहा था कि खाद्य समस्या के संबंध में दोनों तरफ से जो भाषण हुए उनको मैंने सुना । परस्पर प्रहारों से तो खाद्य समस्या सुलझती नहीं और इतने हलके-फुलके ढंग से कांग्रेस की तरफ के बैठने वाले लोगों ने अपने भाषण दिये हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि जो समझ नहीं पाते हैं वह हल क्या करेंगे, न समझने की कोशिश करते हैं । हुकुम सिंह जी का भाषण भी खाद्य समस्या से

[श्री गया प्रसाद]

संबंध ही नहीं रखता था । मैंने जो लिखकर प्रस्ताव में दिया था कि हमारा दृष्टिकोण तो समस्याओं के मूल में व्याप्त भ्रष्टाचार है और वहीं से सारी चीजों की शुरूआत होती है । अगर भ्रष्टाचार इस समाज और सरकारी पक्ष से दूर हो जाय तो बहुत सी समस्यायें आप से आप सुलझ जायंगी । अभी गोविन्द सहाय जी ने कहा कि और बहुत से लोगों ने कहा कि करप्शन का चार्ज लगाने से विधान सभा का स्तर गिर जाता है । मैं तो कहना चाहता हूं कि फिनाइल का प्रयोग न कीजिये, फिनाइल डाल देने से गन्दगी हटती नहीं है । जब बाल्टी में पानी लेंगे और हाथ में झाड़, तब गन्दगी दूर होगी । इसलिये जो चोर है उसको चोर कहना, जो भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचारी कहना है और यह कहने से ही सुधार हो सकता है ।

पिछले बजट अधिवेशन में मैंने परिवहन मंत्री के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार का निश्चित आरोप लगाया और बार बार चुनौती दी । हालांकि परिवहन मंत्री और मुख्य मंत्री ने कभी मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कि यदि मेरे आरोप गलत सिद्ध हो जायें तो जो भी बड़ी से बड़ी सजा दी जा सके वह मैं मानने के लिये तैयार हूं, त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं । सुचेता जी ने कहा कि इसे सतर्कता आयोग के सामने भेजेंगे । १३ तारीख को गुलजारीलाल नन्दा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सतर्कता आयोग बना है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं । २४ जून को सुचेता जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई सतर्कता आयोग बना ही नहीं है, जबकि मेरे पास बीसियों पत्र आये हैं और मेरा केस भी वहीं चल रहा है, ऐज चेयरमैन विजलेंस कमीशन, एक बात जरूर समझ में आयी कि आव-ताव में बना तो दिया लेकिन अब खतरा है । दल के लोगों पर मुसीबत है, भ्रष्टाचार में फंसे हुये हैं, बातें सही हैं, सबूत हमारे पास हैं, इसलिये कांस्टीट्यूशन उसका नहीं हुआ है । उसके सदस्यों की नामावली की घोषणा आज तक नहीं की गयी है ।

एक सदस्य--

खाद्य समस्या पर ही बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रस्ताव के संबंध में माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में काफी भ्रम है । जो प्रस्ताव विरोधीदल की तरफ से आया है और उसके अनुसार हम केवल खाद्य समस्या पर ही अपने को सीमित नहीं रख सकते हैं । अगर कोई माननीय सदस्य खाद्य समस्या से भी अहम कोई दूसरी समस्या समझते हैं तो उस पर उनको बोलने दीजिये, उससे उनकी बात अपने स्थान पर समाप्त हो जाती है।

श्री गयाप्रसाद--

तो जब सतर्कता आयोग के चेयरमैन ने अधिकार मांगा कि उनको गवाहों को सुनने का अधिकार दिया जाय, तो यह लिख कर दिया गया कि इसमें किसी की गवाही लेने की जरूरत नहीं है, हुरमुजी बेगम वगैरह को आपके पास जाने की जरूरत नहीं है और न आप उनको बुला सकते हैं । यह लिख कर गया । तो आप ही समझें कि सही जांच किस प्रकार हो सकती है । मेरे पास भ्रष्टाचार के स्पेसिफिक चार्जेज हैं । मैं किसी भी अदालत में भी जा सकता हूं । अगर इस सतर्कता आयोग ने मना कर दिया तो मैं अदालत में भी जाने को तैयार हूं । मैं आपके सामने, एक मिनिस्टर दत्ता हैं, आर० टी० ओ०, नैनीताल, उनके भ्रष्टाचार का एक केस रखना चाहता हूं ये आचरण भ्रष्ट हैं. . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है, जो अपनी बात यहां नहीं रख सकता है, उसके संबंध में माननीय सदस्य कृपया चर्चा न करें ।

श्री गयाप्रसाद--

नाम नहीं लूंगा । एक आर० टी० ओ० साहब हैं, नैनीताल के, उनका संबंध एक तवायफ. . . .

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, उसकी चर्चा अगर यहां सदन में नहीं हो सकती, उसका नाम अगर यहां नहीं लिया जायेगा, तो फिर उसकी जांच क्या होगी ? इस पर आप पुनः अपनी व्यवस्था दें । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कानून के पंडित होने के बाद भी संभवतः आपको यह बात ज्ञात नहीं है । सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आप चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन यहां उसका नाम नहीं ले सकते ।

श्री गयाप्रसाद--

उन आर० टी० ओ० के पास दो टेलीफोन हैं । एक का नम्बर २०२ है और एक का नम्बर १८४ है । (व्यवधान)

एक सदस्य--

जिस आर० टी० ओ० का आप नाम ले रहे हैं, उसका ट्रान्सफर हो चुका है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्त रहें ।

श्री गया प्रसाद--

हल्द्वानी का नम्बर १८४ है. . . (लाल बत्ती होने पर)
(किसी सदस्य द्वारा हाथ दिखाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह से बीच में हाथ दिखाना ठीक नहीं है. . . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय हुकुम सिंह जी तो नाच नाच कर भाषण देते हैं ।

श्री गयाप्रसाद--

अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं हूं. . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपकी तरफ के माननीय उग्रसेन जी, माननीय मुलतानसिंह जी वगैरह यदि नहीं चाहते हैं कि आप अपनी बात सदन के सामने रखें तो मैं विवश हूं और गयाप्रसाद जी को और समय नहीं दे सकता ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

हमारी पार्टी के सारे सदस्यों का समय आप गयाप्रसाद जी को दे दें, और कोई नहीं बोलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या व्यवधान का समय वक्ता के समय से नहीं काटा जायगा ? व्यवधान दूसरे लोग करते ह । वह नहीं काटेंगे ?

श्री उग्रसेन—

किसी सदस्य का समय आज तक माननीय अध्यक्ष ने या उपाध्यक्ष ने इस तरह नहीं खत्म किया, आप कार्यवाही उठाकर देख लें ।

श्री मैनेजरसिंह—

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपने व्यवस्था नहीं दी और उग्रसेन जी को कैसे बोलने दिया ?

श्री अधिष्ठाता—

जिस समय से मैंने गयाप्रसाद सिंह जी को पुकारा, तब से अब तक लगभग १५ मिनट होने जा रहे हैं । उनका समय खत्म हो गया ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारी पार्टी के लोगों को सारा समय उन्हें देने में आपको क्या ऐतराज है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कह दिया है कि यह नहीं हो सकता है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है कि व्यवधान का समय वक्ता के समय से नहीं काटा जायगा । क्या आप उसके विपरीत रूलिंग दे सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

जब गया प्रसाद सिंह जी बोल रहे थे तब उन्हीं के दल के लोगों ने एक साथ बराबर खड़े होना प्रारम्भ कर दिया । गया प्रसाद जी को मैंने उनके समय के अलावा भी समय दिया, लेकिन वह खत्म नहीं कर पाये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जब गया प्रसाद जी ने आर० टी० ओ० और रंडी की बात कही तो कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने विघ्न शुरू किया था ।

श्री अधिष्ठाता—

गयाप्रसाद सिंह जी के पार्टी के श्री मुलतान सिंह जी ने समय लिया । आप अगर मेरी व्यवस्था से सहमत नहीं हैं तो नियमों में आपको रैमेडी मौजूद है । श्री मुरली धर कुरील अब बोलेंगे ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव.....

श्री मैनेजरसिंह—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं उस पर व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री मैनेजरसिंह—

आपने उस पर व्यवस्था नहीं दी । आप माननीय सदस्यों से उलझे रहे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--

यहां सभी सदस्यों के अधिकार समान हैं । अगर एक माननीय सदस्य को ७ या १० मिनट का समय मिलना है तो उसका अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं ? माननीय गया प्रसाद जी प्रस्तावक थे, उनको समय मिलना चाहिये था ।

श्री अधिष्ठाता--

उनको मैं ७ मिनट दे चुका हूं । उनके दल के नेता माननीय राम सुन्दर पांडेय जी २० मिनट बोल चुके हैं ।

श्री बांकेलाल--

[× × ×] फिर आप नेता की गवाही क्यों देते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने शब्दों को वापस लीजिये ।

श्री बांकेलाल--

मैं वापस नहीं ले सकता । मैं कौन सा शब्द वापस लूं ।

श्री उग्रसेन--

इस कुर्सी पर बैठकर अगर किसी को गुस्सा आ जाता है तो वह अध्यक्ष नहीं रह जाता ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मेरा निवेदन है कि श्री बांकेलाल जी के जिन शब्दों पर आपको आक्षेप है, उनको आप प्रोसीडिंग्स से निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन की मर्यादा के लिये बता देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बांकेलाल जी ने 'पीठ' पर यह आरोप लगाया कि आप स्वयं अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं । यह चेयर के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप है । इन्हीं शब्दों को मैंने वापस लेने के लिये आग्रह किया था । इसमें वे समझते हैं कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति का अपमान किया है । यह इस सदन की सबसे अधिक सम्मानप्रद जगह है, उसका तथा सदन के नियमों का उन्होंने असम्मान किया है । इसलिये सदन की मर्यादा की रक्षा के नाम पर मैंने उनसे यह आग्रह किया था कि आप अपने शब्दों को वापस लें लेकिन उनकी समझ में ऐसा आता है कि शायद इसमें कोई व्यक्तिगत बात है । मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, इसलिये मैं यह व्यवस्था देता हूं कि माननीय बांकेलाल जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे ।

श्री बांकेलाल--

मेरी बात सुन लीजिये । मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आप मेरी व्यवस्था मान चुके हैं तो आपको बैठ जाना चाहिये ।

श्री बांकेलाल--

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं.....

[×] निकाल दिया गया ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .... (व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

विरोधी दल के जितने नेता लोग हैं, उन्होंने अपने अपने दल के मेम्बरों का नाम लिख कर दिया कि मेरे दल के फलां फलां लोग बोलेंगे । तो पहले मेरा नाम था, उस नाम को छोड़कर आपने श्री गया प्रसाद को बुला लिया । तो आप अपने अधिकार से जिस किसी को चाहते हैं बुला लेते हैं तो फिर नेता लोगों का नाम क्यों लेते हैं और नेता लोगों की दुहाई क्यों देते हैं । मैं फिर दोहराता हूं [× ×] इसलिये कि आपने मेरा नाम न बुला कर दूसरे का नाम पुकार लिया । मैं उस शब्द को वापस नहीं ले रहा हूं, भले ही आप प्रोसीडिंग्स से उसको निकाल दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने यह आशा की थी कि माननीय बांकेलाल जी को मेरे आग्रह के बाद और मेरी व्यवस्था के बाद, उनके द्वारा इस सदन का कैसे अवमान हुआ है, इसका भान हो जायगा । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जान बूझकर एक निश्चित विचार की तहत में वे ऐसा कर रहे हैं । इसलिये मैं माननीय बांकेलाल जी से पुनः यह आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही में उनके शब्दों को नहीं रखा जायगा और यदि उन्होंने पुनः इस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश की तो मुझे विवश होकर पीठ की मर्यादा के निमित्त आवश्यक कार्यवाही करनी होगी ।

श्री बांकेलाल—

[× × ×] आपकी इस पक्षपातपूर्ण नीति पर मुझे असन्तोष है और मैं ५ मिनट के लिये इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री बांकेलाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस वक्त माननीय अध्यक्ष ने अधिष्ठाता मंडल बनाया था, उस वक्त आप अपोजीशन की तरफ से उसके कोटे में से थे । लेकिन जब आप अब सरकारी पार्टी में चले गये हैं तो नैतिक आधार पर आपको उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिये । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे आश्चर्य है कि माननीय राधेश्याम शर्मा जैसे सदस्य जो नियमों के पंडित हैं, वे इस तरह की बात कहते हैं । नियमानुसार माननीय अध्यक्ष को प्रिसाइडिंग आफिसर्स की सूची तय करने का अधिकार है । माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था की और उन्होंने एक सूची तैयार की । वह सूची इस सदन में व्यवहृत होती रही है । आज भी माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से मैं स्थान ग्रहण कर रहा हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय को सदा यह अधिकार है कि माननीय सदन के किसी भी सदस्य को वे अपने स्थान पर पीठासीन होने का आदेश दे सकते हैं । इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यदि अध्यक्ष की आज्ञा से आप आज के लिये ही यहां बैठे हैं तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप अधिष्ठाता मंडल के अनुसार बैठे हैं, तब मुझे एतराज है ।

[× × ×] हटा दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं किसी पेनल कोड में नहीं हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप अधिष्ठाता मंडल में हैं । आप विरोधी पक्ष की ओर से उसमें चुने गये थे । अगर आज के लिये ही आप वहां बैठे हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, वरना आप इस्तीफा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

पेनल कोई चुनाव के द्वारा नहीं बनता, उसको माननीय अध्यक्ष नाम निर्देशित करते हैं । अगर माननीय राधेश्याम जी को कोई गलतफहमी है तो मैं उन से कहूंगा कि माननीय अध्यक्ष यह अधिकार रखते हैं आप उनके सामने इस प्रश्न को रख सकते हैं । इस समय मैं यहां माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से पीठासीन हूं और उन्हीं की आज्ञा से मुझे यह अधिकार प्राप्त है कि मैं सदन की कार्यवाही का संचालन करूं ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे जिस स्थान पर आप विराजमान हैं आपकी व्यवस्था हमारे लिये शिरोधार्य हैं, लेकिन यहां की यह परम्परा रही है कि अगर कोई बीच में बोलकर समय नष्ट करे तो उसका समय समाप्त नहीं माना जाता । यह एक ऐसी परम्परा पड़ रही है कि जिससे मैं समझता हूं कि और लोगों को भी सदन में बीच में बोलने का प्रोत्साहन मिलेगा । इसके अलावा आप ने जिन सदस्य को पुकार लिया है और यह २५ मिनट से जो अव्यवस्था चल रही है, उसमें आप की व्यवस्था के अनुसार उनका समय नष्ट भी मान लिया जायगा । मैं समझता हूं कि आप की ऐसी व्यवस्था से सदन की कार्यवाही विधिवत् चलने में बाधा पड़ेगी । इसलिये इस व्यवस्था के विरोध में मैं अपने दल के साथ ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(जनसंघ दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं इतनी याद दिलाऊंगा कि जब श्री गया प्रसाद जी बोल रहे थे तो वह किसी आर० टी० ओ० का नाम किसी सिलसिले में किसी तवायफ के नाम से जोड़ना चाहते थे । उस तवायफ के शब्द पर उधर से. . . . . .

श्री अधिष्ठाता—

किसी तवायफ का नाम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन—

सिर्फ इतनी सी बात थी कि किसी आर० टी० ओ० के नाम को किसी तवायफ के नाम से जोड़ कर वह क्या कहते यह तो मालूम नहीं, लेकिन तवायफ का नाम आते ही उधर से टोकाटाकी आरम्भ हो गई और गड़बड़ी आरम्भ हो गई, लेकिन आपने उस सारे वक्त को काउन्ट करके श्री गयाप्रसाद जी के समय की समाप्ति की घोषणा कर दी और उनको बोलने से रोक दिया । इसलिये अब आप किसी सूरत से गयाप्रसाद जी को २–४ मिनट का वक्त दे दें तो अच्छा है ।

श्री उग्रसेन—

एक व्यवस्था का मेरा प्रश्न है । मेरा निवेदन है कि गया प्रसाद जी कोई तोप नहीं चला रहे थे, हमारी तोप से कुछ होता भी नहीं, हम ही मुजफ्फर हसन साहब पर तमाम आरोप लगायें, लेकिन हमारी तोप का कोई फल नहीं हुआ, माननीया सुचेता जी बैठी हैं आज कुछ नहीं हुआ । गया प्रसाद जी यह कहना चाहते थे कि एक आर० टी० ओ० साहब ने बड़े-बड़े लोगों के लिये कुछ

[श्री उग्रसेन]

रंडियों का इंतजाम किया और खूब नैनीताल में मौज मारी। इससे बढ़कर और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है। श्रीमन्, हमारा आपका तो ३० साल का साथ है, जब हम दोनों पढ़ते थे और यूथलीग में काम करते थे, बनारस यूनिवर्सिटी में आप हमारे साथी थे, लेकिन आप अब दलदल में फंस गये। क्या करें, हमारी बड़ी मजबूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि गयाप्रसाद जी का दस मिनट का वक्त था उसमें से अब आप उनको केवल २–३ मिनट का ही समय दे दें तो अच्छा है और अगर आप नहीं देंगे तो हम संयुक्त सोशलिस्ट दल के लोग जिस के नेता मौजूद नहीं हैं मैं तो उपनेता हूं, आप की व्यवस्था के विरुद्ध यहां से सदन से वहिर्गमन करेंगे। केवल ३ मिनट ही आप उनको बोलने दें वर्ना हम यहां से जायेंगे और कल को दारुलसफा में भाषण करेंगे और आप के मुजफ्फर हसन साहब के कारनामे उनके इलाहाबाद में ही ५० हजार की भीड़ में सुनायेंगे। अच्छा हो कि आप गयाप्रसाद जी को समय दे दें नहीं तो ३ मिनट के लिये अगर आप न माने तो हमें भी सदन का त्याग करना होगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं उग्रसेन जी को याद दिलाऊंगा कि मुझे तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही को संचालित करने का आदेश दिया है। माननीय गयाप्रसाद को उस दिन भी मैंने समय दिया था इसी विषय पर, आप कार्यवाही देख लें। और यह तीसरा मौका है आज भी मुझे अधिकार था जब इस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि खाद्य समस्या पर माननीय गयाप्रसाद जी क्या कह रहे हैं तो आपको स्मरण होगा कि व्यवस्था दी कि जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसकी सीमा के अन्दर वह अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैंने, माननीय उग्रसेन जी ने जो उस प्रस्ताव की व्याख्या की, उसको भुला दिया। पिछले दिनों माननीय गया प्रसाद जी २,२ बार उन्हीं तथ्यों को सदन के सामने पेश कर चुके हैं।

श्री गयाप्रसाद—

यह बात गलत है। आज बिलकुल नवीन चीज है, मेरे पास फोटो हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है मैं व्यवस्था दे चुका हूं। सदन में आप इस महत्व के विषय पर जिसके लिये स्वयं प्रस्ताव रखा है, उसके महत्व के सामने आप सदन का परित्याग करना उचित समझते हैं, यह तो आपकी इच्छा है। आप चाहें भाग लें या न लें, उसके लिये आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता।

श्री उग्रसेन—

जब आप निवेदन नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो १० मिनट के लिये हम आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करते हैं और इन भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर आप भी निगाह रखें।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता—

आप बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है उसमें भी आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सक रहे हैं हमें बड़ा दुख है और इसी बात पर हम स्वतंत्र पार्टी की ओर से सदन का ५ मिनट के लिये त्याग करते हैं।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता--

अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इसके महत्व को स्वीकार कर लिया है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

जिस समय यह विवाद चल रहा था, मैं उस समय नहीं था । लेकिन जो मैंने सुना और समझा है मैं समझता हूं व्यावहारिक दृष्टिकोण की बात इसमें थी .....

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको सूचना दे दूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं थे । अध्यक्ष ने कल यह व्यवस्था दी थी कि माननीय सदस्यों को १० मिनट को समय दिया जायगा ७ से १० मिनट तक । माननीय गयाप्रसाद जी को मैंने ७ से १० मिनट तक समय देने का प्रयास किया और १३ मिनट पर लाल बत्ती जलायी और कहा कि चूंकि आपके दल के लोगों ने व्यवधान किया इसलिये आपका समय २,३ मिनट का उन लोगों ने ले लिया, मैं चाहता हूं गयाप्रसाद जी अपने विचार व्यक्त करें । लेकिन जिस समय वह बोल रहे थे उन्हीं के दल के सदस्यों ने व्यवधान किया, फिर भी मैंने उनके लिये जितना वांछित समय था उनको दिया । उसके बाद भी अगर किसी को सदन में कोई अव्यवस्था उत्पन्न करना हो तो मैं समझता हूं आप इस सदन के बहुत ही पुराने सदस्य हैं और आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि सदन की कार्यवाही बिना नियमों का अनुसरण किये हुए नहीं चल सकती । आप ही अगर मेरी जगह होते तो और कोई रास्ता नहीं था । मुझे दुख है कि बावजद इसके कि मैंने गयाप्रसाद जी को उनके लिये नियत समय दिया फिर भी उनके दल के लोगों में असंतोष है । आप अपने दल की ओर से जो विरोध व्यक्त करना चाहें आपको उसके लिये मौका है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

पीठासीन अधिकारी की ओर से तथ्य को तोड़ना-मरोड़ना शोभा नहीं देता ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको बोलने का अधिकार नहीं है । आप समय से पहले आ गये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आपने घड़ी नहीं देखी । आप गलत कह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया बैठें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी सदस्य को बोलने न दें ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

श्री गयाप्रसाद जी का समय टाइम के मुताबिक जैसा आप कहते हैं, खत्म हो गया । अगर इस तरह से उनका समय खत्म हो गया तो यह उचित नहीं, लेकिन उसके साथ-साथ आपने जो जुमला जोड़ा है कि आपके साथियों ने व्यवधान पैदा किया इसलिये समय खत्म हो गया, यह जो विशेषण आपने जोड़ा है वह श्रीमन्, अध्यक्ष की रूलिंग के खिलाफ पड़ता है । किसी सदस्य के राइट को आप छीन नहीं सकते । अतः मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप अपनी रूलिंग पर स्टिक करते हैं कि गयाप्रसाद जी का समय खत्म हो गया तो कम्युनिस्ट पार्टी के हम लोग सदन का त्याग करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं ।

(साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय से कौन-कौन माननीय सदस्य कितने मिनट बोले और उस पर आपका कितनी देर भाषण हुआ ।

श्री अधिष्ठाता--

यदि आप कार्यवाही स्वयं देख लें तो आपको विदित हो जायगा कि कितना समय उस पर लगा है । जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है उस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं । इसमें लगभग आधा घंटा लगा है ।

श्री मुरलीधर कुरील--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का जो माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है, विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और उसकी वजह यह है कि जिन परिस्थितियों में यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव के बहाने जो प्रचार किया जा रहा है वह सर्वथा अनुचित है.....

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बांके लाल जी ने यह कहा था कि व्यवस्था आप खराब करते हैं तो इसमें क्या गलत कहा था । जब आप इधर बैठते थे और उधर चले गये तो आपने व्यवस्था खराब कर ही दी ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । आपने ही यह गड़बड़ मचा कर सदन का समय नष्ट किया है जो कि बड़ा कीमती होता है । अगर गंभीरता से आप काम लेते और गयाप्रसाद जी को थोड़ा समय और दे देते तो यह आफत न आती ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

आप कोई ज्योतिषी तो हैं नहीं जो समझ जायेंगे कि मैं क्या व्यवस्था उठाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था उत्पन्न न करें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैं बड़ी गंभीरता से यह कहना चाहता हूं कि माननीय टंडन जी जब इस कुर्सी पर थे और मुसलिम लीग का अपोजीशन था तो माननीय टंडन जी ने कहा था कि अगर एक भी माननीय

सदस्य उनके खिलाफ होगा तो वह कुर्सी छोड़ देंगे । मैं कहता हूं कि सारा अपोजीशन आपके खिलाफ है और मेरा ऐसा खयाल है कि कांग्रेस पार्टी में वोट कराया जाय तो जो ९ रत्न हैं उनको छोड़ कर दसवां वोट आपको नहीं मिलेगा । मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस्तीफा दे कर हट जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मुरलीधर कुरील--

जो परिस्थिति आज मुल्क में उत्पन्न हो गयी है वह गंभीर है । पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही इस मुल्क के गरीब, निर्धन और पिछड़े हुए वर्ग को जो सदियों से दबाया गया है, उठाने के लिये और समाजवाद को लाने के लिये प्रत्येक दिशा में कार्य करना आवश्यक समझा गया, लेकिन मैंने यह देखा कि वह दल जिसमें कि राजा महाराजा हैं तथा वह वर्ग जिनकी विचारधारायें सदियों वर्ष पुरानी हैं, वह यह नहीं देखना चाहते कि इस मुल्क का वह व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, जिसका अब तक शोषण किया गया है उसका उत्थान हो । मैंने जो अभी दो तीन भाषण सुने उस में पंचवर्षीय योजनाओं का विरोध किया गया और साथ ही ऐसी व्यवस्था जो जनतंत्र को मजबूत करने वाली है, उसका भी विरोध किया गया । इससे मेरी समझ में यह आया कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है और वे अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं जिससे जनतंत्र खतरे में पड़ जाय । इसीलिये आज यदि विश्लेषण किया जाय तो मालूम होगा कि विरोधी पार्टियों ने जो कहा है उसमें जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिसमें राजे-महाराजे और बड़े-बड़े जमींदार तथा ताल्लुकेदार हैं, उनका साथ देने के लिये जो अपने को समाजवादी कहते हैं और समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वे भी इस अविश्वास के प्रस्ताव पर उनके साथ खड़े हो गये । इस बात का मुझे बड़ा ताज्जुब है ।

श्रीमन्, आजकल जो मुल्क में हड़ताल करते हैं तथा उस दिन विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया है, अगर उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि उनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके कपड़े से यह समझा जाय कि वह भुखमरी का शिकार है, वह परेशान है और उसे अन्न नहीं मिला, बल्कि उनमें ऐसे लोग होते हैं जो गल्ले का स्टाक रखे हुये हैं, चाहे वह बड़े खेतिहर रहे हों, और अपना गल्ला न निकाला हो या व्यापारी रहे हों, अपने स्टाक को रोक कर मुनाफा कमाना चाहते हैं । उनको इस बात की चिन्ता नहीं कि देश में भुखमरी आ सकती है उनके अन्दर मानवता की भावना उठनी चाहिये और गल्ले को बाजार में लाना चाहिये । ऐसा न करके उल्टे जो उनके पास पैसा है, साधन हैं, उसका दुरुपयोग करके वे जनतंत्र को फेल करना चाहते हैं । वे सरकार के ऊपर लांछन लगाकर जनता को दिखाना चाहते हैं कि वे जनता के बड़े भारी हमदर्द हैं । जनता जानती है कि ये लोग वही पुराने शोषक हैं जिन्होंने सदैव ही राजे-महाराजे होकर मुल्क का शोषण किया है । जब रियासतें समाप्त हुईं तो उनकी सुख-सुविधायें समाप्त हुईं । अपने साधनों से एक एक व्यक्ति सैकड़ों आदमियों को नौकर रखे हुये था अपने आराम के लिये । कोई कपड़े पहनाने वाला है, कोई जूता पहनाने वाला है और कोई कपड़ा लेकर चलने वाला है । जब उनकी सुख-सुविधा की चीजें हट गईं, जिनके द्वारा समाज का शोषण होता था तो उन्होंने सोचा कि जनतंत्र को खत्म करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं हो सकता है । इसलिये उन्होंने सोचा कि जनता को भड़काया जाय और इस सरकार को फेल किया जाय ।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये)

श्रीमन्, थोड़े बहुत गल्ले की कमी हो सकती है । इन लोगों ने चाहे वे जनसंघ में हों या स्वतंत्र पार्टी में हों, गल्ले को अपने स्टाक में रख कर एक आर्टिफिशियल कमी पैदा कर दी और जनता के बीच में झूठे नारे लगाकर सरकार को ऐसी मुसीबत में डालने की कोशिश की है जिससे

[श्री मुरलीधर कुरील]

आज उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस तरह की अव्यवस्थायें पैदा की गयी हैं उनमें यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार शीघ्र से शीघ्र यह व्यवस्था करे। स्टेट ट्रेडिंग गल्ले की अविलम्ब की जाय और जब तक वह नहीं होगी इस तरह का मुक्त व्यापार जब तक चलता रहेगा उस वक्त तक इस तरह से पूंजीपतियों को, बड़े-बड़े व्यापारियों को, बड़े-बड़े खेतिहरों को मुनाफा कमाने का मौका मिलता रहेगा और सरकार को ये लोग मुसीबत में डालते रहेंगे।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि खेतों की, बैलों की तकावी या अन्य सुविधायें सिर्फ उन छोटे और मिडिल क्लास के खेतिहरों को दी जायं जो खेती पर खून पसीना एक करके काम करते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि सारी सुविधायें उन खेतिहर मजदूरों को न मिल कर, बड़े-बड़े पैसे वालों, बड़े-बड़े खेतवालों को मिलीं। उन लोगों ने खेत के नाम कर्ज और तकावियां लीं और अपनी होडिंग की क्षमता को बढ़ाया है और सरकार को और जनता को परेशानी में डाला है। मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता छोटे किसानों को मिले।

उसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि शहरों में कम से कम तीन सौ रुपये से कम आमदनी वालों को ही गल्ला दिया जाय और गांवों में ८ एकड़ से कम खेती वालों को और खेतिहर मजदूरों को सस्ता अनाज दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

हम विरोधी दल वालों ने यह निश्चय किया है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारा सारा समय गयाप्रसाद जी को दे दिया जाय और वे ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अधिष्ठाता महोदय द्वारा दी गई रूलिंग को बदलना नहीं चाहता।

श्री उग्रसेन---

गयाप्रसाद जी को अधिष्ठाता ने कहां हिस्सा लेने को रोका है।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन कायदा यह है कि एक माननीय सदस्य एक ही बार बोल सकते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा---

जब विरोधी दल के सब लोग अपना समय दे कर यह चाहते हैं कि गयाप्रसाद जी इस सरकार के समस्त पापों को खोलें तो फिर आप क्यों मना करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

दो बार वह नहीं बोल सकेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आप प्रोसीडिंग्ज मांग कर देख लीजिये कि माननीय गया प्रसाद जी कितने देर तक बोले हैं। उनको ३ मिनट के लिये रोक दिया गया, जबकि कुरील जी को २० मिनट के भाषण को इंटरप्रिटेशन के बाद भी खत्म नहीं किया गया। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप यहां पर आये और आपने भी उन्हें क्यों १० मिनट तक बोलने का अवसर दिया। विरोधी दल का यह आफर है कि गयाप्रसाद जी ही सबका समय लेकर बोल लें तो आप उनको ही सब समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके कथन में यह बात तो सही नहीं है कि मैंने उनको १० मिनट का समय दिया है। मेरे समय में वे केवल २-३ मिनट बोले हैं और ज्यादा वह नहीं बोले हैं। पहले की मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे समय का ऐतराज गलत है।

श्री उग्रसेन---

एक मेरा निवेदन सुन लीजिये। जरा हमारी तरफ मुखातिब होइये। मेरा निवेदन इतना ही है कि माननीय गयाप्रसाद दो तीन मिनट ही बोले थे। आप यह दृष्टिकोण रखते हुये विश्लेषण करते हैं कि चूंकि एक डिबेट चल रही है और एक विषय पर चल रही है, उसमें एक सदस्य दो बार नहीं बोल सकता, यह आप अपने सामने रखते हैं। मगर यह दो बार बोलने का सवाल नहीं है, इसका जो क्रम है वही तारतम्य है।... (व्यवधान)... हमारा तर्क सुनिये। तर्क हमारा यह है कि जो बाकी समय है वह उनको दे दिया जाय और मैं समझता हूं इसमें माननीय अधिष्ठाता महोदय को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। हमारी बात का गुरुत्व और गरिमा और महत्व इसलिये और बढ़ जाता है कि सारा विरोधी पक्ष जो है उसने कह दिया कि हमारा सारा समय गयाप्रसाद जी ले लें और इसके लिये जब इतना कहा जा रहा है तो इसमें कोई गवर्नमेंट तो उलटी जा नहीं रही है, आपका स्थान सुरक्षित है, माननीय अध्यक्ष का स्थान सुरक्षित है, कोई सरकार तो बदल नहीं रही है। तो फिर काहे नहीं इनको बोलने दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

मेरा निवेदन सुनिये, हाउस कायदे को हर समय बदल सकता है। मैं गवर्नमेंट से पूछ लेता हूं। अगर गवर्नमेंट राजी है तो यह हो सकता है, अगर नहीं राजी है तो नहीं हो सकता। हाउस अगर उस नियम को बदलना चाहता है तो बदल सकता है नहीं तो यह नहीं हो सकता।

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, एक बात आपने ऐसी कह दी कि जो बड़ी खटक रही है। जब गवर्नमेंट के सारे पाप, दुराचार और भ्रष्टाचार को गयाप्रसाद जी खोल रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट कहेगी कि वह बोलें?

श्री उपाध्यक्ष---

मेरा मतलब यह था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो जाय और हाउस राजी हो तो मैं बुलवाने को तैयार हूं। हाउस राजी नहीं है तो मैं बुलवाने को तैयार नहीं हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा---

तो यह जो आपने कहा कि गवर्नमेंट से मैं पूछ लूं इसको आप प्रोसीडिंग्ज से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरा मतलब उससे कांग्रेस पार्टी से था। तो अब अगर दूसरे पक्ष को यह मंजूर हो... माननीय मंत्री जी, आप क्या कहते हैं? एक नियम है कि एक विषय पर एक डिबेट में एक दफा एक महानुभाव बोलेंगे। लेकिन हाउस को यह अख्तियार है कि हाउस अगर चाहे तो बोल लेने दे उस आदमी को, रिलैक्स कर दे नियम को। क्या आप रिलैक्स करने को तैयार हैं? आपकी क्या राय है?

श्री झारखण्डेराय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस मसले को एक व्यावहारिक बुद्धि से हल करें। जब इधर के एक आदमी बोल चुके और उसके बाद विरोधी पक्ष से बोलने की बारी आयी तो विरोधी पक्ष से केवल एक आदमी खड़े हैं, माननीय गया प्रसाद। उन्हें आपको

[श्री झारखण्डे राय]

बुला लेना चाहिये था और वह समय हमारे पक्ष में से आप काटें। इसमें क्या आपत्ति आपको है? मैं समझता हूं इसको इस तरह से हल करके आप मसले को समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी कठिनाई यह है कि एक एक डिबेट में एक माननीय सदस्य को एक ही मौका मिलता है। वह उनका हो चुका है। मेरे आने के बहुत पहले वह समाप्त हो चुका। उसके बाद दूसरी स्पीच हो गई। अब मेरी कठिनाई यह है कि जब तक इस रूल को हाउस न खत्म करे तब तक....

श्री सत्यनारायण पांडेय--

आप स्वयं नियम को निरस्त कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी अधिष्ठाता के विरुद्ध कोई बात करने को तैयार नहीं हूं।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

अभी जब माननीय गयाप्रसाद जी बोले थे और जब यह रूलिंग हो गई उसके बाद जब विरोधी पक्ष की सारी पार्टी वाक आउट कर गई तो फिर क्यों यह सवाल उठाया गया? फिर तो यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री राधेश्याम शर्मा--

हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आप माननीय गयाप्रसाद जी को बोलने दें तो मैं खत्म करूं?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं असमर्थ हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

तो मैं यह व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने पेश करता हूं। लोक सभा में जिस समय अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो रही थी और आदरणीय डाक्टर राममनोहर लोहिया का समय खत्म हो गया, तो अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारा समय उनको दे दिया जाय और उस समय माननीय अध्यक्ष ने मान लिया था, श्रीमन्। और डाक्टर साहब का भाषण कराया। इसी तरह से जब माननीय गयाप्रसाद जी ३ मिनट बोल चुके थे तो विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारा सारा समय गया प्रसाद जी को दे दें और मैंने भी कहा कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सारा समय इनको दिया जाय। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय ने जो रूलिंग दी वह सही है या गलत?

श्री उपाध्यक्ष--

जितने माननीय सदस्य खड़े हुये हैं और उन्होंने बोलना शुरू किया हो तो आप कहें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैंने कहा कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सारा समय गयाप्रसाद जी को दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देखता हूं कि कई माननीय सदस्य बीच में बोल चुके हैं। जब कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं तो फिर उनको बुलवाना उचित नहीं है। खड़े होकर उनका भाषण कन्टीन्यू रहता तो बात दूसरी हो सकती थी अब ऐसा नहीं हो सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्या सदन के सामने उपस्थित है उसके लिए परिपाटी सदन में यह रही है कि अगर माननीय सदस्य बोलते रहे हों, और बीच में कोई व्यवधान होता रहा हो तो वक्ता को व्यवधान का समय दिया जाता रहा है। अगर किसी पीठासीन व्यक्ति ने किसी कार्यवाही पर ध्यान न दिया हो तो हमारा और आप का फर्ज है कि हम उस पर ध्यान दें। सारा विरोधी दल यह चाहता है कि जो समय गयाप्रसाद जी का व्यवधान करने से कटा उसको पूरा किया जाय। १० मिनट में यदि कुछ समय उनका शेष रह गया है और वह लेना चाहते हैं तो उनको वह समय मिलना चाहिए। इस बात को इधर उधर करने से तनातनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जो स्थिति आज है उसमें कठिनाई पैदा होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि २, ४ मिनट उनको और दे दिये जायं, तो अच्छा है। इसमें विरोधी पक्ष का ही नुकसान है कि १० मिनट का समय जो उसको मिलता, अब केवल ३, ४ मिनट ही ले रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, यह विषय सदन में एक विवाद का विषय बन गया है। मैं नहीं समझता कि यह सदन कैसे चलेगा। अगर कोई पीठासीन अधिष्ठाता गलत डिसीजन भी दे देता है तो ३१८ नियम के अनुसार उसके फैसले को उसी प्रकार मानना चाहिए और उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से पीठासीन अधिष्ठाता के विरुद्ध आप बराबर कार्यवाही करेंगे तो सदन की कार्यवाही चलना कठिन हो जायगा। अधिष्ठाता महोदय ने स्वयं कहा कि मैंने १३ वीं मिनट पर लाइट जलायी। इस प्रकार से यदि पीठासीन व्यक्ति कहता है तो वह सत्य माना जायगा। और उस पर विश्वास किया जायगा। विरोधी दल में काफी पुराने और मंजे हुए सदस्य हैं, वे इसे मानेंगे।

अब दूसरी बात यह है कि विरोधी दल के दूसरे सदस्यों ने यह कहा कि हम अपना समय देने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का अधिकार संविधान में या प्रक्रिया नियमावली में है। यदि यह बात हो कि इसके बाद डिस्कशन नहीं होगा और विवाद खत्म होगा तो बात दूसरी है लेकिन जब कोई ऐसी परिपाटी नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस पीठासीन व्यक्ति का सम्मान रखने के लिए और इसकी परम्परा को कायम रखने के लिए और सदन को ठीक से चलाने के लिए अधिष्ठाता महोदय ने जो रूलिंग दी है वह कायम रहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अब अपना निवेदन कर दूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आप मेरी बात पहले सुन लें। अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से आया है और प्रस्तावकों में से एक को पीठासीन व्यक्ति ने बोलने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी के इन्टरप्रिटेशन पर। तो क्या अध्यक्ष को भी उनके साथ शामिल समझा जाय?

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह है कि नियम २९२ (२) के अनुसार एक माननीय सदस्य को किसी विषय पर एक बार ही बोलने का अधिकार है और चूंकि अधिष्ठाता महोदय पहले अपनी रूलिंग इस विषय पर दे चुके हैं इसलिए मैं उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं हूं और मेरा यह निर्णय है कि अब वह नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) माननीय दत्त जी।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, . . .

श्री राधेश्याम शर्मा---

मेरा निवेदन है कि बांकेलाल जी को बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने दत्त जी को बुला लिया है । मैं इसके बाद बिरोधी दल को दो बार बोलने का मौका दे दूंगा । इसमें क्या फर्क पड़ता है ।

श्री उग्रसेन---

अगर आप हमारे सिर पर डंडा तोड़ने के लिए तैयार हों तो ठीक है लेकिन यह आखिर कब तक चलेगा ? आप क्या चाहते हैं ? हम लोग इस्तीफा दे कर तो घर जायेंगे नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको लगातार दो बार मौका दे दूंगा ।

श्री उग्रसेन---

मैं कहता हूं कि आप अभी मौका क्यों नहीं देते ? क्या बांकेलाल जी को मौका देने से आपकी जमींदारी टूट रही है ? अंग्रेजी के इन्डक्शन और डिडक्शन दो शब्द हैं । एक समूह से लेकर व्यक्ति पर आता है और फिर एक व्यक्ति से लेकर समूह तक जाता है । हमारी मांग है कि दो इधर से बोलेंगे और एक उधर से । अविश्वास का प्रस्ताव हमारा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन को बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री बांकेलाल---

एक बार अधिष्ठाता महोदय ने गड़बड़ की थी जब मेरी बारी थी और उन्होंने गयाप्रसाद जी को बुलवा लिया । अब फिर आप गड़बड़ क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं यह निवेदन करना चाहता था और मेरा व्यवस्था का सवाल है कि जो व्यक्ति अध्यक्षासन पर बैठा है वह किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है । वह पक्षपात नहीं करता और वह अपने व्यवहार से सदन को महसूस कराता है कि वह किसी पक्ष का व्यक्ति नहीं है । हमारी पार्टी की तरफ जब पहले पहल बांकेलाल जी का नाम लिया गया और अनायास अधिष्ठाता जी ने गयाप्रसाद जी को बुला लिया, यह बहुत खराब बात है इसको रिवाइज कीजिये । इस प्रकार के व्यवहारों से इधर के बठने वालों को क्षुब्ध न कीजिये । दूसरे, परिपाटी यह रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य बोलता रहता है और बीच में व्यवधान हुआ है तो उस सदस्य को उतना वक्त मिलता रहा है । माननीय रामायणराय, गयाप्रसाद जी को समय न दे सके । मैं आपसे और आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय के पास यह चीज ले जाना चाहता हूं, इसका कल फैसला होना चाहिए ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । माननीय दत्त जी २-४० पर बोलना शुरू किये, अधिष्ठाता की रूलिंग के अनुसार अब उनका समय समाप्त हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। श्री दत्त जी बोलेंगे।

*श्री एस० जी० दत्त—

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं विरोधी दल के नेताओं की ओर से जो नो-कानफिडेंस रेजोल्यूशन पेश किया गया है, उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां पर फूड समस्या बहुत गम्भीर है, इसलिए हमें चाहिए कि जिनके दिल में दुख और दर्द है वह खामोशी के साथ सोच विचार करें। मैं लगभग सोमवार के रोज से देख रहा हूं कि विरोधी दल के लोग जो भी काम कर रहे हैं वह इस नीयत से कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को उलट दें। ठीक है, आपको हक है, लेकिन जो फूड समस्या हमारे सामने है तो हम सभी का फर्ज हो जाता है कि आपस में बैठ कर उसके ऊपर कांस्ट्रक्टिव तरीके से सोच विचार करें जिससे जनता का भला हो। मैं नहीं कहता कि आपके दिल में दर्द नहीं है, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे दिल में दर्द नहीं है। समस्या बड़ी गम्भीर है। आप लोगों ने आग्रह भी किया है, सुझाव भी दिये हैं। अगर मैं दूं तो मेरे खयाल में वक्त को जाया करना है। इसलिए मैं एक बात नहीं समझ सका और वह है विरोधी दल के भाइयों का रवैया। मेरी समझ में नहीं आता कि नो-कान्फिडेंस जो लाये तो पहले तो कहा कि कांग्रेस सरकार इस्तीफा दाखिल कर दे तब हम कोई बात करेंगे। तो मैंने अपने विरोधी दल के नेता लोगों से कहा कि अगर कांग्रेस सरकार इस्तीफा दाखिल करती है तो क्या दीवार से बात करोगे? फूड समस्या तो नहीं हल हो जायगी। नयी मिनिस्टरी में १०–१५ दिन लग जायेंगे, हम आपस में मिल कर सुझाव रक्खें, और काम हो। फिर कहा कि नेगी साहब से इस्तीफा दिलवाया जाय। यह देखने की बात है कि आया नेगी साहब का कसूर है या नहीं। यह तो जगह ही ऐसी है कि फूड के ऊपर बड़े-बड़े नेतागण का फेल्योर हुआ सिवा रफी साहब के। लेकिन न तो नेगी साहब का कसूर नजर आता है और जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का मामला है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खींच जरूर हुई है। जो जोन्स बनाये गये, उसके फलस्वरूप पंजाब से जो यहां गेहूं आता था, वह नहीं आ पाया, वह और प्रदेश में जाने लगा। इधर ३ वर्षों से कुदरत भी हमारे खिलाफ रही। अब इस समय सवाल यह है कि इसको कैसे हल किया जाय। इस समस्या के हल कराने के तरीके हमें आपको सोचना है। मैं अपने विरोधी पक्ष के भाइयों से पूछता हूं कि उन्होंने पिछले १८ वर्षों में कौन सा ऐसा काम किया है जिस की वजह से वे हमसे इस्तीफा मांगते हैं? मैं कहता हूं कि आप सब विरोधी पक्ष के लोग पहले इस्तीफा पेश करें।

(अत्यन्त शोर)

मेरी यह मांग है कि पहले आप सब इस्तीफा दाखिल करें और फिर से जनता का विश्वास लेकर यहां आयें। (व्यवधान)। आप ने यहां किया क्या है, सिवाय शोर मचाने के? उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों में ऐसे लोग हैं जो जमींदारी तबके के हैं, और जो ३० और ३४ रुपये मन गेहूं बेच कर यहां आये हैं। यह जनता का दर्द लेकर यहां आते हैं और फरिश्तों की सूरत बना कर यहां बोलते हैं। नेता विरोधी दल ने नेगी साहब के एक बयान का कुछ हिस्सा पढ़ दिया जिसमें यह लिखा था कि "आई ऐम हेल्पलेस"। एक मुसलमान ने कहीं कुरान में यह पढ़ लिया कि नमाज न पढ़ो। वह मौलवी के पास गया और उसने वहां जाकर कहा कि नमाज न पढ़ो, क्योंकि यह कुरान में लिखा है। मौलवी ने कहा कि उसके आगे क्या लिखा है उसको भी तो पढ़। आगे लिखा था कि जो बीमार हो वह नमाज न पढ़े। इसी तरह नेता विरोधी दल ने उसके आगे क्या लिखा था उसको तो पढ़ा नहीं, यह पढ़ लिया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी दत्त]

"आई ऐम हेल्पलेस"। हम और आप यहां इसलिए आये हैं कि जनता का भला करें। मैं फिर यह मांग करता हूं कि विरोधी पक्ष के सभी लोग पहले अपना इस्तीफा पेश करें।

(व्यवधान)।

(श्री बांकेलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय दत्ता साहब कहते हैं कि हम इस्तीफा दें। हम तुरन्त इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, उस तरफ से कौन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? (व्यवधान)।

श्री बांकेलाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव सदन के सदस्यों को देना चाहता हूं। माननीय हुकुमसिंह जी ने कहा कि उधर से नवरत्न आ गये हैं और उन नवरत्नों में गेंदासिंह जी भी चले गये हैं। इधर से समझाते समझाते परेशान हो गये अब उधर से समझायेंगे, शायद उनकी समझ में आ जाय। सभी लोग कहते हैं कि खाद्यान्न का संकट है। रोग तो पहचाना नहीं गया है लेकिन दवायें सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। ब्रज बिहारी जी ने कहा कि सप्लाई विभाग को समाप्त कर दिया जाय, कुछ ने कहा कि जखीरेबाजों का गल्ला पकड़ा जाय, किसी ने कहा किसानों से वसूल किया जाय और सरकार कहती है जब विरोधी पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है तो वे आते ही नहीं हैं, समस्या को हल करने में मदद नहीं देते हैं। जब से मैं असेम्बली का मेंबर होकर आया हूं इस पक्ष के लोगों ने अनेक बार अनेक सुझाव दिये हैं। उधर से किसी साहब ने कहा कि इधर के लोग कुर्सी लेना चाहते हैं। हम तो उसको चाहते नहीं हैं लेकिन जब आप अनेकों गलती करेंगे तो हम आपकी कुर्सी उलटने में कोई चीज उठा न रखेंगे। एक मंत्रीजी ने कहा कि २ महीने का कष्ट है। मैं कहता हूं आप दो साल में भी इसको दूर नहीं कर सकते हैं चाहे नेगी जी खाद्यान्न के मंत्री बने रहें या गेंदासिंह जी बना दिये जायें। लेकिन यह स्थिति आयी क्यों? ४-५ साल पहले से मुतवातिर कृषि का उत्पादन घट रहा है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब यहां से कहीं चले गये हैं, रामभूति जी हैं, वे पहले सिंचाई मंत्री थे। मैंने सुझाव दिया था फलां-फलां जगह ट्यूबवैल लगा दिया जाय लेकिन नहीं लगाये गये। पिपरी में एक ट्यूबवैल है जिससे पिछले साल ५० एकड़ में सिंचाई हुई है। मैंने कहा तो शांतिप्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं उस को उखड़वा कर दूसरी जगह लगवा दूंगा। सिंचाई में आपकी दुर्व्यवस्था रही, खाद वक्त पर नहीं दिया गया, बीज का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। अब दैवी आपत्ति आ गयी। इस वक्त यह बात सही है। लेकिन जब आपने देखा कि दैवी आपत्ति आ रही है तो उसका क्या इन्तजाम किया।

व्यापारी मुझसे मिले थे उन्होंने बताया कि आपने दूसरे स्थान से अनाज लाने और ले जाने में कंट्रोल कर रखा है। इसी प्रकार से आपने गुड़ पर भी कन्ट्रोल कर दिया था। सरकार की कोई पालिसी संतुलित नहीं है। सुचेता जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने भी कहा कि वे ला एन्ड आर्डर मेंनटेन करेंगी। मैंने भी अनेकों बार जेल देखी है, ला एन्ड आर्डर को भी तोड़ा जा सकता है जब किसान भूख से पीड़ित होगा, तबाह होगा तो क्या करेगा, देवरिया जिले में किसी भी राशन की दूकान पर राशन नहीं पहुंचा। इसका सरकार के पास क्या जवाब है। औरतें और बच्चे लाइन लगा लगा कर परेशान हैं लेकिन उनको अन्न नहीं मिलता है। देवरिया जिला हिन्दुस्तान का सबसे गरीब जिला है जहां २४-२५ लाख लोग बसते हैं और जहां साढ़े १० लाख एकड़ जमीन है। वहां नारायणी तथा छोटी गंडक का प्रकोप बराबर रहता है। तो हमारी गरीबी पर तो आपने कुछ खयाल किया नहीं। आपके पास गल्ले का कितना स्टाक है उसका भी आपके पास कोई हिसाब नहीं है। व्यापारियों पर छापा मारने से अन्न संकट दूर नहीं होगा। आपको चाहिये कि यदि आप हमारे अविश्वास के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो हमारे सुझावों को ही मान लें।

पहला सुझाव यह है कि बहुपदीय बिक्री कर जो आप लगाये हुए है उसको हटा दें। दूसरा सुझाव यह है कि अन्न के आवागमन पर जो रोक लगी हुई है उसको तोड़ दिया जाय। ताकि हर जगह का माल एक जगह से आवे और जाय। इसी तरह से अन्न का मूल्य निर्धारित कर दिया जाय जिससे अन्न के दामों में बहुत बड़ा फर्क न रहे। आज पंजाब में गेहूं १७ रुपये मन है वहां यू० पी० में ३३ रुपये मन है। बिहार में चावल २५ रुपये मन है, वहां यू० पी० में ३६ रुपये मन है, तो यह कितना बड़ा अन्तर है। इसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना की जाय कि वह इस अन्तर को मिटाये।

अन्त में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उस कुर्सी पर बैठ कर आप लोग उन्माद में न आ जांय। आप गम्भीरता के साथ बोलें और हमको समझायें। लेकिन अगर कहीं आपने डंडे के जोर से शासन करने की कोशिश की तो हम अन्याय को खिलाफ बागवत का झंडा उठावेंगे और आवश्यकता हुई तो हम अपने को जेलों में भी भर देंगे क्योंकि जेल जाने से हम डरने वाले नहीं है। और किसानों के भूखों मरने की नौबत आयी तो हमारे लाखों नौजवान इस शासन के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा करेंगे और आवश्यक हुआ तो फांसी के तख्ते पर भी झुल जायेंगे।

दूसरी बात मैं माननीय रामायणराय जी से कहता हूं कि "नया मुसलमान प्याज बहुत खाता है"। जब कभी आप उस कुर्सी पर जांय तो हम लोगों के हक को छीनने की कोशिश न करें।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं विश्वास के साथ यहां खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस प्रकार आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल में विवाद चल रहा है, उसी प्रकार एक दिन पाप और पुण्य में विवाद चला। पाप ने गरजते हुए कहा—

"न जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी यह मसान होती,
न मन्दिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती।"

आगे पुण्य कहता है—

"न जन्म लेता अगर कहीं मैं, न उपवनों में पराग मिलता,
न झूलते सूरमा रस्सियों पर, न नारियों में सुहाग मिलता।"

वाह री सरकार, तूने ऐसा काम किया जिससे सब को भगवान की याद करा दी। इसके लिये तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। "नीम हकीम, खतरा-ए-जान", "निर्बुद्ध और अकर्मण्य सरकार और जनता की जान का बवाल।" यानी जब एक हकीम के पास एक बात का रोगी इलाज के लिये आया तो उसने बिना इस बात का ख्याल किये कि इससे कफ की वृद्धि हो जायगी, उसे एक गर्म औषधि दे दी। नतीजा यह हुआ कि रोगी का शरीर छूट गया। इसी तरह से सरकार किसी वस्तु विशेष का मूल्य निर्धारित करती है और अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित बगैर किये हुए, केवल एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करने पर बल देती है। तो वह सरकार फेल होती है और जनता दिक्कत में पड़ जाती है यह बात निश्चित है। क्या सरकार ने सोचा है कि इन २० वर्षों में चीजों के मूल्य मे कितनी वृद्धि हुई है। दियासलाई की कीमत में दसगुनी, सीमेंट की कीमत में ८ गुनी, लोहे की कीमत में २० गुनी, कपड़े की कीमत में १५ गुनी और अनाज की कीमतों में ६-७ गुनी वृद्धि हुई है। अनाज के मूल्य निर्धारण की बात को सोचते हुये आपको पहले अन्य वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा और मूल्यों को संतुलित करना होगा एक नीति के अनुसार। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप की भी हालत उसी हकीम की सी होगी। अगर जनता को इन कठिनाइयों से यह सरकार न बचा सकी तो निश्चय ही उस को अपयश मिलेगा। सब लोग कहते हैं कि अनाज के ऊपर जो आज आवाज

[श्री लोकपाल सिंह]

हो रही है, उसके कंट्रोल के ऊपर वह अन्य वस्तुओं के ऊपर नहीं है। दियासलाई की कमी होती है तो लोग आग निकलने वाली पत्थर को घिसकर काम चला लेते हैं, सीमेंट की कमी होती है तो लोग चूने से काम चला लेते हैं, लोहे का इस्तेमाल भी लोगों ने बहुत संक्षिप्त कर लिया है केवल खुर्पी, फल और फड़ुए के लिये ही उसका थोड़ा प्रयोग करते हैं, कपड़े की किफायत गुप्ता जी की तरह लोग घुटन्ना और बंडी पहन कर ही कर लेते हैं, किसी तरह से काम चला लेते हैं लेकिन अन्न की जगह तो पत्थर नहीं खाये जा सकते। लोग कहते हैं कि मूल्य बहुत बढ़ गये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि आप के पैसे का मूल्य बहुत घट गया है और वह इसलिये गिर गया है कि चन्दा और सूरज साथ साथ, काला और गोरा साथ साथ, अन्धा बहरा साथ साथ, डिफेंस और डेवलपमेंट साथ साथ। जहां डिफेंस का सवाल आता है वहां पर बहुत से आवश्यक काम रोक दिये जाते हैं लेकिन हमारी सरकार जो बेकार की योजनायें हैं वह भी नहीं रोक सकी। क्या इससे मूल्य रुकेंगे? नोट अधिक तादाद में छापे जा रहे हैं, पैसे का मूल्य गिर गया और चीजों का बढ़ गया।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें आज अपने यहां कृषि की तमाम चीजों का मूल्य निर्धारित करना होगा। आज अनाज की कमी है, अनाज के पीछे ही अन्य वस्तुओं का हिसाब चलता है। अनाज के भाव के अनुकूल ही तमाम अन्य चीजों के भाव को हमें बनाना होगा।

"आवाजे खल्को को नक्कारए खुदा समझो" जो जनता की आवाज होती है वही खुदा का हुक्म होता है। खुदा का हुक्म है कि यह अकर्मण्य सरकार अपने प्रबन्ध को सम्हाले या कुर्सी छोड़े। लेकिन कुर्सी छोड़ने की बात सुन कर उनकी हालत उसी शराबी की सी होती है कि—

"न गो हाथों को जुम्बिश है जरा आंखों में तो दम है
अभी तुम सागरो मीना हटाओ मत हटाओ मत।"

मेरे हाथों में पीने की ताकत नहीं है लेकिन अभी मेरी आंखों में दम बाकी है इसलिये अभी मेरे होठों से सागर व मीना न हटाओ। लेकिन अगर सरकार के पास आज हालत को सुधारने की ताकत नहीं है तो हम उसको अब नशे में नहीं रहने देंगे हम उसकी कुर्सी नहीं रहने देंगे, उसको हटाना पड़ेगा और कुर्सी छोड़ना पड़ेगा।

"गुलचीं तू दूर गर्दिशे दौरां न कर सका
दौरे खिजां को फस्ले बहारां न कर सका
अंग्रेज गैर था भला उस का मलाल क्या
तू भी तो इंतजामे गुलिस्तां न कर सका
जो आफताब थे उन्हें तो जर्रा कर दिया
जर्रों को आफताब बनाता तो बात थी
महलों को तू ने लाख चिरागां किया तो क्या
गर झोपड़ों में दीप जलाता तो बात थी।
बर्क सितम में गुन्चओ गुल ही बचे तो क्या
सारे चमन को साफ बचाता तो बात थी।"

तुम भारत को जरा सी कठिनाई से नहीं बचा सके, अगर हमला हुआ, दुश्मन ने इधर देखा तो क्या करोगे? रोटी कपड़े की परेशानी ही मामूली दिनों में तम दूर न कर सके और यह दशा हो गई। कैसे आप हमले को रोक पाते? मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपने में बदल लाओ और अगर नहीं लाओगे तो खुद बदल जाओगे।

"रुख से पर्दा हटा ऐ तू पर्दानशीं
बस अभी रंगे महफिल बदल जायगा

जो है बेहोश वह होश में आयेगा
गिरन वाला भी फौरन सम्हल जायगा
यह दामन तो जल ही चुका है मगर
आंच तुझ पर भी आये गवारा नहीं
सिर्फ आंसू न पोंछे यों हंसते हुए,
वरना दामन तुम्हारा भी जल जायगा ।

फूल इस ढंग से चुन ऐ मेरे बागवां,
शोख हिलने न पाये न आवाज हो,
वरना सारा चमन यह उजड़ जायगा,
हर कली का भी दिल सच दहल जायगा ।।

आप हमको मुसीबत सहने को आदी न बनावें नहीं तो क्या होगा :—

रंज से खूंगर हुआ इंसां तो मिट जाता है ग़म ।
मुश्किलें इतनी पड़ीं आखिर कि आसां हो गईं ।।
यों ही गर रोता रहा 'ग़ालिब' तो ऐ अहले जहां ।
देखना इन बस्तियों को, तुम कि वीरां हो गईं ।।

हम इन बस्तियों को वीरान नहीं होने देंगे । आपने श्री गयाप्रसाद जी को बोलने भी न दिया, तो हमको क्या आप रोने भी न देंगे—

"बैठे रहगुज़र पर हम कोई हमें उठाये क्यों।
रोयेंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताये क्यों।।"

कभी हमारी सरकार के दल के लोग ही, सरकार की भर्त्सना करने लगते हैं तब विरोधी दल के लोग कहते हैं—वह बहुत अच्छा बोला—उससे हमको क्या मतलब...

"कोई महफ़िल में अपनी अकल आँक कर,
खुद को खुद दुरदुराये तो मैं करूँ।
कोई शीशे में अपनी शकल देखकर,
खुद पै खुद मुस्कराये तो मैं क्या करूँ ।।"

मेरी सरकार की दशा उस बालविधवा की सी है—मैके में भावज और भाइयों से जिसकी नहीं बनती, और सासुरे में जेठ और जिठानियों से नहीं बनती थी। उस विधवा ने अपनी सहेली से कहा कि मैके में जाती हूं तो भावज से नहीं बनती और घर जाती हूं तो यहां ननद और जेठानियों से नहीं बनती, मैं क्या करूँ ? तो उसने कहा कि कुयें में कूद पड़ । यही हाल इस सरकार का है । एक तरफ़ अपने में मेल नहीं और दूसरी तरफ़ सेन्टर से नहीं बनती । यदि यहाँ मेल होता तो सारा प्रबन्ध हो जाता? यदि सेण्टर से मेल होता तो यहाँ अन्न की कमी न रहती । करोड़ों मन गेहूं टूट पड़ता ।

"जहां तेरे नक्शे क़दम देखता हूं...
खयावाँ खयावाँ इरम देखता हूँ।
बना कर फकीरों का मैं भेष 'गालिब' ।
तमाशा अहले करम देखता हूं ।।'

सोच लीजिये—

जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं,
नाव काग़ज़ की कभी चलती नहीं ।।

[श्री लोकपालसिंह]

अब मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विश्वास के साथ समर्थन करता हुआ पना स्थान ग्रहण करता हूं।

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन् जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं देखता हूं जिस तरह से सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, उससे हमारे विरोधी पक्ष का मनोबल ऊंचा नहीं हुआ है। ऐसे राष्ट्रीय प्रश्न पर जब कि सरकार और विरोधी पक्ष को एक होकर इस समस्या का हल करना चाहिये था उस समय अविश्वास का प्रश्न लाना जनता के साथ खिलवाड़ है। विरोधी पक्ष समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहता बल्कि समस्याओं को भयंकर बनाना चाहता है। इसमें उसकी एक राजनीतिक चाल है और वह इस पर खुश हो रहे हैं। जिस समय प्रदेश के लोग भूखे मर रहे हों उस समय विरोधी पक्ष प्रसन्न हो रहा हो कि एक अच्छा राजनीतिक गेम बन रहा है यह उचित नहीं है। इस समय यह प्रस्ताव न आकर अगर खाद्य समस्या पर बहस होती तो अच्छे सुझाव आ सकते थे और परेशानी दूर हो सकती थी। खाद्य समस्या एक सामाजिक समस्या है और हमेशा आगे आने वाले समय में रहेगी। अगर सामाजिक स्तर पर इस समस्या को हल न किया गया तो कोई भी सरकार इसको हल नहीं कर सकती। कुछ तो हमारी पुरानी परम्पराएं हैं, अगर उनको नहीं बदलते तो हमारे देश में, प्रदेश में खाद्य समस्या ऐसे ही बनी रहेगी।

पहली बात तो यह है कि किसानों का जो स्तर हमारे समाज में है वह उचित नहीं है। उनकी हालत भी बड़ी ही खराब है। किसानों को कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह खेती की तरफ, पैदावार की तरफ ज्यादा ध्यान दें क्योंकि वह जानता है कि अगर खेती में ज्यादा पैदा होता है तो उसे कम दाम मिलेंगे और अगर कम पैदा करता है तो उसे अच्छे दाम मिलेंगे तो यह उल्टी इकोनामी है। वह इसीलिए सोचता है कि क्यों अधिक पैदा करें जिससे उसे कम दाम मिलें। आज एक सफेद पोश तबका है तो उस तबके के खाने के लिए, उसके एशोआराम के लिए क्यों वह प्रोडक्शन को बढ़ावे? प्रोडक्शन ४ चीजों बढ़ता है। आप जरा देखें लैन्ड-लेस जो लेबर है, उसकी आप देखें उसकी क्या हालत है। तमाम फैक्टरियों की लेबर को आपने समाज में जो स्थान दिया है वह भी उचित नहीं है। इसी कारण से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। देश की इकोनामी जो है वह शैटर हो रही है। जो लोग आज गांवों में खेतों में काम कर रहे हैं वे भी खेतों को छोड़ कर शहरों की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वहां पर कोई दिलचस्पी नहीं है।

दूसरी तरफ जिस तादाद से पापुलेशन बढ़ रही है। खेती की पैदावार हर वर्ष घटती चली जा रही है। यह एक सामाजिक प्रश्न है। सरकार तो जो कर सकती है पर्याप्त कर ही रही है। लेकिन अकेले सरकार के करने से यह काम नहीं हो सकता है। जब तक आप इस प्रश्न को सामाजिक स्तर पर उठावें तब तक खाद्य की समस्या हल होने वाली नहीं है। सरकार तो भरसक कर ही रही है आप भी इसमें हाथ बंटावें। जब एक किसान आपके पास आता है और मिलता है तो उसे आप जमीन पर न बैठाते हैं। दूसरी ओर देश में वकीलों और डाक्टरों का जो मान है अगर उस स्तर पर किसानों का स्तर नहीं होता है तो एग्रीकल्चरल इकोनोमी इसी तरह की बनी रहेगी। अपना देश एक कृषि प्रधान देश है और जब किसान का स्तर उठेगा तभी देश में उत्पादन बढ़ सकेगा और खाद्य समस्या हल हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस अपने अविश्वास के प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के बारे में विरोधी पक्ष की ओर से सरकार पर जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, बनारस के एक मशहूर कवि बेढब बनारसी ने ३,४ पदों की लाइनें कही हैं—

"मांग रहे हैं रोटी कब से ले कर अपनी फूटी थाली
और रिपोर्ट तैयार कर रहे उधर खाद्य मंत्री जी खाली
बहुत हो चुकी बात नशे की, छोड़ो मियां नवाबी कुरसी
नहीं भरेगा पेट बात से, लगती अब जहरीले शर सी
सुनो मेरे सरकार संभालो अपनी तीन टांग की कुरसी
नहीं शीघ्र ही करनी होगी भैया जी को मातम पुरसी"।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोग १५,१६ साल की उम्र के थे और राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने को झोंका था तो मुझे याद है कि पूरे देश में तीन नारे गूंजते थे। भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, ये तीनों नारे दिलों को हिला देते थे और लोग अपना तन, मन और धन कुर्बान करने के लिये चल देते थे। इन्हीं के मुकाबले में आज तीन नारे पापूलर हो गये हैं। "जनता भूखी मरती है कांग्रेस के राज्य में" "जो सरकार खाना न दे वह सरकार निकम्मी है" "जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है"। राष्ट्रीय आन्दोलन के जाने माने नारे आज बदल गये इन नारों से। इसके बाद भी राष्ट्रीय आन्दोलन के तपाये नेता जो कुर्सी पर बैठे हैं, परिस्थिति के बारे में सजग नहीं होते तो हमको कुछ सोचना पड़ता है।

पूरे देश में ४० करोड़ एकड़ जमीन खेती लायक है। १० करोड़ को छोड़ दो तो ३० करोड़ एकड़ में खेती होती है। अगर ३० करोड़ एकड़ में हम ५ करोड़ एकड़ को गन्ने तथा तरकारियों के लिये छोड़ देते हैं तो २५ करोड़ एकड़ जमीन में खेती होती है और अगर १५ मन गल्ला फी एकड़ मान लिया जाय तो हिन्दुस्तान में औसत ३७५ करोड़ मन गल्ला पैदा होता है। अगर इसे भी छोड़ दें तो ३६० करोड़ मन गल्ला तो पैदा ही होना चाहिये जो कि देश के लिये काफी है। उस पर भी हम बाहर से गल्ला मंगाते हैं तो सवाल पैदा होता है कि यह कहां चला जाता है? उसका साफ जवाब है कि देश के कुछ इजारेदार पूंजीपति जब बिजनेस में तशरीफ लाते हैं तो समाज की वही हालत होती है जो कि हमारे आज हो रही है। इजारेदार पूंजीपति थोक और फुटकर दोनों तरह के बिजनेस को हाथ में कर लेता है और वह किसान के गल्ले को मुट्ठी में कर लेता है और मारकेट के फ्लो को रोक देता है। जब गल्ले की कीमत बढ़ने लगती है और जनता परेशान होती है तो अपने हिसाब से वह धीरे धीरे मंडियों में गल्ला भेजता है। विरोधी दलों ने खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वास्तविकता की ओर सरकार को पहले ही आगाह किया था कि जमीन के नीचे गल्ला छिपाया जा रहा है, चन्द इजारेदार पूंजीपतियों के द्वारा लेकिन सरकार ने अनसुनी कर दी। कल ही अखबार में निकला था कि अकेले दिल्ली में एक दिन के छापे में दो लाख मन गल्ला पकड़ा गया लेकिन यह सरकार इन आदमखोर इजारेदारों के साथ क्या कर रही है। हमारे भाई कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से क्या बनता है, सुचेता जी और नेगी जी नहीं रहेंगे तो कांग्रेस का कोई न कोई मंत्री रहेगा। लेकिन इसमें फर्क है। गोविन्द सहाय जी ने नेगी साहब ने जो बयान दिया है, उस पर कहा है गोरखपुर कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि नेगी जी ने जो बयान दिया है, उससे गड़बड़ी पैदा हो गयी है। माननीय गोविन्दसहाय जी ने कहा है कि नेगी जी ने खाद्य समस्या के बारे में और चावल मिलों को सरकारी कब्जे में न लेने के बारे में जो बयान दिया है वह भुवनेश्वर कांग्रेस के प्रस्ताव के विरोध में है। बंगाल सरकार ने कहा है कि हम चावल पर कब्जा करने जा रहे हैं और धान की फसल पर भी कब्जा करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने मिल मालिकों को छूट दी है और उनकी दया के ऊपर छोड़ा है। हमारी बहन सुशीला जी ने कहा है कि आप लोग आलोचना ही करते हैं और कोई ठोस सुझाव नहीं देते हैं। मैं कहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने लिख कर मांग पेश की है कि —

(१) खाद्यान्नों के थोक व्यापार को फौरन राजकीय क्षेत्र में ले लिया जाय। जनता के जीवन को अन्नचोरों और काले बाजारियों की मेहरबानी पर और अधिक समय छोड़े रहना राष्ट्रीय अपराध होगा।

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

(२) बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इसे किये बिना इजारेदारों और मुनाफाखोरों की लूट को रोका नहीं जा सकता।

(३) भूमि सुधार पूरे किये जायं। जोतों की हदबन्दी कराकर तमाम अतिरिक्त तथा परती जमीन को भूमिहीन और गरीब किसानों में बांट दिया जाय। सुरक्षा कार्य में सैनिकों तथा असहाय लोगों की जमीनों को छोड़कर गैर हाजिर जमींदारी की प्रथा को एकदम खत्म कर दिया जाय, और इस तरह जो भूमि प्राप्त हो उसे भी गरीब और भूमिहीन किसान उत्पादकों में वितरित कर दिया जाय।

(४) बड़ी बड़ी आटे और धान की मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। ये मिलें मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के भारी अड्डे बन गई हैं।

(५) विकास योजनाओं से संबंधित नीति को बदलकर उसे साधारण और गरीब किसानों के पक्ष में बनाया जाय। अभी इन योजनाओं से मुख्यतया बड़े और धनी किसान ही फायदा उठाते हैं।

(६) बड़े और जखीरेबाज व्यापारियों को आदेश दिया जाय कि वे अपने स्टाक को अविलम्ब घोषित करें। घोषित स्टाकों से अधिक मिलने वाले अन्न को जब्त कर लिया जाय। स्टाकों का पता लगाने में जनता तथा जन संगठनों को मुक्त रूप से सहायता की जाय।

(७) खुले बाजार में बिकने वाले खाद्यान्नों की भी वही कीमत निर्धारित कर दी जाय जिस पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकते हैं। इस कीमत से अधिक पर बेंचने या चोरबाजारी करने को एक ऐसा जुर्म घोषित कर दिया जाय जिसके लिये सख्त से सख्त सजा दी जायगी। इस जुर्म में पकड़े जाने वाले अपराधियों को आदर्श सजा दी जाय। ये सुझाव दिल्ली में दिये गये और यहां भी दिये गये। दिल्ली में २ लाख मन गल्ला पकड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

*श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय बहुत गम्भीर है। इस बात पर विरोधी दल और सरकारी दल दोनों सहमत हैं और जो परिस्थिति हमारे प्रदेश में है, उसको हम जानते हैं। मैंने स्वयं इलाहाबाद, बस्ती और गोरखपुर आदि स्थानों का दौरा किया है और जो परिस्थिति है वह बहुत भयावह है। आज राशन की दूकानों पर लोगों को गल्ला नहीं मिलता है और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि हम लोग इस बात को मानते नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है वह गलत है। माननीय नेगी जी ने भी मान लिया है कि परिस्थिति बहुत भयावह है। सरकार कहती है कि हमारी मदद कीजिये। यह दैवी प्रकोप के कारण से परिस्थिति पैदा हुई है और हमारे काबू के बाहर की बात है। आपने मदद करने का वायदा किया लेकिन उससे आप मुकर गये। मैं समझता हूं कि यह परिस्थिति ऐसी थी जिसमें आपको सरकार की सहायता करनी चाहिये थी। आपने आरोप लगाया है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। देखना यह है कि आज क्या यह कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है? यह आसान नहीं है। हमारे देश के अंदर आपने देखा कि १४ लाख टन गेहूं कम पैदा हुआ। इस आंकड़े से मेरा भी मतभेद है, लेकिन उसके बावजूद भी जब यहां इतनी कम पैदावार हुई और उसकी वजह से हालत खराब हुई तो क्या किया जाय? आप कहते हैं कि यह सरकार नालायक है। पहले तो गोरखपुर जिले में वर्षा नहीं हुई, लेकिन जब बरसा तो इतना बरसा कि बाढ़ आ गयी तो यह जो दैवी कारण हैं उन पर किसी का वश नहीं चलता। यह कहना कि सरकार जिम्मेदार है, मैं नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानता इसलिये कि अगर अकेले यू०पी० में कमी होती तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज हिन्दुस्तान का क्या नकशा है ? हिन्दुस्तान के अन्दर पहले प्लान से पहले ५४ मिलियन टन पैदावार थी । ५ साल के बाद पहले प्लान के अन्त में ६५ मिलियन टन या ११ मिलियन टन ज्यादा हुई । दूसरे प्लान के अन्त में ७९.६ मिलियन टन हुई यानी १४ मिलियन टन ज्यादा । इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश हुई । सन् ६१-६२ में जो पैदावार बढ़ती हुई आयी थी वह सन् ६२-६३ में जाकर घट गयी । जो पैदावार सन् ६०-६१ में ७९ लाख टन थी वह सन् ६२-६३ में घटकर ६६ लाख टन हो गयी तो अब उसमें नेगी जी क्या करें, सुचेता जी क्या करें या हिन्दुस्तान की केंद्रीय सरकार ही क्या करें ? यह तो मानसून का असर है, ऐसे कारणों का असर है जिनपर किसी का वश नहीं है । हमारा टारगेट हन्ड्रेड मिलियन टन का है लेकिन बावजूद सारी कोशिशों के वह हमारी पैदावार टारगेट तक तो पहुंचना दूर उससे काफी दूर रही और घटी । और यह केवल यू०पी० का ही हाल नहीं है सारे हिन्दुस्तान का हाल है । सेंटर पर भी हम क्या दोष दें ? हर सूबा उनसे मांगता है, सब जगह हालत खराब है । जब सारे हिन्दुस्तान में दैवी आपत्तियां आ गयी हैं, मानसून फेल हो गया है उसमें कोई क्या कर सकता है ? मानसून खराब हुये, ओले पड़े और क्या-क्या दैवी आपत्तियां नहीं आयीं तो उसके लिये सरकार पर दोषारोपण करना गलत है ।

श्री लखीसिंह---

अगर माननीय शिब्बनलाल जी अपने भाषण को छपवा कर एक-एक प्रति बंटवा दें तो हम लोग उनके जैसे ऊंचे नेता के विचारों से फायदा उठावें ।

श्री राधेश्याम शर्मा----

शिब्बनलाल जी का भाषण समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समझने की कोशिश कीजिये, समझ में आ जावेगा ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना--

जहां तक सरकार का प्रश्न है, ऐग्रीकल्चर की हालत सारे प्रदेश में खराब है इस सरकार का या केंद्रीय सरकार का दोष बिलकुल नहीं है । मानसून फेल हो गया और हमारे प्लान के अन्दर जहां १०० मिलियन टन का टारगेट था वहां हम केवल ७० मिलियन टन ही पैदा कर सके हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

जरा धीरे-धीरे बोलें और साफ-साफ बोलें । कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप सुनने की कोशिश करें तो समझ में आयेगा ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना--

दूसरी चीज डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में कही गई । दुबे जी ने कहा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से हमारे देश की हालत है ? यह बात गलत है । मैंने उसके आंकड़े देखे हैं । डेफिसिट फाइनेंसिंग तीनों प्लानों में कुल मिलाकर १,७८८ करोड़ का हुआ है । ५,२०० करोड़ का एक्सटर्नल असिस्टेंट दूसरे देशों से मिला है और फर्स्ट प्लान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की फीगर १,७०४ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ६१३, दूसरे प्लान में ७,५०० और ४,१०० तथा तीसरे प्लान में ४,६०० और ३,२०० इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है ।

[श्री शिब्बनलाल सक्सेना]

कुल मिलाकर तीनों प्लानों में १४,००० करोड़ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट है और ५,२०० करोड़ का एक्सटर्नल असिस्टेंट है। ९,००० करोड़ टैक्सेशन के जरिये वसूल हुआ है। अगर यह डेफिसिट फाइनेंसिंग न होता और एक्सटर्नल असिस्टेंट न होती तो यह सारा रुपया आपको टेक्सेशन से वसूल करना पड़ता। या तो फिर यह कहिये कि प्लान छोड़ दिया जाय। लेकिन अगर प्लान आपको चलाना है तो उसके लिये रुपया चाहिये (व्यवधान) अगर आप फिगर्स को देखें तो पायेंगे कि फर्स्ट प्लान में डेफिसिट फाइनेंसिंग २२ परसेंट थी, सेकेंड में २० परसेंट और थर्ड में ७ परसेंट रह गई। इस तरह डेफिसिट फाइनेंसिंग का परसेंटेज घटा है। वैसे जरूरत इस बात की थी कि यह और ज्यादा बढ़ता। तो यह जो बात कही गयी, डेफिसिट फाइनेंसिंग की वह ठीक नहीं है। यह और होना चाहिये था।

तीसरी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बात माना कि सही है कि इसमें दवी प्रकोप का कारण है। राष्ट्रीय कारण है अकेले यू०पी० का ही दोष नहीं है। लेकिन साथ में इतना जरूर है कि जो भी गल्ला है उसका ठीक तरह से बंटवारा होना चाहिये। देहात में लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी वसूली बन्द होनी चाहिये ताकि लोग भूखे न मरें। उनको तकावी दी जानी चाहिये ताकि वह जिन्दा रह सकें। और जो हमारा सरकारी स्टाक है सिंचाई विभाग और दूसरे विभागों का उन्होंने तमाम करप्शन फैला रखा है, उनको हटाया जाना चाहिये।

श्री राधश्याम शर्मा---

हमारा एक स्पष्टीकरण है। (शोर) माननीय शिब्बनलाल सक्सेना ने सन् ५२ से ६४ तक १२ साल में ११ पार्टियां छोड़ीं (शोर) हर साल उनका भाषण हुआ है, तो उनको सही मानें या यह आज की उनकी बात सही मान ?

*श्री भगवानदास यादवेंदु---

उपाध्यक्ष महोदय, आज विरोधीदल की ओर से प्रस्तुत जिस अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद हो रहा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस प्रदेश में गल्ले का कोई अभाव नहीं है। गल्ले का अभाव तभी कहा जा सकता है कि जब हमको गल्ला बाजार में और देहातों में न मिले। आप अगर चाहें तो इसी प्रदेश में लाखों रुपये का गेहूं आपको ३०, ३४ रुपये मन खर्च करने पर मिल सकता है। दुगुने और तिगुने दाम देकर उसको लिया जा सकता है। इसको स्केयरसिटी नहीं कहा जा सकता। स्केयरसिटी तो वह है कि लाख रुपये देने पर भी एक मन गल्ला न मिले लेकिन यह जो हुकूमत है, जिसके हाथ में यह जिम्मेदारी है इस प्रदेश की जनता की, वह उन जखीरेबाजों से संबंध इस तरह का कायम किये हुये हैं कि वह कोई समुचित कदम उनके लिये उठाना नहीं चाहती है। डालीगंज, लखनऊ में इसी राजधानी में व्यापरियों के पास हजारों मन गल्ला आज भी भरा हुआ है। जिस वक्त यह कहा गया कि व्यापारियों ने बड़े-बड़े जखीरे बना रखे हैं तो हमारे मंत्री महोदय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और यह कह दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई कानून नहीं है कि हम इस जखीरे-बाजी को रोक सकें। श्रीमन्, एक तरफ तो जनता सवेरे से आकर दुकानों पर लाइन में खड़ी रहे और उनको यह विदेशों से मंगाया गेहूं, जिसमें कोई जान नहीं है, वह न मिले और दूसरी तरफ डालीगंज में हजारों मन गल्ला खतियों में भरा पड़ा रहे और हमारे मंत्री महोदय यह कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन मंत्री जी को चाहिये कि वह अपने पद से स्वयं ही अपने को अयोग्य समझकर त्याग-पत्र दे दें। इसके साथ ही मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यहां पर इस प्रकार की घटना हो चुकी है। हमारे बाबू संपूर्णानन्द जी ने यहां पर कहा था कि अगर मैं प्रादेशिक कांग्रेस के चुनाव में हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा और लाल बहादुर शास्त्री, जो आजकल हमारे प्रधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री हैं, उन्होंने रेलवे के एक्सीडेंट होने पर अपने को अयोग्य समझकर इस्तीफा दे दिया था। नेगी जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आज केवल नेगी जी की नीति के कारण इस प्रदेश में तबाही आई है और इस सदन में ४ दिन की बहस करके लाखों रुपयों की बरबादी हो रही है। इसके लिये नेगी जी जिम्मेदार हैं।

देहात के अन्दर जो सस्ते गल्ले की दूकान है या शहर के अन्दर जो सस्ते गल्ले की दूकान है उन पर उतना गल्ला जनता को नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिय। इसी क साथ वह सस्ता गल्ला ब्लैक में जाकर बाजार में बिकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइस पर कंट्रोल होना चाहिए। सेल पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। यह बात आज से नहीं बल्कि दो साल स बराबर कही जा रही है। इसी कारण से यह यहां पर करप्शन है और हमारे प्रदेश में यह खाद्य का संकट बराबर आता रहेगा। कहा गया कि यहां पर बाढ़ आई और लाखो मन गल्ला पैदा नहीं हुआ और खराब हो गया लेकिन इन सब के बावजूद प्राइस कन्ट्रोल नहीं किया। अगर कंट्रोल प्राइस पर किया जाता और सेल को फ्री किया जाता तो शायद इस तरह से हमारे प्रदेश में आपत्ति न आती। मैंने पिछले दिनों सन् ६२ में भी यह सुझाव दिया था कि हमारे यहां आगरा जिले की जमुना रेवाइन्स है उनको ठीक किया जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। राजगोपालाचार्य जी, जो इस देश के पहले गवर्नर जनरल हुए, उन्होंने भी अपने भाषणों में इस बात को कहा है कि हमको अपनी छतों पर हल चलाना चाहिए। और छतों पर हल चलाने का संदेश दे कर वह चले गए। उसे १७ वर्ष गुजर गए, लेकिन हमें इस समस्या का समाधान केवल भाषणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इस मंहगाई का शिकार शहरी मजदूर है, भूमिहीन किसान है और गरीब आदमी है। यह इधर और उधर के बैठने वालों का सवाल नहीं है, सवाल है उस दुखी प्राणी का जिसका शोषण होता है। हम यहां जनता को सुख देने के लिए रोते हैं, लेकिन इधर और उधर दोनों तरफ के बैठने वालों का जखीरेबाजों से सम्बन्ध है और जब तक वह प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके साथ ही अब इस सरकार को जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। ब्रिटिश राज में एक आना मजदूरी दे कर लोगों से काम लिया जाता था। वे लोग भूखो मरते थे लेकिन सिर नहीं उठाते थे इसलिए कि महात्मा गांधी का संदेश था उनक लिए कि हम को अहिंसा से काम लना चाहिए लेकिन अब जनता अधिक इस अवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रस्ताव, जिस पर विवाद हो रहा है, अनावश्यक है, असामयिक है और इस संकट काल में भी जनता के मनोबल को घटाने वाला है। इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि अनाज की कमी है और मैं समझता हूं कि इस बात को विरोधी दल के साथियों को स्वीकार करना चाहिए कि जितनी सफाई के साथ इस बात को हमारे खाद्य मन्त्री जी न माना है शायद उतनी सफाई के साथ किसी विरोधी सदस्य ने नही माना। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप से कहना चाहता हूं कि उसका एक उदाहरण है। मैं ऐसा समझता हूं कि विरोधी दल ने उस वक्त तक इस बात को इस कदर महसूस नहीं किया था जब तक कि वह नेगी जी का बयान उनके हाथ में नहीं पड़ा था। नेगी जी का बयान उनके हाथ में पड़ने के बाद ही विरोधी दल ने फूड कमेटी में आने से इन्कार किया। उस समय तक किसी ने इन्कार नहीं किया था और उसकी दलील यह दी थी कि इतनी विपत्ति है कि इसमें और कुछ नही किया जा सकता। यह उदाहरण है, प्रमाण है कि विपत्ति का उतना अहसास विरोधी दल ने नहीं किया जितना कि सरकार ने किया। मैं आप से पूछता हूं कि आखिर फूड कमेटी में आने से आपने पहले क्यों नहीं इन्कार किया? आप पहली मीटिंग में आये और आपकी बात सरकार ने सुनी और मैं उस कमेटी में था। उस समय जितनी गंभीरता के साथ विरोधी दल के भाइयों ने सुझाव दिए, उनमें से अधिकांश सरकार को अमान्य नहीं थे। लेकिन उस वक्तव्य को पढ़ने के बाद, सही परिस्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

का ज्ञान होते ही आप निकल गये। यदि वास्तव में आपको सचमुच सही हालत का पता होता तो आप यह कदम न उठाते आप कृपा करके सुनें। अगर उत्तर प्रदेश के एक कोने में यह हालत हो, या उत्तर प्रदेश के अन्दर ही हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करना और गवर्नर शासन के लिए कहना कुछ अर्थ रखता है। गुजरात में १४० रुपए या क्विंटल गेहूं बिक रहा है, महाराष्ट्र में जहाज पर से उतारने के बाद लोग कहते हैं कि हम इस को नहीं जाने देंगे, इसको यहीं बेचेंगे। आप कह सकते हैं कि यह शासन और व्यवस्था की कमजोरी है, लेकिन शासन व्यवस्था की कमजोरी अगर हापुड़ में खड़ी हो तो उरवा बाजार में, उस्का में खड़ी हो सकती है तो यह ध्यान रहे कि जहां भूख से लोग तड़पते हों वहां सबसे पहले इन्तजाम होना चाहिए, प्रबन्ध पहले उनका किया जाय जो सामने मौजूद है। इसलिए अगर इस को अगर एक कोने की बात समझते हों तो ये सारी बातें कही जा सकती हैं। मैंने कई बार यह सवाल उठाया है और इतनी मजबूती के साथ कि जब आपने भी आशीर्वाद दिया और इस देश की जनता ने दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि लाखों और करोड़ों आदमी तड़प रहेहैं उस समय यह कहां तक सहायक होता है प्रस्ताव, कृपा करके इस पर विचार करें। क्या इस सरकार के इस्तीफा दे देने के बाद अनाज का बन्दोबस्त हो सकता है?

कई सदस्य--होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

राधेश्याम जी, यह बात अच्छी नहीं है, शान्ति रखिए।

श्री गेंदासिंह--

यह मांग है आपकी तरफ से कि गवर्नर रूल होना चाहिए। आपने कभी यह मांग नहीं की कि दूसरी सरकार बनेगी। आपकी सम्मिलित मांग है गवर्नर रूल की, स्वतन्त्र पार्टी के साथ यह सम्मिलित प्रस्ताव है आपका। लेकिन क्या आल्टरनेटिव देते हैं इस देश की जनता को। आल्टरनेटिव आप के पास, धनपतियों का राज्य देते हैं, जखीरेबाजों का राज्य देते हैं। क्या ताकत है आप में? कौन-सी ताकत ऐसी है जो इस बेंच के खाली होने के बाद सूत्र संभाल सके। मैं इधर बैठता हूं, इधर बैठकर शासन का सूत्र संभाल सकता हूं और मैं समझता हूं कि यह सही जगह है। अगर प्रजातांत्रिक समाज को जिन्दा रखना है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

शिक्षक जी आप सुनें, यह बात बेजा है।

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन्, मैं अपने दोस्तों से जरा ठंडा होने को कह रहा हूं। जरा मेहरबानी करके सुनें। गर्म होने से अनाज का भाव एक पाव, एक छटांक भी बढ़ने वाला नहीं है यह विचार तो करिये। चार दिन का वक्त आपने इसलिए लिया है कि करोड़ों आदमी जो आज भूखों....

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा--

(व्यवधान के बीच) इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें बिठाइए। थोड़े दिन तो चुप रहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांति रखिए।

श्री गेंदासिंह--

माननीय राधेश्याम जी ने तो रोज रोज कई पार्टियां बदली हैं।

(व्यवधान)

मैं जिन्दा इन्सान हूं....

श्री राधेश्याम शर्मा--

(व्यवधान के बीच) अब भी जिन्दा हैं तो मरेंगे कब ?

(इस समय सदन में काफी व्यवधान होता रहा)

श्री गेंदासिंह--

मेरी बात से आप लोगों को इतना कष्ट हुआ, मुझे राधेश्याम जी इसमें कोई तकलीफ नहीं होती....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिए। राधेश्याम जी, आप शांत रहें।

श्री गेंदासिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि उधर के साथी मेरी बात सुनना नहीं चाहते और सुनने भी नहीं देना चाहते। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जनसंघ की तरफ से कहा गया कि मुक्त व्यापार हो। मगर क्या उसको माननीय ऊइल जी तथा माननीय राधेश्याम जी पसन्द करेंगे ? नहीं करेंगे। वे उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर उसका कोई आल्टरनेटिव है ? (व्यवधान) आप एक तरफ गवर्नर रूल मांगे, एक तरफ इस्तीफा मांगें.....(व्यवधान) आप जरा विवेक से सोचिये और इस सरकार के कन्धे से कन्धा मिलाइये। और जनता को उभारिये। आप सरकार को ताकत दीजिये। सरकार से ताकत छीन कर यदि आपने ब्योरोक्रेसी और जखीरेबाजों के कन्धों को मजबूत किया तो जनता का भला नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव अनावश्यक है, अनर्थ करने वाला है शारदाभक्तसिंह जी नहीं हैं, वरना मैं उनसे अपील करता कि इसे वापस लें। लेकिन अब आपके ही विवेक पर छोड़ता हूं और अगर आपने वापस नहीं लिया तो इसका फैसला होगा। और फिर आप से कहता हूं कि जनता की जिन्दगी से खिलवाड़ मत करिये। आप कंधे से कंधा मिला कर इस अन्न की समस्या को हल कीजिये।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हूं।

इस सरकार की अकर्मण्यता और असावधानी के फलस्वरूप आज इस प्रदेश की ७॥ करोड़ जनता दाने-दाने के लिये तरस रही है, इसीलिये हमें यह प्रस्ताव लाना पड़ा है। आज अन्न न मिलने से मजदूर व किसान और सभी मेहनतकश लोगों के आंखों में आंसू हैं। मातायें अपने दुध-मुंहे बच्चों को लेकर लाइन में सारे दिन खड़ी रहती हैं और शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, तो यही कहती हैं कि ये बच्चे कैसे जीवित रहेंगे ? आज हमारे प्रदेश की ७॥ करोड़ जनता भुखमरी के द्वार पर खड़ी है। इसका सारा उत्तरदायित्व इस सरकार के ऊपर है। कुछ दिन पहले, २२ फरवरी को, यहां हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री नेगी साहेब ने बड़े गर्व से कहा था कि उन्होंने इतना अनाज जमा कर लिया है कि अगले वर्ष ६ महीने के लिये काफी है। लेकिन आज जो प्रदेश की हालत है उससे यहां का जन-जन त्रस्त है। आज हमारी जनता के सामने महंगाई की विभीषिका भीषण रूप में खड़ी है। सन् १९६१ अगस्त में गेहूं

[श्री जगन्नाथ राव]

४३.२६ पैसे प्रति क्विंटल था, वह १९६३.५२ पैसे प्रति क्विंटल है, यानी ५० प्रतिशत की वृद्धि है। चावल ५३.५८ से बढ़ कर ९६ रुपये है, चना ४० से ६३ रुपये हुआ, जुवार ३२ से ५३ रुपये हो गई है। आज भी गांवों में ३२ रुपये और इस से भी अधिक कीमत पर आटा बिक रहा है। इस सरकार ने वितरण की जैसी व्यवस्था की है उसके बारे में उस पक्ष बैठने वाले लोगों ने भी स्वीकार किया है.....

एक सदस्य—

नहीं स्वीकार किया है। सरकार प्रबन्ध कर रही है। जरा धैर्य रखिये, सरकार का साथ दीजिये इस अन्न संकट में। इस अन्न संकट से पोलीटिकल लाभ उठाने की कोशिश न कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा शान्त रहें। उन्हें बोलने दें।

श्री जगन्नाथ राव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकारी पक्ष के लोगों ने भी जोरदार शब्दों में स्वीकार किया है कि ये सप्लाई आफिसेज भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं। सरकारी पक्ष के लोगों ने यहां तक कहा है कि इस विभाग को तोड़ दीजिये तो हालत ठीक हो जायगी। सप्लाई विभाग को उन्होंने भ्रष्टाचार के केन्द्र स्वीकार किया है अभी २५ जुलाई का जीता-जागता उदाहरण है। बस्ती जिले में २००–२५० ग्रामीण सप्लाई आफिस के सामने सप्लाई आफीसर से गल्ला मांगने के लिये आये तो उसने कोतवाली में टेलीफोन कर दिया कि लोग यहां डाका डालने के लिये आये हुये हैं। जब कोतवाल साहब आये तो उन्होंने देखा कि वहां पर शांतिपूर्ण लोग गल्ला मांगने के लिये आये हुये हैं। फिर उनको गल्ला दिलवाया गया। सप्लाई आफिस वालों ने गल्ले का वितरण खराब कर रखा है इनकी अव्यवस्था के कारण सस्ते गल्ले के दूकानदारों को मजबूर हो कर चोरबाजारी करनी पड़ती है, मंहगा बेचना पड़ता है।

मेरे जिले जौनपुर में ८० प्रतिशत से अधिक दूकानें कांग्रेसी नेताओं के पास हैं। एक आदमी के पास ४-४, ५-५ दूकानें हैं। अगर कोई गल्ले की दूकान पकड़ी जाती है तो नेता लोग सप्लाई आफीसर पर दबाव डालते हैं। पिछली २५ जून को जब नैनीताल में पुलिस कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो हमारे यहां का एक भ्रष्टाचार कमेटी का चेयरमैन सस्ते गल्ले की दूकान का, वहां उपस्थित था क्योंकि उसकी ४–५ दूकानों में एक दूकान सप्लाई आफिस से कैंसिल कर दी गयी थी, वह वहां पर दबाव डाल रहा था कि दूकान कैंसिल न हो। प्रति दूकान को एक दिन में ४ क्विन्टल वितरण के लिये दिया जाता है जिसकी वजह से वहां आयी हुई आधे से ज्यादा जनता गल्ला न मिलने के कारण वापस चली जाती है। आपने ५–६ हजार की आबादी के पीछे एक दूकान दी है, उससे किस प्रकार से प्रबंध हो सकता है, ऐसी तो मंहगाई है और आपत्ति है लेकिन माननीय मंत्री जी यह कह कर उस को टाल देना चाहते हैं कि दैवी आपत्ति आयी है और इसके साथ ही साथ इस प्रदेश का किसान भाग्यवादी है, इसलिये अधिक अन्न उत्पन्न नहीं हो पाता। इस बात को कह कर वे अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं।

देखा जाय तो मालूम होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल से ही उत्पादन बराबर गिरा है। सरकार की जो भी योजना है वह सब कागज पर है, कागज पर ही उत्पादन दिखा दिया जाता है, कागज पर ट्यूबवल्स और सिंचाई दिखा दी जाती है। यह बड़े दुःख की बात है कि पिछले वर्षों से सिंचाई का क्षेत्र गिरा है। जबकि हमारे यहां पिछले वर्षों में सिंचाई के साधन बढ़े हैं लेकिन सिंचाई के क्षेत्रफल में कमी हुई है। हमारे प्रदेश में तो यह स्थिति है कि किसान पानी मांगता है उस को खाद्य दिया जाता है। समय पर पानी नहीं दिया जाता नतीजा यह होता है कि पैदावार दिन पर दिन गिरती जाती है। एसी अवस्था में सरकार दैवी आपत्तियों की

बात कह कर और किसान को भाग्यवादी बता कर अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती। पिछले २–३ सालों से बराबर माननीय गेंदासिंह जी कहते आये थे कि यह जो उत्पादन गिर रहा है उसके लिये सारी जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन आज जो उन्होंने कहा वह उसके बिलकुल विपरीत कहा। ऐसा मालूम होता है कि वे जल्दी ही मंत्री की कुर्सी पर विराजने वाले हैं। ऐसा मालूम पड़ा कि इसकी सारी जिम्मेदारी विरोधीपक्ष वालों की है। इस प्रदेश में जो साढ़े ७ करोड़ जनता भूख से मर रही है मानो उसकी सारी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष के ऊपर है। अब तक तो मैं यही समझता था कि कुर्सी बदलने से किसी आदमी का दिल नहीं बदलता लेकिन मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी पक्ष से कांग्रेस दल में जाते ही उनका दिल भी बदल गया है। पहले जो यहां पर कहा करते थे कि सरकार की गलत-नीतियों के कारण इस प्रदेश में अन्न संकट आया है वे ही अपने उसी मुंह से यह बोलने लगे हैं कि नहीं, विरोधी पक्ष के लोगों ने केवल हल्ला मचा कर इस प्रदेश की स्थिति बिगाड़ दी है। हमने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव इसलिये रखा है कि इसने अपने वादे को पूरा नहीं किया इससे इस प्रदेश की जनता भूखों मरने के लिये विवश है।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने से पहले जो घटनायें आज सदन में हुयी हैं, उनके सम्बन्ध में एक बात कह देना चाहता हूं। मैं बहुत नम्रता से विरोधी पक्ष और अपने कांग्रेस पक्ष के लोगों से भी यह निवेदन करूंगा कि सही बात यह है कि पंडित नेहरू के देहावसान के बाद जो यह सदन प्रारम्भ हुआ है—मैं कहूंगा कि आज विरोधी पक्ष और कांग्रेस दल ,दोनों को अपनी जगह पर बहुत सतर्कता से चलना चाहिये। जनतंत्र की इस प्रणाली में इस तरह से बोल देने के लिये और न बोलने देने के लिये जिस तरह से तरह-तरह की प्रक्रिया हुयी है, मैं आप से यही कहूंगा कि इस तरह की बातों का युग बीत गया जब जनतंत्र के प्रति आस्था रखने वाला एक व्यक्ति इस देश में था जो हर परिस्थिति में आपकी रक्षा कर सकता था। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कम से कम मुझे विश्वास है कि जनतंत्र के प्रति इतनी आस्था रखने वाला इस देश में कोई नहीं है, लेकिन आप खुद भी इस बात की कोशिश करें कि किसी तरह से ऐसी स्थिति न आवे जब कि सरकारी पक्ष के लोग अपनी उस बात को खोकर ऐसा कदम उठावें जो जनतंत्र के लिये हानिकारक हो।

इसके बाद अपने पक्ष के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि पंडित नेहरू की मौजूदगी में कांग्रेस ने गलत या सही जैसा भी कदम उठा रखा हो लेकिन पंडित जी के प्रति जनता में इतना आदर और प्यार था कि हमारा कोई भी कदम कैसा भी उठता था, हमें कोई हानि नहीं उठानी पड़ती थी लेकिन आज कांग्रेस पक्ष के हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिये कि आज अगर कोई भी गलत कदम आपने उठाया तो वह जनता द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जायगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आप की भूल को भी क्षमा कर दे। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर आप कोई भी कदम उठावें तो देखना पड़ेगा कि आप अपना हर कदम फूंक-फूंक कर ही उठावें और जनता के हित में तथा जनतंत्र के हित में ही उठावें।

मैं बहुत अदब से और विनम्रता से कहूंगा कि कि आज हमारे प्रदेश में जो अन्न संकट की स्थिति है, निःसंदेह कम पैदावार का होना भी, उसका एक प्रमुख कारण है। लेकिन कम पैदावार होने के साथ-साथ इसकी जिम्मेदारी अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार ,कामचोरी और आपसी गुटपरस्ती पर भी है आप यकीन मानें अदूरदर्शिता से मेरा मतलब यह है कि आप के यहां खाद्य का, फूड एन्ड सिविल सप्लाइज़ का एक अलग पोर्टफोलियो है, उसके अलग मंत्री हैं, अलग विभाग है उस का एकमात्र काम था कि यह जो अहम समस्या खाने की थी, उस को वह ठीक करता, केवल यही उसका काम था और इसीलिये वह अलग से बनाया गया था। उस विभाग की जिम्मेदारी सिवा खाद्य और उसके वितरण के और कुछ नहीं थी, उसका कोई और बड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपत मिश्र]

काम नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि उस विभाग को पहले से क्यों नहीं पता चला कि फसल हल्की आई है, अनाज की कमी हो रही है, गोदामों में स्टाक कम रह गये हैं, सेन्टर नहीं दे रहा है और अगर नहीं दे रहा है तो उस दशा में दूसरी क्या व्यवस्था होगी या लोग होर्डिंग करेंगे तो क्या कदम क्या फौरी कदम हम उठावेंगे, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा तो क्या किया जायगा। इस विभाग का एक यही काम था कि वह इन इमर्जेन्सीज के लिये पहले से तैयार रहता और एक स्कीम उसके पास पहले से तैयार होती लेकिन मुझे यह कहने में खुशी नहीं होती, मैं नम्रता-पूर्वक दुःख के साथ कहता हूं कि इस जिम्मेदारी को विभाग ने उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से कि उस को निभाना चाहिये था या जिस तरह की आशा आज प्रदेश की जनता उससे करती थी।

इसके साथ ही आप मुझे क्षमा करेंगे गोकि मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूं जिन्हें हमारे मंत्रिगण यहाँ से बाहर कह चुके हैं। लोगों ने कहा कि जखीरेबाजी हो रही है, गल्ला इकट्ठा किया जा रहा है और कहा गया कि केन्द्र गल्ला नहीं दे रहा है, यह भी कहा गया कि गुटपरस्ती की वजह से यह सब हो रहा है लेकिन यह सब किस से कहा जा रहा है। मंत्री जी का यह विभाग है वह इसके कर्णधार हैं, आप पार्टी में सर्वेसर्वा हैं यह सब आप किससे कह रहे हैं, वह खुद करने वाले हैं, खुद निर्णय लेने वाले हैं फिर आप यह गुहार किससे मचा रहे हैं कि सेंटर नहीं दे रहा है। वहां भी कोई दूसरे दल की सरकार नहीं है वहां भी कांग्रेस सरकार है। आप स्वयं फैसला कीजिये, इंतजाम कीजिये। आज की परिस्थिति में जनता यह सुनने को तैयार नहीं है कि खाद्यान्न क्यों नहीं मिल रहे हैं उस को तो खाना मिलना चाहिये।

अदूरदर्शिता के अलावा आप भ्रष्टाचार के प्रश्न को ले लें। मैं जानना चाहता हूं यहां के अपने दल के तमाम जिलों के सदस्यों से और विरोधी दल के तमाम क्षेत्रों के माननीय सदस्यों से कि कहीं भी ५४ जिलों में कोई ऐसा एक भी चरित्रवान् जिला सप्लाई आफिसर जो कि इस परिस्थिति से नाजायज लाभ न उठा रहा हो और जनता का खून न चूसता हो? मैं जानता हूं ऐसी भ्रान्ति सरकारी और दूसरे पक्ष के लोगों को सभी को है। क्या एक भी सप्लाई आफिसर का नाम बताया जा सकता है कि जब से इस गल्ले की स्थिति में भयंकरता आयी है जिस तरफ से कोई सख्ती की गई हो, हमने किये गये हों, धावे दूकानों पर बाजार में किये गये हों, दफ्तर की जांच और आय की हैसियत की जांच की गयी हो, किसी को पकड़ा गया हो? कुछ नहीं हुआ कोई कोशिश कोई जुम्बिश नहीं। मैं सरकार के विचारों को खराब नहीं कहता, लेकिन यह अवश्य कहना पड़ता है कि इस तरफ कोई मजबूत या विचारपूर्ण कदम नहीं उठा है और जो मर्यादा की रक्षा और जनता का भला उसके द्वारा अपेक्षित था वह नहीं हुआ है।

कामचोरी के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि हम भूले नहीं हैं इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो पिछले एलेक्शन, अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर के हुये उनमें कांग्रेस की मोटरें एक-एक घंटे और एक एक मिनट और सेकिन्ड पर मुरादाबाद-जौनपुर और मेरठ को दौड़ती थीं, खबर आते देर नहीं लगती थी और हर घंटे सेकिन्डों में सैकड़ों मील गाड़ियां दौड़ जाती थीं। लेकिन इस भयंकर खाद्य समस्या के सिलसिले में भी क्या ऐसा कोई अनयुजुअल कोई ट्रिप किसी का हुआ जब कि यह इतना व्यापक प्रश्न पूरे सूबे का है। इसका प्रभाव पड़ा है अगर समस्या को पहले से आंका गया होता और प्रयास तेज होता तो शायद स्थिति काबू में रह सकती थी। आजकल सारा जोर इस पर है कि एक दूसरे पर दोष लगाये जायं। मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक कहता हूं कि आज किसी जगह बैठ जाइये कहीं भी खाद्य समस्या के हल की बात नहीं होती। जहां बैठिये सदन में लाबी में किसी अंतरंग बैठक में, किसी आम बैठक में सब जगह एक ही बात होती है कि प्रदेश कांग्रेस के एलेक्शन के मामले में क्या हो रहा है, कामराज जी का फैसला कब आ रहा है, नन्दा जी ने क्या रिपोर्ट दी है। खाद्य

समस्या की ओर कोई वास्तविक ध्यान और जोर नहीं है। अगर हम लोग इस तरह से २४ घन्टे अपने ही दुख और परेशानी को देखते रहे और अपने ही कामों में पड़े रहेंगे तो इस समस्या का हल होना नामुमकिन है बल्कि वह और भी बिगड़ सकती है और अभी तक बिगड़ी है।

मैं पुनः वही बात कहता हूं कि खाद्य की कमी, पैदावार की कमी के अलावा अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार, काम चोरी और गुटपरस्ती के कारण भी हुयी है और मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि इसको हल करने के लिये दिल से हार्दिक कदम उठाना चाहिये।

*श्री लखीसिंह--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले उनको तो मुझे बधाई देनी पड़ेगी। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह समस्या बड़ी जटिल है। माननीय नेगी खाद्य मंत्री को यह विभाग दिया इसलिये यह जटिल हुयी है। इनमें अच्छे आदमी थे जो इस खाद्य स्थिति को इतना भयंकर न होने देते। क्यों एक दुःखजनक बात बताऊं। मुझे कोई खाद्य समस्या पर ही हमारा अविश्वास है?

(व्यवधान)

श्रीमान् जी, असली और नकली कांग्रेसियों को रोकते रहना। माननीय गेंदासिंह बोले, उन्होंने देश को बड़ा धक्का पहुंचाया है। इन्होंने समाजवाद के साथ गद्दारी की जो आप तो गये ही ११ सदस्यों को और ले कर उधर चले गये। यह न कांग्रेस के सगे हैं और न समाजवाद के।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय पर ही बोलें।

श्री लखीसिंह--

श्रीमन्, आप मेरे रक्षक हैं, इन कांग्रेसियों से बचाते रहना। प्रदेश के किसान बड़े दुखी हैं। माननीय चरणसिंह चले गये, मैं उनसे कहना चाहता था क्योंकि वह कृषि मंत्री हैं। जहां १९०२ में प्रति एकड़ गेहूं १३ मन पैदा होता था वहां १९६० में घट कर ९.५ मन हो गया। यह क्यों ऐसा हुआ, माननीया सुचेता जी समझें। चावल की उपज भी घट गयी है। (शोर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, हम भी शोर मचाना जानते हैं। अगर कांग्रेस की ओर से शोर होगा तो हम लोग भी शोर मचायेंगे।

श्री लखीसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना समय मेरा व्यर्थ में नष्ट हुआ है उतना समय मुझे और दिया जाय। आप यह न समझें कि प्रदेश में गल्ला नहीं है। मैं शर्तिया बात कहता हूं, हो सकता है कि इधर कुछ हों, (शोर) लेकिन उधर के बैठने वाले तो जखीरेबाज ही नहीं सस्ते गल्ले की दूकानों में हिस्सेदार भी हैं। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, कल ही जब मैं विधान सभा से, अपने घर को जा रहा था तो एक माननीया सदस्या ने, जिनका नाम मैं नहीं जानता वह कहती जा रही थीं एक, कांग्रेसी से कि अरे, कोई धन्धा ले लो, आधा बांट मेरा हो जायगा। वे सदस्या यहां पर बैठी हैं। यह सारी बीमारी इस कांग्रेस शासन और इन कांग्रेसियों ने और सस्ते गल्ले की दूकानों ने उनको दी है जिसके कारण अनाज नहीं मिलता और सब ब्लैक मार्केटिंग में चला गया और जब हमने किसी अधिकारी का ट्रांस्फर कराया तो यह इन कांग्रेसियों ने रुकवा दिया। विरोधी पक्ष आपको सहयोग देना चाहता है, लेकिन इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

क्या दिल्ली की पुलिस २ लाख मन गल्ला पकड़ सकती है और इस प्रदेश की सरकार नहीं ? (कुछ आवाजें) मैंने भी सुचेता जी को टेलीफून करके गुड़ पकड़वाया था। आप उनसे पूछ लीजिये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे ही जिले में अगर आपकी नौकरशाही और कलेक्टर और पुलिस ठीक हो तो मेरे जिले के लिये गल्ला निकल सकता है। मगर "विनाश काले विपरीत बुद्धि"। जब दिन बुरे आये, दुर्योधन ने नहीं माना, कंस ने नहीं माना, रावण ने नहीं माना पर अगर आप मान लें तो आपका कल्याण होगा।

खाद्य विभाग के जो वर्तमान मंत्री हैं, उनसे तो क्या कहूं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहता हूं कि सबसे पहले इन ब्लैकबाजों को जिनको सस्ते गल्ले की दूकानें मिली हुयी हैं उनको फौरन बदल दिया जाय। अच्छे आदमियों को ये दूकानें दी जायं, यही मेरा सुझाव है। और तब मुझे आशा है कि २-३ महीने में गल्ले की समस्या हल हो जायगी।

एक आवाज--

आप कंस की औलाद हैं।

श्री लखीसिंह--

कंस की औलाद तो हैं ही आप। हमारे मथुरा जिले में अगर कोई प्रतिज्ञा को भंग करता है तो वह मूंछ मुड़ा लेता है। माननीय गेंदासिंह ने प्रतिज्ञा भंग की हैं, उनको मूंछ मुड़ाना चाहिये। वह हमारे बड़े नेता रहे और जब समाजवाद का बिगुल बजा तो तुच्छ मिनिस्ट्री के लालच में उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोधी दल के पास सिवा इसके कि जब भी मौका हो तब अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दो, कोई भी अन्य कांस्ट्रक्टिव कार्यक्रम नहीं है। प्रायः यह देखा गया है कि प्रतिवर्ष विरोधी दल अविश्वास का प्रस्ताव लाता है।

प्रदेश के सामने खाद्य संकट है, वह तो सभी मानते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं से, शीत लहरी, पाले और बाढ़ से, अन्नोत्पादन न होने से यह खाद्य संकट है लेकिन विरोधी दल उसे एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में लेकर अपना प्रचार कर रहा है। विरोधी दल के जो अलग-अलग अंग हैं उनमें स्वयं मतभेद है। एक ओर जनसंघ स्टेट ट्रेडिंग के विरुद्ध है और मुक्त व्यापार का हामी है। दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट ट्रेडिंग को लागू कराना चाहती है जिसे हम भी चाहते हैं। जब से कांग्रेस ने समाजवाद की स्थापना का बीड़ा उठाया है जनसंघ जो विरोधी दल में सबसे बड़ा दल है हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि किसी न किसी प्रकार इस सरकार को जो समाजवाद लाना चाहती है बदनाम किया जाय। अगर कांग्रेस तथा इस सरकार की नीति ठीक न होती तो आज उधर के लोग हमारी पार्टी में न सम्मिलित होते।

जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है, इसमें दो राय नहीं हैं कि खाद्य संकट है और उस संकट में कुछ हमारे अधिकारियों का भी दोष है। श्रीमन्, खाद्य समस्या का तात्कालिक हल निकालना चाहिये। इसके लिये केन्द्र से अधिक से अधिक गल्ला प्राप्त किया जाय। इसके अलावा सरकार को इस नीति का त्याग करना चाहिये कि जखीरेबाजों और होल्डरों से गल्ला निकलवाने के लिये आवश्यक कदम न उठाये जायं। उनका गल्ला निकलवाया जाना चाहिये। किसान के पास गल्ला नहीं है क्योंकि फसल खराब हुई है। लेकिन जखीरेबाजों के पास अवश्य है। इसलिये व्यापारियों से गल्ला लेने के लिये एन्टी होर्डिंग आर्डीनेन्स लागू किया जाय। स्थाई रूप से गल्ले की समस्या विदेश से गेहूं मंगाकर हल नहीं की जा सकती है। इसके लिये आवश्यक कदम उठाये

जायं ताकि हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़े। इससे हमेशा के लिये समस्या का हल निकल सकता है। इसमें विरोधी दलों को भी सरकार की मदद करनी चाहिये। केवल राजनीतिक लाभ के लिये झूठा प्रचार और सरकार को बदनाम करने का कदम न उठाकर ठोस सुझाव देना चाहिये।

मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने सर्वदलीय समिति बनाई थी लेकिन उससे विरोधी दलों के नेताओं ने त्याग-पत्र दे दिया। स्थायी रूप से इस समस्या को हल करने के लिये बाढ़ का नियंत्रण होना चाहिये। पानी के निकास का प्रबन्ध होना चाहिये। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिये कुयें बनने चाहिये और नलकूपों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। मेरे जिले उन्नाव में नहरों से पानी ठीक समय पर नहीं मिलता है। ब्लाक में जो ए० डी० ओज० हैं उनसे दूसरे काम हटाकर खेती की उपज बढ़ाने का काम दिया जाय।

मेरे जिले की खाद्य स्थिति गम्भीर है। मेरे यहां कुछ दिन पहले एक ट्रक गल्ला दिया जाता था जो अब ३ ट्रक दिया जाने लगा है जो नाकाफी है। सरकार की नीति गल्ले के वितरण के संबंध में देहात के लिये उचित नहीं है। शहर के आदमी तो खुले बाजार से भी गल्ला खरीद सकते हैं। हम देखते हैं कि लखनऊ में कितने सिनेमा हैं लेकिन एक भी खाली नहीं रहता। जब लोग सिनेमा देख सकते हैं तो खुले बाजार से गल्ला भी खरीद सकते हैं। देहातों में राशनिंग की जाय। छोटे किसानों के पास गल्ला समाप्त हो गया है। यह गलत होगा कि शहर में तो एक आदमी को ८ किलो दिया जाय और गांव में २ किलो दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि ४० प्रतिशत गांव के किसान खुले बाजार से गल्ला नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिये गल्ले की व्यवस्था सरकार करे।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर जो विवाद हो रहा है, उस पर मैं अपने विचार देने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोधी पक्ष हो चाहे कांग्रेस पक्ष, सभी महसूस करते हैं कि प्रदेश में खाद्य संकट है। उसके कई कारण हैं। पानी का न बरसना, पानी का अधिक बरस जाना और उसकी निकासी का न होना, पाला पड़ना, शीतलहर का होना। इनके अतिरिक्त और भी कारण है। सिंचाई का उचित प्रबन्ध न होना। कांग्रेस की हुकूमत उन सब कामों का जो उसके वश में थे प्रबन्ध नहीं कर पायी और उसका असर प्रदेश की खाद्य स्थिति पर पड़ा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की जो अन्दरूनी गुटबन्दी है उसका बहुत बड़ा असर इस संकट की स्थिति पर पड़ा। जब खाद्य संकट है तब हमारे मंत्रीगण गुटबन्दी में लगे हुये हैं। जहां उनको चाहिये था कि वे जिले-जिले और तहसील-तहसील में जाते और जनता को समझाते हैं कि खाद्य संकट के क्या कारण हैं वहां उन्होंने गुटबन्दी में ही अपना समय बिताया। चाहे जिले के हो चाहें प्रदेश के क्षेत्र में हर स्थान पर और विशेषकर फतेहपुर में इस तरह की घटनायें बढ़ती चली जा रही हैं। वहां विरोधी दल का ज्यादा प्रभाव नहीं है फिर भी वहां इस गुटबन्दी के कारण विरोधी दल को अधिक सीटें मिलीं, अभी तक एक दुर्भाग्य की बात और हुयी। हमारे यहां जिला कोआपरेटिव बैंक सस्पेंड हुआ और यहां से हमारे बनारसीदास जी ने एक समिति बना दी और उसका सभापति ठाकुर जगन्नाथसिंह, विधान सभा के सदस्य को बना दिया लेकिन थोड़े दिनों के बाद बिना किसी आरोप के ठाकुर साहब को हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरे सज्जन जो जिला परिषद् के चुनाव में कांग्रेस के विरोध में खड़े हुये थे उनको उसका सभापति बनाया गया। हमारे कांग्रेस की गुटबन्दी की यह हालत है।

इसके साथ ही कृषि विभाग को इस तरह से बांटा गया है कि पांच विभागों में बांटा गया है। कृषि का मंत्री दूसरा, सहकारिता का दूसरा, विद्युत् के लिये तीसरा, सिंचाई के काम के लिये चौथा और माल मंत्री पांचवां व्यक्ति बनाया गया। यह सारे काम एक कृषि मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

के जिम्मे होना चाहिये था। अगर एक मंत्री के हाथ में होता तो हम उनसे पूछते कि खाद्यान्न की कमी क्यों हैं, उससे जवाब तलब करते लेकिन अगर कृषि मंत्री से पूछा जाय तो वह सिंचाई मंत्री पर उसकी जिम्मेदारी डालेंगे, सिंचाई मंत्री से पूछा जाय तो खाद्य मंत्री पर डालेंगे, तो इस समय आवश्यकता इस बात की है कि यह सारे विभाग एक मंत्री को दिये जांय।

समय कम है। मैं केवल इतना कहूंगा कि मेरे जिले फतेहपुर में खाद्य संकट नहीं है और ४ महीने का गल्ला हमारे पास है। लेकिन नेगी जी ने उसका बहुत बड़ा भाग दूसरे जिले को दिया, ७२ सौ क्विन्टल दूसरे जिलों को भेज दिया गया। जो हमारा कोटा १,४०५ क्विन्टल था उसको नेगी जी ने मई के डिस्ट्रीब्यूशन को आधार मानकर उसको कम करके ५०० क्विन्टल कर दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ५०० क्विन्टल से हमारा कोटा बढ़ा कर फिर १,४०५ क्विन्टल कर दिया जाय। दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि जो ७२ सौ क्विन्टल हमारे जिले में से दूसरे जिले को भेजा वह गल्ला हमारा वापस दिला दें, ताकि हम चार महीने का संकट पार कर सकें। जुलाई महीने में जब हमको कोटा मिला तो वह ५,२०६ क्विन्टल का मिला, १,४०० क्विन्टल इतना कम कर देना, इससे बड़ा आघात हुआ। अब दूसरी समस्या वितरण की है। शहर में तो यूनिट पर देते हैं आठ किलो प्रति यूनिट, लेकिन देहात में रख दिया कि ४ क्विन्टल एक दिन में बंटेगा। दस हजार की आबादी का एक नया पंचायत क्षेत्र होता है, उसमें ४२ प्रतिशत से कम खेतिहर मजदूर नहीं हैं, लेकिन उनका कोटा जो रखा वह बहुत ही सीमित रखा। मैं समझता हूं कि कम से कम १० क्विन्टल प्रतिदिन के हिसाब से कर दें ताकि सारे प्रदेश में और विशेषतया फतेहपुर जो कि पिछड़ा हुआ है वहां गल्ले की कमी न रहे। यद्यपि हमारे यहां फतेहपुर में इन्तजाम वितरण का संतोषजनक है। प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में परिस्थिति भिन्न-भिन्न है। लेकिन हमारे यहां यह नहीं कहा जा सकता कि वहां कोई गड़बड़ी है। वहां फूड ऐडवाइजरी कमेटी ने दूकानों का इन्तजाम किया, जिसको मुनासिब समझा उसको दिया गया। सरकारी आदमियों का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं रहा। वहां मैं यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस के लोग ही हावी हैं। फतेहपुर जिले में इस मामले में न्याय हुआ है और जो बदमाशी करते हैं, उनके साथ सख्ती की जाती है। कमेटी जो शिकायत लिखती है वहां का कलेक्टर उसके ऊपर कार्यवाही करने का प्रयत्न करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा जो गल्ला हमारा लिया गया उसे हमें वापस कर दिया जाय और जो हमारा कोटा कम कर दिया गया है, उसे पूरा कर दिया जाय ताकि हम चार महीने की विषम परिस्थिति का समाधान समुचित रूप से कर सकें।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है, दरअसल यह अन्न की समस्या के डिस्कशन के लिये है। अन्न की समस्या पर कई पहलुओं से चर्चा होनी चाहिये थी। कितनी कमी अन्न की है, क्या त्रुटि वितरण में है, इस कमी के क्या कारण हैं, उन कारणों की जिम्मेदारी किसी पर लगायी जा सकती है या नहीं लगायी जा सकती और इस कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है? इस तरह से यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव पर जो बहस हुई और विशेष तौर से जो आज हाउस का वातावरण हुआ उससे यह लगता है कि सारा जोर इस बात पर है कि कौन क़ुसूरवार है या और व्यक्तिगत झगड़े, किसने कौन-सी पार्टी बदली, किसके घर में कितना अनाज था, इन छोटी-छोटी बातों पर हम आ गये और जो असल मसला था वह हमारी आंखों से एक तरह से ओझल हो गया। इस दृष्टि से अच्छा होता यह प्रस्ताव न आता। इसके बजाय यह मांग की जाती कि अन्न की समस्या पर चर्चा सदन में की जाय। बल्कि मैं तो यह सोचता था कि स्वयं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार इस मामले में कदम उठाये और खुद कहे कि हम इतने दिन चाहते हैं कि हाउस इस बात पर चर्चा करे और सब पहलुओं पर विचार करके सरकार को मशविरा दे। माननीया मुख्य मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलायी भी तो उससे मुझे लगा कि शायद वह यह कदम उठाने जा रही हैं, इसलिये मैं चुप रहा। लेकिन जब मैं यह बात कहता हूं कि अच्छा होता यह प्रस्ताव न आता तो इसके माने यह नहीं हैं कि मैं तरकीब निकाल रहा हूं यह कहने के लिये कि जो त्रुटि गवर्नमेंट की तरफ से हुई हो या किसी की तरफ से हुई हो, उस पर कोई परदा डाला जाय। यह मेरा बिलकुल इरादा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कम स कम मेरी याद में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि मुख्य मंत्री के अलावा जो पूज्य बाबू के कदमों में सब से ज्यादा बैठा हो। पूज्य बापू का जो सिद्धान्त था वह बाइबिल पर मबनी था और उस बाइबिल का सिद्धान्त यह है कि :

"Thou seest not a beam in your own eye but seest a straw in the eyes of others."

मनुष्य अपनी आंख का शहतीर नहीं देखता दूसरों की आंख का तिनका देखता फिरता है। इसको उन्होंने इस प्रकार से अपने शब्दों में कहा कि :

"Magnify the straw in your own eye not a beam so that you don't see others faults,"

बापू जी का कहना यह था कि इन्सान को अपनी गुनाहों को इतना बड़ा करके देखना चाहिये कि औरों की गुनाहों को देखने की नौबत ही न आये। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि मुख्य मंत्री जी उस सबक को भूल गई होंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस मसले का वह पहलू उनके सामने होगा और जो उसमें उचित कदम उठाने होंगे, वह उठायेंगी। वह पहलू इतना साफ है कि उसमें बहुत बहस की आवश्यकता नहीं है। असल में आज की समस्या यह है कि फौरन लोगों को खाने को कहां से मिले। अन्न की समस्या, अन्न कैसे पैदा हो, टोटल राशनिंग कर दें, स्टेट कंट्रोल कर दें, यह सब बातें तो तब कहेंगे जब लोग जिन्दा रहेंगे। आज खाना मिलना चाहिये, असल समस्या यह है और मैं निवेदन करूंगा कि एक मौका निकाल कर एक लम्बी योजना पर बहस हो जाय कि वह क्या हो। अन्न उत्पादन की चर्चा इस सदन में हो जाय .....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन का १० मिनट का समय और बढ़ाना चाहता हूं ताकि ठाकुर साहब की स्पीच पूरी हो जाय।

श्री फूलसिंह--

जब से कांग्रेस सरकार आई तब से कोई स्थिर पालिसी अन्न के संबंध में नहीं हो सकी। एक बार मैंने नागपुर में कहा था जबकि वह एक बुजुर्ग नेता मौजूद थे कि इधर पंजाब के इलाके में और हमारे पच्छिमी यू० पी० में सर्दी बहुत पड़ती है। तो हमारे यहां गांव की एक स्त्री थी उसके पास कपड़ा नहीं था। वह रोज कहती कि कल को मैं रजाई जरूर बना लूंगी। क्योंकि रात को जब उसको जाड़ा लगता था तब सुबह बनाने की बात वह कहती। जब सबेरा होता तो वह कहती कि अब तो सूरज निकल आया है, धूप निकल आई है अब लिहाफ का क्या किया जाय। इसी तरह से यह यू० पी० गवर्नमेंट अपनी पालिसी बना रही है। जब वह खेतों को हरे भरे देखती है तो समझती है कि अन्न की समस्या हल हो गई और जब अन्न की कमी हो गई तो कह दिया कि इस प्लान का बेसिस एग्रीकल्चर है। कभी बेसिस एग्रीकल्चर और कभी बेसिस इंडस्ट्री। यह पालिसी बदलती रहती है। जरूरत इस बात की है कि अन्न की समस्या ठीक तौर पर एक लम्बे पैमाने पर हल की जाय।

इसके अलावा दो बात और कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि कल या परसों शिवराजसिंह जी ने चर्चा की कि मोटे अनाज की पैदावार घट रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे भारतवर्ष के आंकड़े देखे हैं और मेरा कहना यह है कि अन्न की पैदावार बढ़ाने के तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह कि रकबा बढ़ायें। जमीन रबर नहीं है कि बढ़ती चली जाय।

[श्री फूलसिंह]

वह सीमित है। दूसरा तरीका यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिये जमीन में पानी, खाद और अच्छा बीज दिया जाय। इन चीजों का अभाव है और गलत पालिसी चल रही है। यह निश्चित है कि जो देश की हाइयेस्ट यील्ड रही है वह पहले प्लान के पहले रही है या पहले प्लान में रही है जब कि उसे बढ़ते रहना चाहिये था, उसके स्थान पर वह बराबर घटती गयी है। किसान को सब से ज्यादा मुनाफा कैश क्राप बोने में है जिसमें गन्ना, रेशेदार चीजें और तेल आते हैं। उनकी पैदावार बढ़ रही है और उससे बची हुई जमीन खेती के काम आती है। उनमें गेहूं और चावल का नम्बर पहला है और उसके बाद मोटे अनाज बोये जाते हैं। गन्ने का दाम वैसे २ रुपये मन है लेकिन वह शक्कर बनाने के बाद, चारे और सुखा कर जलाने के काम में भी लाया जाता है। अगर कैश क्राप से किसान को आमदनी ज्यादा हो तो वह फिर अनाज पैदा भी क्यों करे? हमारे देश में एक प्रथा थी जिसको टालसटाय ने रूस में कहा था और पहले उसे लोग मानते थे? उसने कहा था :

"He who works shall also eat and he who works not shall not eat."

कमाने वाला खायेगा। जो कमाता नहीं वह खायेगा नहीं। लेकिन हमारे देश में आज इससे उल्टा हो रहा है। यहां काम करने वाले को काम करने की इजाजत लेने के लिये देना पड़ता है। यह अन्न की समस्या रोने-धोने से हल होने वाली नहीं है। संकट काल में जो कमजोर होते हैं, बुजदिल होते हैं वे लड़ते झगड़ते हैं लेकिन जो बहादुर होते हैं वे कमर कस कर खड़े होते हैं और संकट का हल निकालते हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के साथी कमर कस कर खड़े होंगे और समस्या का हल निकालेंगे। लोग यहां भूखे नहीं मरेंगे। हमको रास्ता निकालना है। शहरों में इतने बंगले हैं। सब के पास पानी और पैसा है। अगर उनमें खेती की जाय तो काफी अन्न पैदा हो सकता है। सन् ४७ में इंडिया गेट के पास मैदान में तमाम सब्जी पैदा की जाती थी। आलू और शकरकंदी की पैदावार पर एकड़ बहुत ज्यादा होती है और दुनिया के एक तिहाई मुल्कों में ये चीजें ५० प्रतिशत खायी जाती हैं। भारत में आलू की पैदावार सब से कम है। अगर इस बरसात में शकरकन्दी बो दें--आप न खायें, और लोग खा लें, तो ऐसी चीजें उगानी चाहिये। दूसरे, वितरण की समस्या है। मजदूर मजदूरी छोड़ें, लाइन में खड़ा हो जाय, ११ बजे तक खड़ा रहे, फिर कहा जाय कि राशन खत्म हो गया। मजदूरी से भी गया और काम से भी। अगर मुल्क को चालाना है तो भूखों मरें वह तो मरें, लेकिन जो काम करते हैं उनको तो काम करने दिया जाय, उनको भूखों न मरने दिया जाय। काम में हर्ज नहीं होना चाहिये। वर्कशाप और फैक्टरियों में राशन बंटे। यह नहीं कि एक बोरा आज खोला, फिर कल। हफ्ते भर का एकदम क्यों नहीं दे देते? अगर नहीं है तो लोगों को जवाब दे दो, वक्त तो खराब मत करो। तो राशन का तरीका बदलना चाहिये। इतवार को राशन बन्द कर देते हैं। छुट्टियों में भी दूकानें खुलें। दफ्तर के वक्त न खोली जायं। यह नहीं कि दफ्तर का काम भी न हो और राशन भी न मिले "न खुदा ही मिला न विसाले सनम।" दोनों तरफ से गये। सन् ४७ की बात बतलाता हूं, उस वक्त ग्रेन लेवी थी, किसानों से लगान और मालगुजारी अनाज की शक्ल में लेते थे। मैं सूबा कांग्रेस का मंत्री था और गवर्नमेंट ने मुझे लिएजां आफिसर आनरेरी बना दिया था। मेरे साथ कमिश्नर उस इलाके का रहता था। एक जिले में गये तो देखा कि बड़े-बड़े जमींदार सब का बकाया और छोटे-छोटे किसानों से सब से वसूली। कहा कि इनसे भी करेंगे। अगली बार कांग्रेस वाले सब जेल में थे, उनसे वसूली नहीं हुई। कमिश्नर ने लिखा था "देयर इज सम सच थिंग ऐज सोबोटाज बाई कम्पलायेंस" यानी कम्पलायेंस में भी सैबोटोज हो सकता है। इसलिये ऐसे आदमी छांटों जो ईमानदार हों, जिन पर भरोसा किया जा सके। फिर चेकिंग होना चाहिये। फ्लाइंग स्क्वैड होनी चाहिये और समरी ट्रायल होकर वहीं सजा हो जाय मैजिस्ट्रेट के द्वारा। उसमें सफाई वगैरह का मौका नहीं होना चाहिये। १०-१० आदमी भी पकड़ लिये गये तो जितने होर्डर्स हैं सब अनाज लाकर रख देंगे। मेरा निवेदन है कि सख्ती होनी चाहिये, लेकिन खतरा यह है कि अगर थोड़ी-सी लापरवाही हो गयी और गलत हाथों में काम आ गया तो मामला बिगड़

जायगा। अनाज न मिला तब भी मौत, सख्ती हुई तब भी मौत। इसलिये काम करते-करते मरें तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि निठल्ले बैठकर मरें। तो सख्ती की जाय और अनाज होर्डर से निकाला जाय और वितरण की व्यवस्था में तब्दीली की जाय।

मैं, उपाध्यक्ष, महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। लांग रेंज पालिसी क्या हो उसके लिये समय निकाल कर डिबेट हो, इस वक्त तो इम्मिजिएट जो समस्या है उसका हल करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर सोमवार, ३ अगस्त, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ जुलाई, १९६४।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर)

सूची 'क'

क्रम-संख्या	जिला परिषद् का नाम	गत दो वर्षों में सरकारी अनुदान का प्रतिशत वर्ष १९६२-६३	वर्ष १९६३-६४
१	२	३	४
१	देहरादून	८८	८९
२	सहारनपुर	९४	९४
३	मुजफ्फरनगर	८२	८२
४	मेरठ	९२	९२
५	बुलन्दशहर	८१	८१
६	अलीगढ़	९४	९४
७	मथुरा	८६	८६
८	आगरा	९३	९३
९	मैनपुरी	८३	८३
१०	एटा	८६	८६
११	बरेली	९५	९५
१२	बिजनौर	९६	९६
१३	बदायूं	८२	८२
१४	मुरादाबाद	९४	९४
१५	शाहजहांपुर	८१	८१
१६	पीलीभीत	७२	७२
१७	फर्रुखाबाद	८६	८६
१८	इटावा	८५	८५
१९	कानपुर	८४	८४
२०	फतेहपुर	८९	८९
२१	इलाहाबाद	७८	७८
२२	बांदा	९०	९०
२३	हमीरपुर	९१	९१
२४	झांसी	९३	९३
२५	जालौन	९०	९०
२६	वाराणसी	७७	७८
२७	मिर्जापुर	९५	९५
२८	जौनपुर	९१	९१
२९	गाजीपुर	८४	८४
३०	बलिया	८४	८३
३१	भदोही (उप परि०)	९३	९३
३२	गोरखपुर	८७	८७

क्रम-संख्या	जिला परिषद् का नाम	गत दो वर्षों में सरकारी अनुदान का प्रतिशत वर्ष १९६२–६३	वर्ष १९६३–६४
१	२	३	४
३३	देवरिया	९०	९०
३४	बस्ती	९६	९६
३५	आजमगढ़	९१	९१
३६	नैनीताल	८४	८४
३७	अल्मोड़ा	९३	९३
३८	पौड़ी गढ़वाल	८५	८५
३९	लखनऊ	८९	९०
४०	उन्नाव	८३	८३
४१	रायबरेली	८९	८८
४२	सीतापुर	८९	८९
४३	हरदोई	९६	९६
४४	खीरी	९७	९७
४५	फैजाबाद	८९	८९
४६	गोंडा	८९	९०
४७	बहराइच	८५	८६
४८	सुल्तानपुर	८६	८६
४९	प्रतापगढ़	८७	८६
५०	बाराबंकी	९०	९०

सन् १९२२ के पूर्व जिलाधीश ही जिला परषदों के अध्यक्ष होते थे। उस समय प्रत्येक जिला परिषद् की आवश्यकता के अनुसार, शासकीय अनुदान दिया जाता था और परिषदें अपने साधनों के अनुकूल अपना अंशदान शिक्षा के लिये देती थीं। यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट १९२२ के अंतर्गत जब से जिला परिषदों के अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होने लगे, तब से उक्त व्यवस्था की पुष्टि कर दी गई और १९२३–२४ के वास्तविक व्यय के आधार पर १९२४–२५ में शिक्षा के लिये सरकारी (कन्ट्रैक्ट अथवा नियत) अनुदान और जिला परिषदों के अंशदान निर्धारित कर दिये गये। उक्त अनुदान परिषदों के निर्धारित संपूर्ण वार्षिक व्यय के २० प्रतिशत से लेकर ९५ प्रतिशत तक था। तत्पश्चात् जिला परिषदों ने अपनी स्वेच्छा से अपना आवर्तक व्यय जितनी धनराशि से बढ़ाया उतनी धनराशि उनके अंशदान में जुड़ती गई और विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें जो शासकीय अनुदान (सब जिला परिषदों के लिये निर्धारित एक ही आधार के अनुसार) मिला वह उनके कन्ट्रैक्ट अनुदान में जोड़ा गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो अनुदान जिला परिषदों को दिया जाता है, वह अभी उनके कन्ट्रेक्ट अनुदान में सम्मिलित नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

वेतन-क्रम

(१) मुख्य लेखाकार	..	१५०–१०–२०० ।
(२) लेखाकार	..	१००–१०–१४० द० रो०–१०–१६० ।
(३) ज्येष्ठ लिपिक	..	७५–५–१०० ।
(४) टंकक	..	६०–४–८०–द० रो०–४–१००।
(५) चपरासी तथा चौकीदार	..	२७–१/२–३२ ।

कर्तव्य––निम्नलिखित योजनाओं तथा कार्यालयों के लेखा का परीक्षण करना:––

(१) जमींदारी उन्मूलन कोष,

(२) जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर,

(३) अधिवासियों के क्षेत्रपतियों को प्रतिकर,

(४) पुनर्वासन अनुदान,

(५) भू–राजस्व सिंचाई तथा विभिन्न करों की संग्रह योजना,

(६) तकावी,

(७) भू-राजस्व मांग,

(८) भूमि अध्यापित तथा विशेष भूमि अध्याप्ति,

(९) कृषि आय-कर तथा वृहत जोत-कर,

(१०) चकबन्दी,

(११) टेस्ट वर्क्स तथा ग्रेचुट्स रिलीफ,

(१२) उच्चतम सीमा जोत,

(१३) नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन,

(१४) निष्क्रान्ति कर संग्रह,

(१५) बिक्री-कर संग्रह (चार जिलों में)

(१६) जिला संग्रह कार्यालय, जिला भूमि-व्यवस्था कार्यालय, भूमि अध्याप्ति कार्यालय, चकबन्दी कार्यालय तथा भू–अभिलेख कार्यालय ।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

मैनेजर पब्लिक इन्टर कालेज स्याना, जिला बुलन्दशहर ने अपने पत्र दिनांक २६-२-६४ में जो शिकायतें की हैं वह मुख्यतः इस प्रकार है :

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ने अक्तूबर, सन् १९६३ तक के वेतन वितरण के संबंध में प्रारम्भ में कोई कार्य नहीं किया और प्रबन्धक की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अन्त में जब कुछ अध्यापकों ने हड़ताल करने की नोटिस दिया और हड़ताल की तब वेतन वितरण हुआ।

(२) अध्यापकों को वेतन वितरण के लिये बुलन्दशहर बुलाया गया जिससे कि एक दिन पढ़ाई की हानि हुई और अध्यापकों को अनावश्यक खर्चे करना पड़ा।

(३) कुछ अध्यापकों को प्रबन्धक द्वारा दिखाये गये रेट से भिन्न अपनी इच्छा की दर से वेतन दिया गया कुछ ने उस समय का वेतन भी ले लिया जबकि वे अपने कार्य से अनुपस्थित रहे अथवा प्रबन्धक ने अवैतनिक अवकाश स्वीकृति किया था।

(४) दिसम्बर १९६३ के वेतन का बिल जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पास एक माह से अधिक रोके रखा तथा बार बार स्मरण कराने पर २१-२-६४ को कर्णिक के द्वारा केवल १९ अध्यापकों का वेतन भेजा। जबकि उनके पास ६ हजार रुपयों से अधिक धन और शेष था। इस बार भी वेतन प्रबन्ध कमेटी द्वारा स्वीकृत बिल के अनुसार नहीं दिया गया बल्कि अपनी इच्छा से हिसाब लगा कर दिया।

(५) जिला विद्यालय निरीक्षक के इस कार्य से कुछ अध्यापकों को साहस मिला, जो विद्यालय के कार्यों को ठप्प करके पदच्युत प्रधानाचार्य को किसी प्रकार रखवाने का प्रयत्न कर रहे थे।

(६) जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रोत्साहन से दिनांक १९-२-६४ को १७ अध्यापक लड़कों से वसूल की हुई फीस के ३,०२२ रु० ९५ न० पै० और काउन्टर फायल लेकर भाग गये और रुपया आज तक जमा नहीं किया। इसकी रिपोर्ट पुलिस को तथा सूचना अन्य अधिकारियों को कर दी गई थी। इन अध्यापकों से रुपया वापिस करवाने के प्रयत्न की अपेक्षा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे रुपया न जमा करें।

(७) इससे यह स्पष्ट है कि जिला हेड क्वार्टर के शिक्षा अधिकारियों ने अध्यापकों को गलत कार्यवाही करने के लिये साहस दिया जिससे विद्यालय को सुचारु रूप से चलने में रुकावट पैदा हो।

(८) जिला विद्यालय निरीक्षक के ऐसे कार्य शिक्षा संहिता के प्रतिकूल हैं तथा माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

प्रबन्धक की प्रार्थना--

इस संबंध में आप व्यक्तिगत ध्यान दें तथा इस विद्यालय को बरबाद होने से बचावें।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

वैभागिक उम्मीदवार	बाहरी उम्मीदवार
१—श्री बेचन सिंह	१—श्री पंचम राम
२—श्री रामराज गिरी	२—श्री जिलेदार
३—श्री रामप्यारे मिश्र	३—श्री गुरचरन प्रसाद सिंह
४—श्री रमई राम	४—श्री कुंज बिहारी मिश्र
५—श्री शिव नाथ गिरी	५—श्री सभाजीत सिंह
६—श्री कृपाशंकर यादव	६—श्री लल्लन लाल श्रीवास्तव
७—श्री चन्द्रकेतु सिंह	७—श्री चन्द्रभूषण शुक्ल
८—श्री हम्मद हसन	८—श्री बच्चन लाल
९—श्री रामजियावन	९—श्री शारदा प्रसाद तिवारी
१०—श्री रामसेवक मौर्य	१०—श्री सतेन्द्रनाथ श्रीवास्तव
	११—श्री विशम्भरनाथ श्रीवास्तव
	१२—श्री पन्ना लाल
	१३—श्री रामचरन राम

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

श्री बी० ए० खां, की नियुक्ति जुलाई, १९५१ को भूगोल के प्रवक्ता के रूप में हुई थी। १९५७ में इस अध्यापक की सेवायें इस आधार पर समाप्त कर दी गई कि उन्होंने विभागीय हिन्दी परीक्षा पास नहीं किया था। इस आधार पर सेवा समाप्त किये जाने की स्वीकृति भी जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रदान कर दी थी। श्री खां ने प्रबन्धक समिति के इस निर्णय के विरुद्ध रीजिनल आर्बिट्रेशन बोर्ड के समक्ष अपील किया। आर्बिट्रेशन बोर्ड ने इस मामले को सुना तथा अप्रैल १९५८ में निर्णय दिया। निर्णय में अध्यापक को दी गई अन्य सुविधाओं में एक सुविधा निम्नवत् भी थी :

"अध्यापक को केवल एक अवसर विभागीय हिन्दी परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास करने का दिया जाय। जिससे वह १९५९ वर्ष के अन्त तक पास कर ले। इसके बाद प्रबन्धक समिति को स्वतंत्रता होगी कि यदि अध्यापक परीक्षा पास न कर सके तो उसकी सेवायें समाप्त कर दें"।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार श्री खां की सेवायें बहाल हो गई और वे संस्था में ३०-४-५८ से पुनः कार्य करने लगे। अध्यापक १९५९ की हाई स्कूल हिन्दी विषय की परीक्षा में बैठा किन्तु अनुत्तीर्ण रहा। वह साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित १९५९ की विशारद परीक्षा में भी बैठा और उत्तीर्ण हुआ। इसका परीक्षाफल जनवरी-फरवरी, १९६० में घोषित किया गया था।

प्रबन्धक ने २९-१२-५९ को उनकी सेवायें समाप्त करने की नोटिस जारी की और ३१-१२-५९ को सेवायें भी समाप्त कर दीं।

प्रबन्धक द्वारा सेवायें समाप्त किये जाने के विरुद्ध अध्यापक ने उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के पास इस आधार पर प्रतिवेदन भेजा कि उसने विशारद परीक्षा पास कर ली है। जो विभागीय परीक्षा के समकक्ष है।

प्रबन्धक ने यह प्रतिवेदन किया कि :

(१) रीजिनल आर्बिट्रेशन बोर्ड ने अपने निर्णय में अध्यापक को विभागीय परीक्षा में केवल एक बार बैठने का अवसर प्रदान किया था। अध्यापक १९५९ की हाई स्कूल परीक्षा में बैठा और फेल हो गया। इसलिये प्रबन्धक उनकी सेवायें समाप्त करने के लिये स्वतंत्र है।

(२) विशारद परीक्षा जनवरी फरवरी, १९६० में पास की गई अतः अध्यापक आर्बिट्रेशन बोर्ड के निर्णय के अनुसार सेवा में रहने का अधिकारी नहीं है।

(३) विशारद परीक्षा १९६० तक हाई स्कूल हिन्दी के समकक्ष मान्य नहीं थी। यह मान्यता १९६१ में प्रथम बार मिली।

उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर ने इस मामले में यह निर्णय लिया कि श्री खां ने रीजनल आर्बिट्रेशन बोर्ड के निर्णय के अनुसार हिन्दी परीक्षा पास कर ली है। अतः उन्हें बहाल किया जाय।

इसी बीच श्री खां ने शासन को भी एक प्रतिवेदन भेजा। शासन ने इस मामले पर उप-शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से रिपोर्ट मंगाई। रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् शासन ने यह पाया कि प्रबन्धक द्वारा श्री खां का निकाला जाना रीजिनल आर्बिट्रेशन बोर्ड के फैसले के अनुसार था, अतः शासन अथवा विभाग इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

इस प्रकार श्री खां की सेवायें उपयुक्त विद्यालय में समाप्त हो गई।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

जिला जौनपुर के ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिनमें अध्यापकों के हिस्से का भी प्रावीडेंट फण्ड का पैसा समय से नहीं जमा किया जाता है :

१--बी० आर० पी० कालेज, जौनपुर,
२--आर० एस० के० डी० कालेज, जौनपुर
३--नेशनल इन्टर कालेज पट्टीनरेन्द्रपुर, जौनपुर,
४--हायर सेकेन्डरी स्कूल, नेवढ़िया, जौनपुर,
५--सार्वजनिक इन्टर कालेज, मुगंराबादशाहपुर, जौनपुर,
६--रजा डी० एम० इटर कालेज, जौनपुर,
७--रामजानकी दिनकर इन्टर कालेज, जमालापुर, जौनपुर,
८--आर्य हायर सेकेन्डरी स्कूल, लेदुका, जौनपुर,
९--बृजेश हायर सेकेन्डरी स्कूल, गुलालपुर, जौनपुर,
१०--पब्लिक इन्टर कालेज, केराकत, जौनपुर,
११--गांधी इन्टर कालेज, समोधपुर, जौनपुर,
१२--आदर्श इन्टर कालेज, शम्भूगंज, जौनपुर,
१३--अकबाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, सूरतपुरपेसारा, जौनपुर

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--९६ एल० ए०--१९६४--८६० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा